# लोक-सभा
# वाद-विवाद

शुक्रवार,
१८ मार्च, १९५५

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

खंड १, १९५५

(२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

1st Lok Sabha

नवां सत्र, १९५५

(खंड १ म अंक १ से अंक २० तक हैं)

# विषय—सूची

खंड १ (अंक १ से २०—२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)


अंक १—मंगलवार, २२ फरवरी १९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—** स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से ८, १० से १८, २१ से २७, २९, ३०, ३२ से ३४, ३६ से ४१, ४३ और ४४ . १—४६

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ५, ९, १९, २८, ३१, ३५, ४२, ४५ और ४६ से ५२ . . . . ४६—५५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ८ ५५—६२

अंक २—बुधवार, २३ फरवरी, १९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ९४, ११५, १३७, १२६, ५४ से ६१, ६४ से ६६, ६९ से ७२, ७४, ७६ से ७८, ८२ से ८५, ८७ से ९१, ९३ . . ६३—१०९

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ६२, ६३, ६७, ६८, ७२, ७५, ७९ से ८१, ८६ ९२, ९५ से ११४, ११६ से १२५, १२७ से १३६, १३८ . १०९—१३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९ से ३९ . . १३९—१५८

अंक ३—गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १३९ से १४४, १४७, १५० से १५२, १७४, १९४, १५३, १५५, १६०, १६१, १८४, १६२ से १६५, १६९, १७१ से १७३, और १७५ से १८० . . १५९—२०४

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १४५, १४६, १४८, १४९, १५४, १५६ से १५९, १६६ से १६८, १७०, १८१ से १८३, १८५ से १९३ और १९५ से २०३ . . . . . २०४—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४० से ५४ और ५६ से ५८ . . . २२३—२३४

अंक ४—शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

स्तम्भ

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या २०४ से २०७, २१५, २१६, २१०, २१२, २१७, २१८, २२०, २२३ से २२६, २३०, २३२ से २३६ और २३८ से २४७ . . . २३५—२७८

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या २०८, २०९, २११, २१३, २१४, २१९, २२१, २२२, २२७ से २२९, २३१, २३७, और २४८ से २८० २७८—३०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९ से ६७ . ३०५—३१०

अंक ५—सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या २८३ से २८७, २८९, २९१, २९२, २९४, २९६ से २९९, ३०२, ३०५, ३०६, ३११ से ३१९, ३२३ से ३२५, ३२७ से ३३१, ३३३ और ३३४ . . . ३११—३५९

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या २८१, २८२, २८८, २९०, २९३, २९५, ३००, ३०१, ३०३, ३०४, ३०७ से ३०९, ३२० से ३२२, ३२६, ३३२ और ३३५ से ३३९ . . . . . ३६०—३७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८ से ८२ . . . ३७२—३८०

अंक ६—मंगलवार, १ मार्च, ९९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३४२, ३८४, ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५० से ३५२, ३५५, ३५६, ३५८, ३८१, ३५९, ३६०, ३६२, ३८५, ३९५, ३६३ से ३७३, ३७५, ३७७ और ३७८ . . ३८१—४२७

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ३४४, ३४६, ३४९, ३५३, ३५४, ३५७, ३६१, ३७४, ३७६, ३७९, ३८२, ३८३, २८६ से ३९४, ३९६ और ३९७ . . . . . ४२८—४३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ९८ . ४३९—४४८

अंक ७—बुधवार, २ मार्च, १९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९ से ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०८ से ४१०, ४१२ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२३, ४२५, ४२८ से ४३०, ४३२, ४३४, ४३५, ४३७ और ४४१ से ४४८ . ४४९—४९३

**अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर** ४९३—४९५

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०२, ४०५, ४०७, ४११, ४१६, ४१७, ४२२, ४२४, ४२६, ४२७, ४३१, ४३३, ४३६ ४३८ सें ४४० और ४४९ से ४५५ ४९५–५०९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९ से १०५ ५०९–५१४

अंक ८—गुरुवार, ३ मार्च, १९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ३५८, ४५९, ४६१, ४६४—४७३, ४७५, ४७६ ४७८, ४७८क, ४७९, ४८०, ४८२, ४८३, ४८५, ४८९ और ४९१–४९४ . . . ५१५–५६०

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ४५६, ४५७, ४६०, ४६२, ४६३, ४७४, ४७७, ४८१, ४८६—४८८, ४९०, ४९५—५०२ और ५०४–५३४ ५६०–५९१

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६–१२८ . . . ५९१–६०८

अंक ९—शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८, ५४० से ५४७, ५५०, ५५९, ५५१-क, ५५२, ५५४ से ५५६, ५६०, ५६१, ५६३, ५६४, ५६६, ५६७, ५७० से ५७३ और ५७५ से ५७८ . . . ६०९–६५२

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५३७, ५३९, ५४८, ५४९, ५५३, ५५७ से ५५९, ५६२, ५६५, ५६८, ५६९, ५७४, और ५७९ से ५८२ ६५२–६६२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ६६३–६६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३९ . . ६६४–६७०

अक १०—सोमवार, ७ मार्च, १९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ से ५९६, ५९८ से ६०१, ६०३, ६०७, ६१० से ६१५, ६१९ से ६२३, ६२५, ६२६, ६२९ से ६३३, ६३५, ६३६, ६३८, ६३९ और ६४१ . . . ६७१–७१९

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकिन प्रश्न संख्या ५८३, ५८४, ५९७, ६०२, ६०४ से ६०६, ६०८, ६०९, ६१६ से ६१८, ६२४, ६२७, ६२८, ६३७ और ६४० . ७१९–७२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १५४ . . ७२८–७३६

अंक ११—गुरुवार, १० मार्च १९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—** स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६४३, ६४५ से ६५०, ६५३, ६५४, ६५६, ६५७, ६६०, ६६३, ६६४, ६६५, ६६७, ६७२, ६७३, ६७५ से ६७७, ६७९ से ६८२, ६८६, ६८७, ६८९ से ६९१, ६९४ से ६९९, ७०२, ७०५ और ७०९ . . . . ७३७—७८७

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ६४२, ६४४, ६५१, ६५२, ६५५, ६५८, ६५९, ६६१, ६६२, ६६६, ६६८ से ६७१, ६७४, ६७८, ६८४, ६८५, ६८८, ६९२, ७००, ७०२, ७०३, ७०४, ७०६ से ७०८, ७१० से ७१७ और ७१९ से ७२९ ७८७—८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५५ से २०५ . . ८१४—८४६

अंक १२—शुक्रवार, ११ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ८४७

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३५, ७३७, ७४२, ७४५, ७५०, ७५१, ७५५, ७५९, ७६१, ७६२, ७६५ से ७६७, ७६९, ७७०, ७७२ से ७७९, ७८१, ७८३, ७८५, ७८६, ७९०, ७९२ से ७९४, ७९६, ७९८ और ७९९ . . . ८४७—८९५

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ७३०, ७३६, ७३८ से ७४१, ७४४, ७४६ से ७४९, ६५२ से ७५४, ७५६ से ७५८, ७६०, ७६३, ७६८, ७७१, ७८०, ७८२, ७८४, ७८७ से ७८९, ७९१, ७९५, ७९७ और ८०० ८९६—९१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६ से २२२ ९१३—९२८

अंक १३—शनिवार, १२ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ९२९

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ८०१, ८०३ से ८०५, ८०७, ८१२, ८१३, ८६०, ८१४, ८१५, ८१७, ८१९ से ८२३, ८२६, ८३१, ८३४ से ८३६, ८४५, ८३८, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६, ८४९, ८५२ और ८५४ ९२९—९७२

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ८०२, ८०६, ८०८ से ८११, ८१६, ८१८, ८२४, ८२५, ८२७ से ८३०, ८३२, ८३७, ८४१, ८४३, ८४७, ८४८, ८५०, ८५१, ८५३, ८५५, ८५७ से ८५९ और ८६१ से ८६३ . ९७३—९८९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२५ से २४५ . . ९८९—१००४

अंक १४—सोमवार, १४ मार्च, १९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—** **स्तम्भ**

तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ८६८, ८७१ से ८७४, ८७७, ८७८, ८८१, ८८३, ८८५, ८८८, ८९१, ८९२, ८९४, ८९५, ८९७, ९००, ९०१, ९०३, ९०४, ९०६, ९०७, ९१०, ९१५, ९१७, ९१८, ९२० और ९२१ . . . . . १००५—१०५१

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७०, ८७५, ८७६, ८७९, ८८०, ८८२, ८८४, ८८६, ८८७, ८८९, ८९०, ८९३, ८९६, ८९८, ८९९, ९०२, ९०८, ९०९, ९११ से ९१४, ९१६, ९१९ और ९२२ से ९५४ . . . . . १०५१—१०८४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६ से २७५ . . . १०८४—११०८

अंक १५—मंगलवार, १५ मार्च, १९५५

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ९५५ से ९६७, ९६९, ९७०, ९७४, ९७५, ९७७, ९७९ से ९८२, ९८४ से ९९०, ९९२ से ९९६, ९९९ से १००२ और १००४ से १०१० . . . . ११०९—११५६

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ९६८, ९७१ से ९७३, ९७८, ९८३, ९९१, ९९७, ९९८ और १००३ . . . . . ११५६—११६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६ से २९२ . . ११६१—११७०

अंक १६—बुधवार, १६ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . . . ११७१

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १०११ से १०१८, १०२०, १०२१, १०२३ से १०२६, १०२८, १०३०, १०३४, १०३५, १०३७, १०३९, १०४२, १०४३, १०४७ से १०४९ और १०५१ से १०६३ . ११७१—१२२०

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १०२२, १०२७, १०२९, १०३१ से १०३३, १०३६, १०३८, १०४०, १०४१, १०४४ से १०४६, १०५० और १०६४ से १०८८ . . . . . १२२०—१२४४

अतारांकित प्रश्न संख्या २९३ से ३०९ . . . १२४४—१२५४

अंक १७—गुरुवार, १७ मार्च, १९५५ स्तम्भ

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १०८९ से १०९१, १०९३, १०९६ से ११००, ११०२ से ११०४, ११०९, १११५, १११६, १११८, ११२० से ११२४, ११२६, ११२८, ११२९, ११३२ से ११३४, ११३६ और ११३७ . . . . . १२५५—१२९७

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १०९२, १०९४, १०९५, ११०१, ११०५ से ११०८, १११० से १११४, १११७, १११९, ११२५, ११२७, ११३१, ११३५, ११३८ से ११६८, ११७० और ११७१ . १२९८—१३२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१० से ३३६ . . . १३२४—१३४०

अंक १८—शुक्रवार १८ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . . . १३४१

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ११७२ से ११७८, ११८० से ११८२, ११८४ से ११८८, ११९०, ११९३, ११९४, ११९६ से १२००, १२०३, १२०५, १२०८ से १२१०, १२१२ से १२१४, १२१६, १२१८ से १२२१ और १२२४ . . . . १३४१—१३८७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ३ और ४ . . . . १३८७—१३९१

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ११७९, ११८३, ११८९, ११९१, ११९२, ११९५, १२०१, १२०२, १२०४, १२०६, १२०७, १२११, १२१५, १२१७, १२२२, १२२३ और १२२५ से १२३० . . १३९१—१४०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३४६ . . . १४०३—१४०८

अंक १९—सोमवार, २१ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . . . १४०९

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १२३१, १२३३ से १२३६, १२३८, १२४१, १२४३, १२४५ से १२४७, १२५०, १२५२ से १२५९, १२६१, १२६२, १२६५, १२६६, १२६८ से १२७१, १२७४, १२७५, १२७७, १२७९ और १२८० . . . १४०९—१४५६

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १२३२, १२३७, १२३९, १२४०, १२४२, १२४४, १२४८, १२४९, १२५१, १२६०, १२६३, १२६४, १२६७, १२७२, १२७३, १२७६, १२७८, १२८१ से १२८३ और १२८५ से १२९४ . . . . . १४५६—१४७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ से ३७६ . . . १४७४—१४९४

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १२९६—१३००, १३०४, १३०६, १३०७, १३०९, १३१३, १३१४, १३१८, १३१९, १३२१, १३२३—१३२७, १३३०, १३३२—१३३४, १३४०—१३४३, १३४६—१३५१, १३५३, १३५५, १३५७, १३६० . . . . . १४९५—१५४२

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १२९५, १३०१—१३०३, १३०५, १३०८, १३१०—१३१२, १३१५—१३१७, १३२०, १३२२, १३२८, १३२९, १३३१, १३३८–१३३९, १३४४, १३४५, १३५२, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९, १३६१—१३६६ . . १५४३—१५६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७—४१५ . . . . १५६०—१५८६

अनुक्रमणिका . १—१२६

GIPND—NSH—6LS—27-11-56—240

# लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १ प्रश्नोतर)



# लोक सभा

शुक्रवार, १८ मार्च १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ]

## सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (जिला लखनऊ–मध्य)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### तृतीय श्रेणी के क्लर्क

*११७२. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय श्रेणी के क्लर्कों की वेतन क्रम को दलने की मांग पर कोई निर्णय किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने 'विरोध सप्ताह' मनाया तथा पहली मार्च, १९५५ से अपने वेतन लेना अस्वीकार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्लर्कों की मांग पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, अथवा की जा रही है ?





**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) तृतीय श्रेणी के क्लर्कों के वेतन-क्रम को बदलने के अभ्यावेदनों पर सरकार ने ध्यानपूर्वक विचार किया । तत्पश्चात् उन्होंने अग्रेतर अभ्यावेदन किये । अभी तक उन पर कोई आदेश नहीं दिये गये हैं ।

(ख) सरकार को इस प्रकार की रिपोर्टें मिली हैं कि कुछ क्लर्कों ने १ मार्च १९५५ से वेतन लेना अस्वीकार किया है ।

(ग) जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित है, तृतीय श्रेणी के क्लर्कों से प्राप्त और अभ्यावेदनों पर कोई आदेश अभी नहीं किये गये हैं ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : कितने क्लर्कों ने अपना वेतन नहीं लिया है ?

**श्री दातार** : वेतन न लेने का कोई प्रश्न नहीं है । वह एक सांकेतिक हड़ताल थी । दूसरे दिन ही सभी ने अपना वेतन लिया ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : वे वेतन-क्रम में क्या परिवर्तन चाहते हैं तथा उन्हें इस समय क्या वेतन-क्रम मिल रहा है ?

**श्री दातार** : केन्द्रीय वेतन आयोग ने तीन विभिन्न प्रकार के क्लर्कों के लिये तीन-वेतन-क्रम विहित किये हैं । सरकार ने उन पर विचार किया तथा सभी तृतीय श्रेणी के क्लर्कों को एक सामान्य वेतन क्रम दिया ।

एक बात यह हुई कि प्रारम्भिक वेतन में कुछ कमी हुई है, उस के सिवा और कोई अन्तर नहीं पड़ा है। यह अनुभव किया गया कि सरकार उस सम्बन्ध में भी कुछ करे। इसलिये सरकार ने सभी स्थायी तथा तीन वर्ष की सेवा वाले क्लर्कों को दो अग्रिम वेतन-वृद्धियां दीं।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या सरकार द्वारा स्वीकृत इन अग्रिम वेतन-वृद्धियों से कर्मचारी संतुष्ट नहीं हुए, तथा यदि सरकार उन की मांगों को पूर्ण-रूपेण स्वीकार कर ले तो उस पर कितना अतिरिक्त भार पड़गा ?

**श्री दातार** : पहिले भाग के सम्बन्ध में कुछ क्षेत्रों में असंतोष दिखाई देता है। वास्तव में, महंगाई भत्ता मिला कर वे प्रारम्भ में लगभग १२० रुपये पाते हैं। जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है वह धनराशि बहुत बड़ी होगी और मेरे अनुमान से यह लगभग ५० लाख अथवा उस से भी अधिक होगी, लेकिन इस मामले में सब से बड़ी कठिनाई तो यह है कि भारत सरकार के अधीन सभी कार्यालयों के कर्मचारियों पर इस की अवांछनीय प्रतिक्रिया होगी।

**भारत का इम्पीरियल बैंक**

*१२७३. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के इम्पीरियल बैंक पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण करने में किस हद तक प्रगति हुई है; और

(ख) क्या अर्जित अंशों के मुआवजे की मात्रा का हिसाब लगाया गया है ?

**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा)** : (क) और (ख). सरकार ने इम्पीरियल बैंक पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी निर्णय तो कर ही लिया है। अब भारत के रक्षित बैंक की सलाह से तथा इम्पीरियल बैंक के साथ मिल कर उस के ब्योरे तथा प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। ज्योंही इस सम्बन्ध में अन्तिम विनिश्चय होगा, त्योंही सरकार का विचार आवयक विधान पुरःस्थापित करने का है।

**श्री एस० एन० दास** : क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि राज्यों से सम्बन्धित बैंकों तथा इम्पीरियल बैंक के रूपान्तर में ठीक कितना समय लगेगा ?

**श्री ए० सी० गुहा** : मैं माननीय मित्र को आश्वासन देता हूं कि हम इसे यथा संभव शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए प्रत्येक संभव कार्यवाही कर रहे हैं। हमारी तो यह आकांक्षा है कि विधेयक इसी सत्र में पुरःस्थापित किया जाये और यदि संभव हो तो इसी सत्र में उसे पारित भी कराया जाये।

**श्री एस० एन० दास** : क्या भारत के रक्षित बैंक तथा इम्पीरियल बैंक को कोई संकेत दिया गया है कि अमुक समय तक वे सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करें ?

**श्री ए० सी० गुहा** : अग्रेतर जानकारी देना रक्षित बैंक का कार्य नहीं है। यह विभिन्न राज्यों से जिन में विभिन्न बैंक स्थित हैं चर्चा करने का प्रश्न है। राज्यों से सम्बद्ध बैंकों की संख्या १० है। अ विभिन्न राज्यों तथा बैंकों से बातचीत चल रही है और मेरे विचार में रक्षित बैंक का लक्ष्य यह है कि सारी बात को अन्तिम रूप दिया जाये और इस वर्ष १ जुलाई से इम्पीरियल बैंक पर प्रभाव पूर्ण नियंत्रण कर लिया जाये हमारा यही उद्देश्य है; मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता कि उस समय तक इन बातों का होना कहां तक संभव होगा।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या सरकार हमें यह बता सकती है कि मुआवजा नकदी या वस्तु दोनों में दिया जायेगा अथवा अकेले

नक़दी में, और जो प्रक्रिया भारत के रक्षित बैंक के बारे में अपनाई गयी थी क्या वह इम्पीरियल बैंक के बारे में भी अपनाई जायेगी ?

**श्री ए० सी० गुहा** : मेरे विचार में यह इस सभा में घोषित किया जा चुका है कि १०,००० रुपये तक मुआवजा अंश-धारियों के विकल्प पर नक़दी में दिया जायेगा और १०,००० से ऊपर कोई नक़द भुगतान नहीं होगा ।

### छावनी बोर्ड

*११७४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रक्षा मंत्री ३ दिसम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ७१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न छावनी बोर्डों की तदर्थ समितियों से जो सम्मतियां मांगी गई थीं क्या वे सब बोर्डों से प्राप्त हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन सम्मतियों के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) जी हां, कैण्टोन्मेन्ट बोर्ड आगरा को छोड़ कर।

(ख) एडहाक कमेटियों की सिफ़ारिशें हाल ही में मिली हैं और उन की जांच हो रही है ।

**श्री भक्त दर्शन** : क्या यह सत्य है कि छावनी बोर्डों के अन्तर्गत जो भूमि सम्बन्धी नियम थे, उन में सुधार करने के बारे में हुत दिनों से विचार किया जा रहा है और कुछ निर्णय भी कर लिये गये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उन को लागू करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है ?

**श्री सतीश चन्द्र** : भूमि सम्बन्धी नियमों से तो इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

**श्री भक्त दर्शन** : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय मेरे मंतव्य को नहीं समझ पाये। मैं ने पूछा था कि जो एड तदर्थ समितियां बनायी गयी थीं, उन से भूमि सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने के बारे में भी सिफ़ारिशें मांगी गयी थीं और उन के बारे में गवर्नमेंट ने कुछ अस्थायी निर्णय भी किये थे, मैं जानना चाहता हूं कि उन पर अभी तक अमल क्यों नहीं किया जा रहा है ?

**श्री सतीश चन्द्र** : इस के बारे में दूसरा प्रश्न आज की सूची में है और वह बाद में आयेगा । इस प्रश्न से उस का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

**सेठ गोविन्द दास** : माननीय मंत्री जी ने पहले यह आश्वासन दिया था कि कैंटूनमेंट बोर्ड्स और कैंटूनमेंट्स के अन्य प्रबन्धों के सम्बन्ध में वह एक ब्योरेवार विधेयक शीघ्र उपस्थित करने वाले हैं, इस सम्बन्ध में क्या कोई निर्णय हुआ और अगर हुआ है तो मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक के कब तक आने की संभावना है ?

**श्री सतीशचन्द्र** : इस के लिए नोटिस चाहिए ।

### राष्ट्रीय नाटकोत्सव

*११७५. **श्री केशवैयंगार** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिसम्बर, १९५४ में आयोजित किये गये राष्ट्रीय नाटकोत्सव पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ख) नाटकों के टिकटों के विक्रय से कुल कितनी रक़म प्राप्त हुई ?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) दिल्ली नाट्य संघ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जिसने राष्ट्रीय नाटकोत्सव तथा संगीत नाटक अकादमी को संगठित किया था, उत्सव पर कुल ६७,००० रुपये व्यय हुआ ।

(ख) लगभग २५,००० रुपये ।

**श्री केशवयंगार** : क्या इस उत्सव को एक वार्षिक उत्सव का रूप दिये जाने का विचार है ?

**डा० एम० एम० दास** : सरकार के पास इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

**श्री एस० एन० दास** : केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कितनी रक़म दी ?

**डा० एम० एम० दास** : केन्द्रीय सरकार ने कोई सहायता नहीं दी । हमारी संगीत नाटक अकादमी ने १०,००० रुपये का अंशदान दिया ।

**डा० सुरेशचन्द्र** : क्या राज्यों में भी नाटकोत्सव आरम्भ करने का विचार है ?

**डा० एम० एम० दास** : हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

**अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रायमरी स्कूलों को सहायता**

*११७६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों का सुधार" योजना के अन्तर्गत शिल्प शिक्षा, आदि के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए १९५४ में कुल कितनी आरम्भिक पाठशालाओं (प्राइमरी स्कूलों) को सहायता दी गई; और

(ख) अब तक इस योजना पर कुल कितना व्यय किया गया है ?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी कुछ नहीं ।

(ख) उत्पन्न ही नहीं होता ।

**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या इस योजना के अतिरिक्त आरम्भिक पाठशालाओं के सुधार की कोई और भी योजना है ?

**डा० एम० एम० दास** : जी हां, एक अन्य योजना भी है जिस का नाम 'बुनियादी शिक्षा का विस्तार" है, जिस के अन्तर्गत शिल्प-अध्यापकों आदि के प्रशिक्षण की योजनाओं का उपबन्ध भी है ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी** : मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उन को धीरे धीरे बेसिक स्कूल नाने की क्या कोई नीति है, और यदि है तो क्या सरकारों को ऐसा लिखा गया है ?

**डा० एम० एम० दास** : सरकार की ऐसी नीति है ।

**मनीपुर में गिरफ्तारियां**

*११७७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर में दिसम्बर, १९५४ में राजनैतिक आन्दोलन के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और कितने दण्डित किये गये हैं ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : मनीपुर में, दिसम्बर १९५४ में, आन्दोलन के सम्बन्ध में १६२ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और इन में से ७ फरवरी, १९५५ तक ४४ व्यक्तियों को सजा दी गई ।

**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या मैं इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये ट्राइबल पीपल (आदिम जातियों के लोगों) की संख्या जान सकता हूं ?

**श्री दातार** : यह मुझे मालूम नहीं है ।

**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस आन्दोलन का उद्देश्य क्या है ?

**श्री दातार** : यह आन्दोलन पी० एस० पी० पार्टी ने शरू किया है । इस का उद्देश्य मनीपुर में लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली और कैबिनेट की स्थापना करना है ।

**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या यह ठीक है कि यह आन्दोलन हिन्सात्मक है ?

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** आप जानते हैं कि इस वक्त एक स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमिशन बैठा हुआ है जिस के सामने यह सारी चीजें हैं। उन लोगों को अधिकार है कि वह उस के सामने जा कर अपनी सब बातें पेश करें। मुझे मालूम नहीं है कि मनीपुर का भविष्य क्या होगा। ऐसे मौक़े पर यह उचित नहीं था कि यह सब बातें शुरू की जायें और जैसा अभी कहा गया, इस सिलसिले में कुछ हिन्सा भी हुई है।

**बहु-प्रयोजन स्कूल**

*११७८. **श्री डाभी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में साधारण हाई स्कूलों को बहु-प्रयोजन स्कूल बनाने की योजना में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) सरकार ने ऐसी योजना के लिए प्रत्येक राज्य में क्या चंदा दिया है ?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) प्रगति की रिपोर्टें राज्य सरकारों से मंगाई गई हैं और जानकारी बाद में सभा-पटल पर रखी जायेगी।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६५]**

**श्री डाभी :** विवरण से ज्ञात होता है कि बम्बई राज्य के लिए कोई रक़म मंजूर नहीं की गई। क्या मैं ऐसा समझूं कि बम्बई में कोई योजना नहीं है ?

**डा० एम० एम० दास :** यह योजना नवम्बर में तो आरम्भ की गयी थी। कुछ राज्य सरकारों ने अपनी योजनायें समर्पित की हैं और हम ने अनुदान मंजूर किय हैं। अन्य राज्य सरकारों ने अभी तक अपनी योजनायें नहीं भेजी हैं अथवा ऐसा हो सकता है कि अभी उन की योजनाओं का परीक्षण किया जा रहा हो।

**श्री डाभी :** इन योजनाओं पर किस आधार के अनुसार अनुदान मंजूर किये जाते हैं और क्या राज्य सरकारों को स्वतः ही योजनाओं में रुपया देना पड़ता है ?

**डा० एम० एम० दास :** अनुदान इस आधार पर दिये जाते हैं कि यदि किसी हाई स्कूल अथवा हायर सेकण्डरी स्कूल को बहु-प्रयोजन स्कूल में बदलना हो, तो पूंजी व्यय का ६६ प्रतिशत—अनावर्तक व्यय—तथा २५ प्रतिशत आवर्तक व्यय केन्द्र द्वारा दिया जायेगा। इसी आधार पर राज्यों को अनुदान मंजूर किये गये हैं।

**श्री बैरो :** क्या इन बहु-प्रयोजन स्कूलों में अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं; यदि हां, तो कब तक तैयार हो जायेंगे ?

**डा० एम० एम० दास :** ऐसा निश्चय किया गया है कि प्रत्येक पाठशाला में औसतन दो विशेष पाठ्यक्रम होंगे। विशेष पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं :—

विज्ञान पाठ्यक्रम
टेकनीकल पाठ्यक्रम
कृषि पाठ्यक्रम
वाणिज्य पाठ्यक्रम
ललित कला पाठ्यक्रम, और
घरेलू विज्ञान पाठ्यक्रम।

**श्री आर० एस० दीवान :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की यह नीति है कि बहु-प्रयोजन स्कूलों, जो गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं, को सरकार

द्वारा चलाये जाने वाले साधारण स्कूलों की तुलना में अधिक रियायतें तथा सुविधायें दी जायें ?

**डा० एम० एम० दास :** इस मामले में हम राज्य सरकारों की सिफारिशों पर ध्यान देते हैं और उनका अनुसरण करते हैं ।

**भारत के इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण**

*११८०. **श्री सारंगधर दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की प्रस्थापना पर भारत सरकार ने रक्षित बैंक को अपने विचार प्रकट करने तथा उन्हें सरकार के पास भेजने के लिए कहा था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास अब तक कोई प्रतिवेदन उन्होंने भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो उन की सिफारिशें क्या हैं ?

**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) :** (क) से (ग). भारत सरकार ने इम्पीरियल बैंक पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण करने का निर्णय रक्षित बैंक के गवर्नर की सलाह से ही किया था और उस की घोषणा २० दिसम्बर, १९५४ को की गई थी । भारत के रक्षित बैंक को प्रबन्ध करने की व्योरात्मक प्रणाली सरकार के विचारार्थ तैयार करने के लिये कहा गया है । बैंक की अन्तिम सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ।

**डा० रामा राव :** मैं जानना चाहता हूं कि 'प्रभावपूर्ण नियन्त्रण' से क्या अभिप्राय है ?

**श्री ए० सी० गुहा :** मेरे विचार में इस बात की सभा मे घोषणा भी कर दी गई थी कि भारत सरकार तथा रक्षित बैंक यदि शत प्रतिशत नहीं तो अंशों की बहु संख्या धारण करेंगे और बैंक के प्रबन्ध का पूरा नियंत्रण उन के हाथ में होगा ।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या मैं जान सकती हूं कि प्रबन्ध संभालने की सरकार की इस घोषणा के बाद इम्पीरियल बैंक के अंशों में इतनी अधिक गिरावट आ जाने के क्या कारण हैं ?

**श्री ए० सी० गुहा :** मुझे इस विषय के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है ।

**केंद्रीय भू-बन्धक बैंक**

*११८१. **श्री मुरारका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में केन्द्रीय भूबन्धक बैंक नहीं हैं; और

(ख) ऐसे सब राज्यों में एक एक बैंक स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) :** (क) निम्नलिखित राज्यों में केन्द्रीय भू-बन्धक बैंक नहीं हैं :

भाग 'क' राज्य : आसाम, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल ।

भाग 'ख' राज्य : जम्मू तथा काश्मीर, मध्यभारत, पैप्सू तथा राजस्थान ।

भाग 'ग' तथा 'घ' राज्य : भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मनीपुर, त्रिपुरा, विन्ध्य प्रदेश, और अन्दमान तथा निकोबार द्वीप ।

(ख) केन्द्रीय भू-बन्धक बैंक की स्थापना पूर्णतया राज्य सरकार से सम्बन्धित विषय है । अखिल भारतीय ग्राम्य उधार सर्वेक्षण की निर्देशन समिति ने यह सिफारिश की है

कि प्रत्येक राज्य को एक केन्द्रीय भू-बन्धक बैंक स्थापित करना चाहिये । ग्राम्य उधार सर्वेक्षण के प्रतिवेदन को राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है। सरकार किसी अग्रेतर कार्यवाही करने से पूर्व राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही है ।

**श्री मुरारका** : क्या केन्द्रीय सरकार ने उन राज्य सरकारों के पास, जिन में भू-बन्धक बैंक नहीं हैं, कोई निदेश भेजा है कि वे अपने राज्यों में एक भू-न्धक बैंक खोलें ?

**श्री ए० सी० गुहा** : जब राज्य सरकारों के पास प्रतिवेदन भेज दिया गया है, तो उस का अर्थ निदेश ही है क्योंकि केन्द्रीय सरकार उस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करती रही है । और मैं समझता हूं कि प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के काफी पहले भी रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिए निदेश भेजे थे ।

**श्री मुरारका** : क्या यह सच है कि जिन राज्यों में केन्द्रीय भू-बन्धक बैंक हैं वहां भी इन के पास पर्याप्त निधि नहीं है और वे सरकार द्वारा प्रत्याभूति के बन्धपत्रों पर भी दीर्घकालीन ऋण नहीं ले पाते ?

**श्री ए० सी० गुहा** : मैं बता चुका हूं कि यह पूर्णतः राज्य का निजी मामला है । पर समिति की सिफारिशों के अधीन यह बताया गया है कि ५१ प्रतिशत अंश राज्य सरकारें खरीदेंगी और रिजर्व बैंक तो इन भू-न्धक बैंकों द्वारा चलाये जाने वाले बन्धपत्रों का २० प्रतिशत पहले से ही खरीद रहा है ।

**श्री शिवनंजप्पा** : क्या केन्द्रीय सरकार इन बैंकों को कोई वित्तीय सहायता दे रही है ?

**श्री ए० सी० गुहा** : जैसा कि मैं ने कहा है यह राज्य का विषय है फिर भी रिजर्व बैंक ने अब तक २० प्रतिशत और इस से अधिक बन्धपत्र खरीद लिये हैं और ग्रामीण उधार सर्वेक्षण की सिफारिशों के अधीन राज्य सरकारें इन बैंकों के ५१ प्रतिशत अंशों को खरीद सकती है ।

**क्षमा याचिकायें**

*११८२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ और १९५४ में राष्ट्रपति को कितनी क्षमा याचिकायें प्राप्त हुईं;

(ख) राज्यवार उनकी संख्या कितनी है;

(ग) कितनी याचिकायें स्वीकृत की गईं; और

(घ) क्षमा याचिकायें किस प्रकार के अपराधों के सम्बन्ध में दी गई थीं ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). मैं सभा की टेबल पर मांगे हुए समाचार का एक विवरण रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६६]**

(घ) कत्ल तथा यूनियन लिस्ट में दिये विषयों से सम्बन्धित अपराध ।

**श्री विभूति मिश्र** : स्टेटमेन्ट को देखने से पता चलता है कि सन् १९५३–५४ में फांसी वालों की संख्या घटी है । लेकिन पंजाब में १९५३ में ऐसे आदमियों की संख्या ४३ थी और १९५४ में वह ६७ हो गई । इसी तरह से वेस्ट बंगाल में भी यह संख्या बढ़ गई । तो क्या सरकार ने इन राज्यों को कोई आदेश दिया है कि वह कोई इस तरह के सक्रिय काम करें जिस से फांसी पाने लायक जुर्म कम हों ?

**श्री दातार** : ऐसे आदेश की जरूरत नहीं है ।

**श्री विभूति मिश्र** : क्या सरकार ने फांसी के जुर्म के लिये दया याचना की दरख्वास्त

देने वालों के लिये कोई नियम निर्धारित किये हैं ?

**श्री दातार** : कुछ प्रिंसिपल्स निर्धारित किये गये हैं ।

**श्रीमती सुषमा सेन** : क्या सरकार हमारे देश में मृत्यु-दण्ड का उन्मूलन करना चाहती है क्योंकि बहुत से पश्चिमी देशों में इस का उन्मूलन कर दिया गया है ?

**श्री दातार** : अभी यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है । जब भारतीय दण्ड संहिता के संशोधन का मामला उठाया जायेगा तब इस पर विचार किया जायेगा ।

**श्री वेलायुधन** : राष्ट्रपति के सामने आने वाले मामलों में से कितने मामले राजनैतिक हैं और इन में राजनैतिक मामलों में से कितने मामले राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत हुए ?

**श्री दातार** : अलग-अलग संख्या बताना बहुत मुश्किल है । बहुत गंभीर मामलों को छोड़ कर साधारणतया राजनैतिक मामलों में मृत्यु-दण्ड नहीं दिया जाता और इस कारण अलग-अलग संख्या बताना बहुत कठिन है ।

**मनीपुर में राजनैतिक बन्दी**

*११८४. **कुमारी एनी मैस्करीन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर राज्य में राजनैतिक बन्दियों की संख्या कितनी है और उन को कितने समय की सजायें, यदि हों तो, दी गयी हैं ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : मनीपुर राज्य में 'राजनैतिक बन्दी' नाम की बन्दियों की कोई श्रेणी नहीं है । पर यदि आप का मतलब मनीपुर में आन्दोलन के अपराध में दण्डित किये गये व्यक्तियों से है तो उन की संख्या २१ फरवरी, १९५५ को १११ थी । उन को ६ मास तक की साधारण सजायें दी गयी थीं । इस के अतिरिक्त, ३१ व्यक्ति ऐसे थे जिन के मामले निर्णयाधीन थे ।

**कुमारी एनी मैस्करीन** : उन में से कितने लोगों को निरन्तर रूप से कारावास की सजा दी गयी थी ?

**श्री दातार** : मेरे पास इस की जानकारी नहीं है ।

**कुमारी एनी मैस्करीन** : क्या उन को समाज की समाजवादी व्यवस्था की मांग के लिए आन्दोलन करने के सम्बन्ध में निरुद्ध किया गया है ?

**श्री दातार** : इस प्रश्न का उत्तर प्रधान मंत्री ने दिया था । मनीपुर राज्य में लोकप्रिय विधान-सभा और मंत्रिमंडल बनाने के अभिप्राय से यह आन्दोलन किया गया था ।

**श्रीमती खोंगमेन** : इन लोगों में से कितने विद्यार्थी हैं ?

**श्री दातार** : कुछ विद्यार्थी थे पर मुझे उनकी संख्या ठीक ठीक पता नहीं ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उनमें कितनी स्त्रियां हैं और कितनी तीसरी श्रेणी में हैं ?

**श्री दातार** : स्त्रियों की संख्या २९ है । उनमें से एक को छोड दिया गया है । शेष २८ पर अभियोग चल रहे हैं ।

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : कदाचित मनीपुर राज्य में स्त्रियां ही काम करती हैं, पुरुष नहीं ।

**तेल की खोज**

*११८५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल की खोज करने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी का नये सिरे से सर्वेक्षण करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य कब प्रारम्भ होगा; और

(ग) किन क्षेत्रों में यह सर्वेक्षण कार्य होगा ?

**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**डा० राम सुभग सिंह** : सरकार किन आधारों पर सर्वेक्षण तथा भावी जानकारी प्राप्त करने का कार्य सार्थों को सौंपती है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : इस सम्बन्ध में पेट्रोल रियायत नियम हैं और सर्वेक्षण तथा तेल की खोज सम्बन्धी काम उक्त नियमों के अनुसार विदेशी सार्थों को सौंपे जाते हैं ।

**डा० राम सुभग सिंह** : क्या उक्त नियम भारतीय सार्थों को काम सुपुर्द करने के सम्बन्ध में भी लागू किये जा सकते हैं, और जहां तक सार्थों के राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है, विदेशी सार्थों को जो रियायतें दी जाती हैं, क्या वे भारतीय सार्थों को भी दी जा सकती हैं ?

**श्री के० डी० मालवीय** : भारतीय सार्थ हो अथवा विदेशी, उक्त रियायतें सभी प्रकार के सार्थों के लिए उपलब्ध हैं, पर जहां तक मुझे ज्ञात है तेल की भावी खोज के लिए कोई भारतीय सार्थ काम नहीं कर रहा है । यदि कोई भारतीय सार्थ इस दिशा में अग्रसर होता है तो इस प्रकार के संगठनों पर सरकार द्वारा उसी प्रकार यथोचित विचार किया जायेगा जैसा विदेशों में किया जाता है ।

**श्री अमजद अली** : क्या मंत्री महोदय के आसाम राज्य के गत दौरे के समय आसाम तेल समवाय को तेल का पता लगाने के लिए कुछ अधिक क्षेत्रों में वायुचुम्बकीय और घनत्वमापी सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ करने का परामर्श दिया गया था ?

**श्री के० डी० मालवीय** : आसाम में तेल की खोज के सम्बन्ध में वायुचुम्बकीय सर्वेक्षण पूरा हो चुका है । अब भूमि सर्वेक्षण किया जा रहा है । इस के पूर्ण होने के बाद उपयुक्त क्षेत्रों में आसाम तेल समवाय बर्मे की खुदाई के सहारे अग्रेतर गवेषणा करेगा ।

**श्री बंसल** : इस समय आसाम तेल समवाय को कौन कौन सी रियायतें दी गयी हैं, और क्या वह सर्वेक्षण कार्य कर रहा है या वर्तमान ठेके के समय में सम्पूर्ण सर्वेक्षण कार्य पूरा कर सकेगा ?

**श्री के० डी० मालवीय** : कुछ क्षेत्रों में उसे खुदाई की रियायतें दी गयी हैं, कुछ स्थानों पर वह तेल की खोज का कार्य कर रहे हैं और इस कार्य के लिए उन के पास खोज-कार्य की अनुज्ञप्तियां होती हैं । आसाम के कुछ क्षेत्रों के लिए उन्होंने खोज-कार्य की अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन-पत्र दिये हैं । सरकार उन आवेदन-पत्रों पर विचार कर रही है । प्रश्न का दूसरा भाग मुझे स्मरण नहीं है ।

**श्री बंसल** : मेरा दूसरा प्रश्न यह है । खोज की अनुज्ञप्तियां कुछ वर्षों के लिए दी जाती हैं । क्या वह कार्य को इस प्रकार कर रहे हैं कि तीन या चार वर्षों में खोज का कार्य समाप्त हो जायेगा; यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है कि उस बड़े क्षेत्र में जहां तेल उपलब्ध है उसे बिना खोज के न छोड़ा जाय ?

**श्री के० डी० मालवीय** : उन के पास युद्ध के पूर्व से इस खोज के पट्टे हैं; बाद में उन पट्टों का नवीकरण किया गया । उन की प्रारम्भिक गवेषणा समाप्त प्राय है और उन्होंने कुछ क्षेत्रों के लिए अनुसन्धान अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन-पत्र भी दिया है । यह अनु-

ज्ञप्तियां दो वर्ष के लिए होती हैं। उन्हें एक-एक वर्ष के लिए दो बार नवीकृत किया जा सकता है। सरकार इस सम्बन्ध में पूरी सावधानी रखेगी कि किसी समवाय की ढिलाई या अन्य किसी भी कठिनाई के कारण तेल की गवेषणा का कार्य स्थगित न किया जाय, बल्कि शीघ्रता से पूरा किया जाय।

**श्री एस० सी० देव** : क्या वर्तमान नियमों में कुछ सुधार किया जाने वाला है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : सरकार वर्तमान नियमों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में विचार कर रही है।

## पाकिस्तान से लोगों का अवैध प्रवेश

*११८६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-पाकिस्तान सीमा-क्षेत्र पर मान्य यात्रा लेख्यों के बिना भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले बहुत से व्यक्तियों को पकड़ा गया ; और

(ख) यदि हां, तो १ नवम्बर, १९५४ से ३१ जनवरी, १९५५ तक ऐसे कितने मामलों की जानकारी मिली है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) उक्त समय में १८७४ मामलों की जानकारी मिली है।

**श्री डी० सी० शर्मा** : इस देश में अवैध प्रवेशकों की इतनी अधिक संख्या क्यों है ?

**श्री दातार** : इस संबंध में बहुत सी कठिनाइयां हैं। जब कभी भी कोई पाकिस्तानी बिना उचित यात्रा लेख्यों के भारत में आता है तो उस पर अभियोग चलाया जाता है और उसे सजा दी जाती है। सजा भोगने के बाद उसे वापस भेज दिया जाता है। १९५३ के पूर्व ऐसे व्यक्तियों को धक्के दे कर बाहर निकाल दिया जाता था पर भारत-पाकिस्तान करार के अनुसार अब ऐसा नहीं किया जा सकता। हमें इस संबंध में पाकिस्तान स्थित उच्चआयुक्त से लिखा-पढ़ी करनी पड़ती है और इसमें कुछ समय लग जाता है।

**श्री डी० सी० शर्मा** : इस वर्ष कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और कितनों को सजा दी गयी ?

**श्री दातार** : पकड़े गये और दण्डित लोगों की संख्या यही है।

**डा० सुरेश चन्द्र** : क्या भारत सरकार के पास हैदराबाद राज्य से ऐसी कोई शिकायत आई है कि वहां पाकिस्तान से बहुत से लोग आ रहे हैं और उनमें से बहुत से सरकारी नौकरियों में भी घुस गये हैं ! यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

**श्री दातार** : मुझे कुछ पता नहीं कि हैदराबाद सरकार ने ऐसी कोई शिकायत की है, पर मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इन १८७४ मामलों में हैदराबाद का कोई भी मामला नहीं है।

**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या सरकार के पास इस प्रकार हमारे देश में अवैध प्रवेश करने वालों के मामलों को देखने के लिये कोई विशेष संगठन है ?

**श्री दातार** : सरकार के पास सामान्य संगठन है जिसका वह यथासंभव अधिकाधिक प्रयोग करती है।

**विद्यार्थियों का कल्याण**

*११८७. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों ने विद्यार्थियों के कल्याण के लिये सामाजिक-आर्थिक पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी है ; और

(ख) क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जो विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ कुछ धन कमाने के लिये भी प्रोत्साहन दे ?

**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) मांगी गई जानकारी राज्यों से इकट्ठी की जा रही है और बाद में पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) जी नहीं ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या वाणिज्य समाज सेवी परिषद् नाम की किसी सामाजिक आर्थिक संस्था ने जो शिक्षा मंत्रालय की पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित धारणा पर आधारित है, अनुदानों के लिये अभ्यावेदन दिया है ?

**डा० एम० एम० दास :** अभी हमारे पास राज्य सरकार से कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । जहां तक हमारा सम्बन्ध है और जहां तक मुझे मालूम है, हमारे पास इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन नहीं आया है ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या अखिल भारतीय स्वरूप की किसी स्वयंसेवक संस्था को केन्द्रीय सरकार के पास पहुंच करने की अनुमति दी गई है ?

**डा० एम० एम० दास :** कोई भी संस्था कुछ भी कर सकती है, किन्तु प्रश्न हमारी अनुमति का है ।

**श्रीमती रेण चक्रवर्ती :** इस प्रकार का सर्वेक्षण करने वालों के लिये क्या निर्देश-पद हैं ?

**डा० एम० एम० दास :** कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया है और न ही करने का विचार है ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** आप ने ही कहा था कि सर्वेक्षण किया जायेगा ।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्या अध्यक्ष-पीठ की ओर अभिमुख हो कर बात करें ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** सर्वेक्षण-कार्य करने वाली इस समिति को क्या निर्देश-पद दिये जाते हैं ?

**डा० एम० एम० दास :** मैं ने यही कहा था कि राज्यों से संगत जानकारी एकत्र की जा रही है और कालान्तर में सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

**सीमा-शुल्क की चौकियां**

*११८८. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार भारत-पाकिस्तान की सीमा पर स्थित सीमा-शुल्क की चौकियों के हटाने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान सरकार के संचार मंत्री डा० खान साहब के उस वक्तव्य की ओर आकृष्ट हुआ है जिस में उन्होंने कहा था कि वे अपनी सरकार से कहेंगे कि वह इन चौकियों को हटाने के लिये भारत सरकार को सुझाव दे; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से कोई प्रस्ताव आया है ?

**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) :** (क) से (ग) जी

नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पाकिस्तान सरकार से अब तक नहीं मिला और न ऐसा कोई प्रस्ताव भारत-सरकार के विचाराधीन है।

**श्री भागवत झा आज़ाद** : दो देशों के बीच सुगम संचार के दृष्टिकोण से क्या सरकार का इन दोनों देशों की सीमा पर स्थित चौकियों को हटाने का विचार ह ?

**श्री ए० सी० गुहा** : ज तक सीमा-शुल्क के लिए ये चौकियां रहेंगी त तक हम इन को हटा नहीं सकते। यदि इन दोनों देशों के आपसी सम न्ध इस हद तक ठीक हो जायें कि सीमा-शुल्क चौकियों की ज़रूरत न हो, तभी इस प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

**श्री भागवत झा आज़ाद** : हम जानना चाहते हैं कि इधर के इन वर्षों में इन दोनों देशों के बीच तस्कर-व्यापार बढ़ा या घटा है ?

**श्री ए० सी० गुहा** : मैं १९५२, १९५३ और १९५४ के तस्कर-व्यापार के आंकड़े बता सकता हूं। १९५२ में २२ लाख रुपये के मूल्य का माल पकड़ा गया, १९५३ में २० लाख रुपये का और १९५४ में ३७ लाख रुपये का। हो सकता है कि तस्कर-व्यापार के मामले बढ़े न हों और अधिक मूल्य का माल पकड़ा गया हो।

**विदेशियों को दृष्टांकों का न दिया जाना**

*११९०. **श्री चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५३ और ३१ जनवरी, १९५५ के बीच कितने विदेशियों को भारत में प्रवेश पाने के लिए दृष्टांक नहीं दिये गये, और वे कहां के राष्ट्रजन थे; और

(ख) दृष्टांक न दिये जाने के कारण क्या थे ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है। एतत्सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने में जितना श्रम और समय लगेगा, उस के अनुरूप उस का परिणाम नहीं होगा।

**अंशकालिक हिन्दी अध्यापक**

*११९३. **सेठ गोविन्द दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को पढ़ाने के लिये जो अंश-कालिक हिन्दी अध्यापक रखे गये हैं उन का शुक्राना १२५ रुपये से घटा कर केवल सौ रुपया कर दिया गया है;

(ख) इस का कितने अध्यापकों पर प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). (क) में दिये हुए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

**सेठ गोविन्द दास** : क्या इस बात का भी कोई प्रयत्न किया जाता है कि जो हिन्दी भाषा-भाषी सज्जन नहीं हैं उन को ऐसे शिक्षक शिक्षा देवें जो उन्हीं की भाषा बोलते हैं और जो हिन्दी अच्छी तरह से जानते हैं ? मसलन तामिल भाषा भाषियों को अगर हिन्दी सिखानी है तो किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाय जो तामिल भाषा भाषी है और हिन्दी भाषा भी जानता है। क्या ऐसा कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

**डा० एम० एम० दास** : सवाल यह था कि जो इस के लिए शुक्राना मिलता था वह घटाया गया है या नहीं। इस में से यह सवाल कैसे पैदा होता है, मेरी समझ में नहीं आता।

**सेठ गोविन्द दास** : इन अध्यापकों की कितनी संख्या है जो अहिन्दी भाषा-भाषी सज्जनों को हिन्दी पढ़ाते हैं ?

**डा० एम० एम० दास** : नौ ।

**सेठ गोविन्द दास** : क्या यह जो संख्या अभी माननीय मंत्री जी ने तायी, यथेष्ट है, या अभी इस प्रकार के शिक्षकों की और आवश्यकता है कि जिस में सब अहिन्दी भाषा-भाषी लोग हिन्दी सीख जायें ?

**डा० एम० एम० दास** : अभी हम ने जो कक्षायें खोली हैं उन में जो छात्र संख्या है उस के लिए अध्यापकों की संख्या यथेष्ट है ।

**ब्रिटिश वायुयानों की खरीद**

*११९४. **श्री अमजद अली** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में भारतीय नौसेना के लिए ब्रिटिश वायुयानों का कोई ऑर्डर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन वायुयानों की संख्या कितनी है और उन की क़ीमत क्या है;

(ग) किस प्रकार के वायुयानों का ऑर्डर दिया गया है; और

(घ) किस समय तक उन के यहां पहुंचने की आशा है ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)**: (क) से (घ). मेसर्स फेअरे एवियेशन कंपनी लिमिटेड, इंगलैण्ड को पांच फेअरे फायर-फ्लाई मार्क १ वायुयानों का ऑर्डर दिया गया है । सामान और अतिरिक्त पुर्जों की कीमत को शामिल कर के कुल कीमत साढ़े सतरह लाख रुपये है । दो वायुयान आ भी गये हैं और शेष के शीघ्र ही पहुंचने की आशा है ।

**श्री अमजद अली** : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे कितने वायुयान पहले से ही भारत सरकार के पास हैं ?

**श्री सतीशचन्द्र** : ऐसे कोई वायुयान भारत सरकार के पास नहीं रहे । केवल दो वायुयान अभी हाल में आये हैं और तीन की प्रतीक्षा की जा रही है । उन को नौसेना के वायुयान-विरोधी अभ्यास के निशानों को ले जाने के लिये प्राप्त किया गया है ।

**श्री अमजद अली** : क्या मैं जान सकता हूं कि इंगलैंड से मंगाने का निश्चय करने से पहले अन्य देशों से भी इन वायुयानों के संभरण के लिए कोई टेन्डर मांगा गया था ?

**श्री सतीशचन्द्र** : रक्षा मंत्रालय तथा नौसैनिक मुख्य कार्यालय द्वारा इन सभी प्रश्नों का विवेचन किया जाता है । हम कुछ वायुयान चाहते थे जो वायुयान-विरोधी अभ्यास के लिये लक्ष्य ले जाने के काम में लाये जा सकें । वे बहुत सस्ते वायुयान थे और इस कार्य के लिए काम में लाये जा सकते थे । उन की कीमत दो लाख रुपये प्रति वायुयान थी और वे हमारी आवश्यकता के अनुकूल हैं । अतः उन्हें मंगाने का निर्णय किया गया ।

**श्री अमजद अली** : बिना टेन्डर के ?

**श्री जोकीम आल्वा** : इस सम्बन्ध में एक प्रश्न, श्रीमान् ।

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसे मामलों में यह अधिक उपयुक्त है कि हम ब्यौरों में न जायें । वे बहुत नाजुक विषय है ।

**जमीन के नीचे के पानी की दशायें**

*११९६. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २२ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तराई उपनिवेशन क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में जमीन के पानी की दशाओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य पूर्ण हो गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उन के पूर्ण होने में कितना समय लगने की आशा है ?

**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) उन क्षेत्रों का जमीन के नीचे के पानी की दशाओं का व्यवस्थित सर्वेक्षण करना, जिस में परीक्षात्मक बोरिंग (पृथ्वी में छेद करना) भी सम्मिलित है, एक हुत विस्तृत प्रक्रिया है और उस के पूरा होने में कुछ समय लगेगा ।

**श्री विश्वनाथ राय** : क्या मैं जान सकता हूं कि विशेषज्ञों और निधियों सम्बन्धी परिसीमा ही वह मुख्य कारण है जिस से कि देश में जमीन के नीचे के पानी की दशाओं का व्यवस्थित सर्वेक्षण उतनी शीघ्रता से नहीं हो रहा है जितनी शीघ्रता से उस का किया जाना अपेक्षित है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : नहीं श्रीमान् । जमीन के नीचे के पानी के परीक्षात्मक कार्य के सम्बन्ध में कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है । माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि भूगर्भ-शास्त्रियों का एक दल, अपने सहायकों और सर्वेक्षकों के साथ एक वर्ष में २०० वर्ग मील से अधिक का परीक्षण नहीं कर सकता है । उस हुत बड़े क्षेत्र को देखते हुए जिस की जांच अभी शेष है, यह संभव नहीं है कि देश का जमीन के नीचे के पानी सम्बन्धी सारा सर्वेक्षण कार्यक्रम कुछ वर्षों से पूर्व समाप्त हो सके ।

**श्री विश्वनाथ राय** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कार्य के लिए और कोई दल भी नियुक्त किया जायगा ?

**श्री के० डी० मालवीय** : इस पर अनेक दल कार्य कर रहे हैं, और इन दलों की संख्या में वृद्धि करने की कोई सीमा होनी चाहिये । जैसा कि मैं ने बताया है कि कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है । कुछ और कठिनाइयाँ भी हैं । हम ने अमेरिका से भी कुछ विशेषज्ञ बुलाये हैं और वे हमें सहयोग भी दे रहे हैं और जैसा कि मैं ने कहा, इस कार्यक्रम के पूर्ण होने में कई वर्ष लग जायेंगे ।

**श्री बंसल** : माननीय मंत्री ने बताया है कि कार्य तेजी से हो रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि प्रगति की गति क्या है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : मैं ने बताया है कि एक वर्ष में एक दल द्वारा २०० वर्ग मील में कार्य पूरा किया जा सकता है ।

**श्री बंसल** : पहले कितने मील में कार्य पूरा किया जाता था ?

**श्री के० डी० मालवीय** : पहले वह कदाचित् कुछ कम था । अब वह बढ़ कर २०० वर्ग मील हो गया है ।

**श्री मेघनाद साहा** : उस चमत्कारी व्यक्ति पानी महाराज का क्या हुआ ?

**श्री के० डी० मालवीय** : उस के बारे में तो मेरे माननीय मित्र मेरी अपेक्षा स्वयं अधिक जानकारी रखते हैं ।

**मध्य भारत में शस्त्रों की अनुज्ञप्ति**

*११९७. **डा० सत्यवादी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य भारत में गत वर्ष रिवाल्वर तथा ३०३ राइफ़लों की निजी अनुज्ञप्तियां वापस ले ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो किस नम्बर के रिवाल्वरों आदि की अनुज्ञप्तियां वापस ली गई हैं ;

(ग) अनुज्ञप्तियां वापिस लेने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या अन्य किसी दूसरे राज्य ने भी ऐसी ही कार्यवाही की है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). राज्य सरकारों से सूचना मांगी

गयी है तथा प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**डा० सत्यवादी** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस का सम्बन्ध मध्य भारत में डाकुओं की सरगर्मियों को चैक करने के साथ है ?

**श्री दातार** : कुछ मालूम नहीं ।

**आयकार पदाधिकारी**

*१२९८. **श्री आई० ईयाचरण** : क्या वित्तमंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह दिखाया गया हो कि :

(क) इस समय आयकर विभाग में अनुसूचित जातियों के वर्ग १ और वर्ग २ के पदाधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) जनवरी १९५० से जनवरी १९५५ की अवधि में कितने वर्ग १ और वर्ग २ के पदाधिकारी सीधे भर्ती किये गये; और

(ग) उन में से कितने पद अनुसूचित जातियों के लिए रक्षित किये गये थे ?

**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६७]

**श्री आई० ईयाचरण** : विवरण से यह मालूम होता है कि अनुसूचित जातियों के लिए ५४ पद रक्षित रखे गये हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि इस के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और कितने नियुक्त किये गये हैं ?

**श्री एम० सी० शाह** : जहां तक सीधी भर्ती का सम्बन्ध है, १२॥ प्रतिशत रक्षित किया गया है । पिछली बार, वर्ग २ श्रेणी ३ के १७९ आयकर पदाधिकारियों की तदर्थ भर्ती में, संघ लोक सेवा आयोग ने केवल १६ व्यक्तियों की सिफारिश की जब कि उन के लिए २२ रिक्त स्थान रक्षित थे ।

**श्री नानादास** : क्या मैं जान सकता हूं कि इन पदों के लिए अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं ?

**श्री एम० सी० शाह** : यद्यपि २२७ आवेदनपत्र थे, फिर भी संघ लोक सेवा आयोग ने अनुसूचित जाति के केवल १८ व्यक्तियों को ही उन पदों के लिए उपयुक्त समझा ।

**श्री आई० ईयाचरण** : ३४ पदाधिकारियों में से, वर्ग १ के कितने हैं और वर्ग २ के कितने हैं ?

**श्री एम० सी० शाह** : अलग-अलग आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

**वर्ग पहेलियां**

*११९९. **श्री गिडवानी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों ने वर्ग पहेलियां और प्रतियोगिताओं की बुराई दूर करने की प्रस्थापना पर अपनी अपनी रायें सरकार को अब तक भेजी हैं; और

(ख) कितने राज्यों ने उन पर निषेध लगाने की सिफारिश की है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सभी राज्यों से परामर्श लिया गया है और उन के उत्तर प्राप्त हुए हैं । उन की रायों को गुप्त समझा जाता है ।

**श्री गिडवानी** : ३१-३-१९५४ को भारत में कितनी संस्थाएं वर्ग पहेलियों और प्रतियोगिताओं का व्यापार कर रही थीं ?

**श्री दातार** : मैं प्रश्न का प्रथम भाग नहीं समझ पाया हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : वे उन लोगों की संख्या जानना चाहते हैं जो इस व्यापार को कर रहे हैं ।

**श्री दातार** : इस व्यापार को करने वाले अभिकरणों की संख्या मुझे ज्ञात नहीं है ।

**श्री गिडवानी** : १९५३–१९५४ में इन संस्थाओं द्वारा कुल कितनी धनरशि प्राप्त की गई थी और कितनी धनराशि पारिपोषिकों के रूप में बांटी गयी ?

**श्री दातार** : मुझे जानकारी नहीं हैं ।

**श्री गिडवानी** : वर्ग पहेली और प्रतियोगिता व्यापार पर सरकार कब निषेध लगाने की प्रस्थापना करती है ?

**श्री दातार** : सरकार राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं पर विचार कर रही है और यथासंभव शीघ्र एक विधेयक सभा के समक्ष रखने की आशा करती है ।

**श्रीमती सुषमा सेन** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार को विद्यार्थियों के लिए इन वर्ग पहेलियों के शैक्षणिक महत्व की बात है ?

**श्री दातार** : ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत थोड़ी है जिन्हें इस विषय से सम्बन्धित बुद्धि और चातुर्य की परीक्षा में अनुरक्ति है । सामान्य मत यह है कि यह एक कुचक्र है और इसे यदि पूरी तरह समाप्त न किया जाये, तो भी इस का नियंत्रण अवश्य किया जाना चाहिये ।

**वर्ग पहेलियां**

*१२००. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी १९५५ में दिल्ली में हुए विभिन्न राज्यों के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में "वर्ग पहेलियों" पर निषेध लगाने के प्रश्न पर विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस विषय में क्या निर्णय किया गया ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) जनवरी १९५५ में राज्यों के प्रधान मंत्रियों का कोई सम्मेलन नहीं हुआ था । राज्यों के गृह-मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था । उस में इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया था ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

**उधार पट्टा चांदी**

*२२०३. **श्री टी० बी० विट्ठलराव** : क्या **वित्त** मंत्री १ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो उधार पट्टा चांदी अमेरिका को लौटानी है, उस का परिमाण और मूल्य कितना है;

(ख) उसे कब लौटाना है;

(ग) क्या सरकार ने समय के बढ़ाये जाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या अमेरिका की सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है ?

**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा)** : (क) २२६० लाख औंस उत्तम चांदी जिस का मूल्य करीब ६६ करोड़ रुपये होगा ।

(ख) २८ अप्रैल, १९५७ तक ।

(ग) नहीं श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

**श्री टी० बी० विटठल राव** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन सौदों पर हमें कोई ब्याज देना है, और यदि हां, तो ब्याज की दर क्या है ?

**श्री ए० सी० गुहा** : मेरे विचार से कोई ब्याज नहीं है । वे केवल उन कतिपय वस्तुओं के सम्बन्ध में हैं जो उधार पट्टा समझौते के अधीन संभरित की गयी हैं, और मैं कह सकता हूं कि कोई ब्याज नहीं है ।

**अध्यापकों के वेतन**

*१२०६. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि मद्रास के संयुक्त राज्य ने बेल्लारी ज़िले में ज़िला बोर्ड हाई स्कूल के अध्यापकों को राज्य के विभाजन के पूर्व सरकारी वेतन स्तर के अनुसार वेतन के भुगतान करने का आदेश दिया था;

(ख) क्या यह तथ्य है कि अडोनी, अलूर और रायदुर्ग तालुकाओं में (जो पहले बेल्लारी ज़िले में थे), जो अब आन्ध्र राज्य में मिला दिये गये हैं, स्कूलों के अध्यापकों को अब तक एकीकरण के पूर्व जारी किये गये राज्य सरकार के आदेश के अनुसार वेतन नहीं दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो आन्ध्र सरकार ने इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

**शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) से (ग). यह विषय मुख्यतः मद्रास और आन्ध्र की राज्य सरकारों से सम्बन्धित हैं। भारत सरकार का इस में कोई सम्बन्ध नहीं है।

**श्री गाडिलिंगन गौड** : क्योंकि अब आंध्र राज्य राष्ट्रपति के शासन के अधीन है, अतः क्या मुझे उत्तर मिल सकता है ?

**डा० एम० एम० दास** : संभवतः कोई निर्णय नहीं किया गया है। अभी फिल हाल तो वह राष्ट्रपति के शासन के अधीन हैं। मैं इस प्रश्न के लिए सूचना चाहता हूं।

**गढ़वाल में कोयला-निक्षेप**

*१२०८. **श्री भक्त दर्शन**: क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ७३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज़िला गढ़वाल में लालढांग के निकट जिन कोयला निक्षेपों का पता लगा है उनके बारे में और कोई जांच हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले ?

**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी एक विवरण के रूप में सभा पटल पर रख दी गयी है। [**देखिये परिशिष्ट ६. अनुबन्ध संख्या ६८**]

**श्री भगत दर्शन** : यह जो विवरण पत्र प्रस्तुत किया गया है इस में यह बतलाया गया है कि इस सम्बन्ध में करन्ट विंटर सीज़न में जांच पड़ताल की जायगी, में जानना चाहता हूं कि यह विंटर सीज़न कब से कब तक चलता है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : हमारे कार्यक्रम के अनुसार बरसात के फ़ौरन ही खत्म होने के बाद काम करने के लिये तमाम पार्टियां देश भर में फैल जाती हैं और काम क़रीब अक्तूबर से शुरू होता है और मार्च या अप्रैल तक चलता है।

**श्री भगत दर्शन** : इस का अर्थ मैं समझता हूं कि आजकल यह कार्य जारी नहीं हैं और क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात आई है कि कई उद्योगिपतियों ने इस स्थान का निरीक्षण कर के यह सम्मति दी है कि यहां कार्य किया जा सकता है लेकिन जब तक कि जिओलाजिकल सर्वे विभाग का समर्थन न मिले कि वहां काफ़ी परिमाण में कोयला है तब तक वह कार्य नहीं किया जा सकता ?

**श्री के० डी० मालवीय** : उद्योगपतियों की छानबीन का तो पता सरकार को अभी नहीं है लेकिन जैसा मैं ने पहले भी इस प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जैसे ही हमें प्रदेशीय

सरकार से सूचना मिली और कुछ वहां के नमूने आये तो हम ने उन की जांच पड़ताल करायी और पूरी एनालिसिस के बाद ही यह मुनासिब समझा गया कि इस ऐरिया में विस्तृत अन्वेषण का काम अपने अगले कार्यक्रम में रख दिया जाय। अगला कार्यक्रम तो जाड़े से शुरू होता है, इसलिये इस जाड़े में जल्दी से जल्दी वह काम शुरू कर दिया जायगा।

**आन्ध्र में राजबन्दी**

*१२०९. **श्री केशवैयंगार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह दिखाया गया हो कि :

(क) निवारक निरोध अधिनियम के अधीन, १ अक्टूबर, १९५४ से २० फरवरी, १९५५ तक की अवधि में आन्ध्र राज्य में कितनी गिरफ्तारियां की गयीं और उन गिरफ्तारियों के क्या कारण थे; और

(ख) उन अपराधियों की श्रेणियां कौन सी है और उन के निरोध की अवधि क्या है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). इस अवधि में आन्ध्र राज्य में निवारक निरोध अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारियां नहीं की गयी हैं।

**श्री केशवैयंगार** : एक गिरफ्तारी भी नहीं ?

**श्री दातार**: "नहीं" में "एक भी नहीं" भी सम्मिलित है।

**श्री केशवैयंगार** : इस अवधि से पूर्व कितने व्यक्ति नज़रबन्द थे या गिरफ्तार किये गये थे ?

**श्री दातार** : उस के आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, परन्तु आशा यही है कि उन की संख्या बहुत ही कम रही होगी।

**शिक्षा संबंधी सार्जेंट योजना**

*१२१०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा सम्बन्धी सार्जेन्ट योजना को सम्पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो वह मुख्य सिफारिशें कौन सी हैं जिन का अब तक परिपालन किया गया है ?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

**श्री कृष्णाचार्य जोसी** : सार्जेन्ट योजना में ६ वर्ष से १४ वर्ष तक आयु के बालकों तथा बालिकाओं के लिये एक सर्वग्राही, निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की कल्पना की गई है। इसे स्वीकार किया गया है या नहीं ?

**डा० एम० एम० दास** : हमारे संविधान में भी निशुल्क प्राथमिक शिक्षा योजना की कल्पना की गई है और हम इस योजना को जो कि हमें इस आदर्श तक ले जायेगी कार्यान्वित कर रहे हैं।

**श्री एन० वी० चौधरी** : क्या सरकार यह विचार कर रही है कि वह, निशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने के उद्देश्य को, जिस का कि संविधान के निदेशक तत्वों में वचन दिया गया है, संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के भीतर पूरा कर लेगी ?

**डा० एम० एम० दास** : आशा हम अच्छी बात की ही करते हैं।

**डा० सुरेशचन्द्र**: जब कि निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का हमारे संविधान में उपबन्ध किया गया है तो फिर सार्जेन्ट को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को क्यों कहा गया था ?

**डा० एम० एम० दास** : मैं माननीय सदस्य को स्मरण कराना चाहता हूं कि सार्जेन्ट

प्रतिवेदन १९४४ में, अर्थात् हमारे संविधान के तैयार होने के बहुत पहले, प्रकाशित किया गया था ।

**अमरीका से औद्योगिक टेक्निशियन**

*१२१२. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:** क्या वित्त मंत्री ४ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-अमरीकी टेकनिकल सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत शीघ्र ही अमरीका से कुछ और औद्योगिक टेकनीशियन आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने; और

(ग) वे किन विभागों के विशेषज्ञ हैं ?

**वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत)** : (क) हां ।

(ख) ५ ।

(ग) १—रेजर ब्लेड बनाना ।

२—एलेक्ट्रोप्लेटिंग ।

३—लकड़ी के पेचों का उत्पादन ।

४—डीजेल इंजन तैयार करना ।

५—ढिबरी तथा पेंचों का बनाना ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : अभी तक कितने अमरीकन आ चुके हैं ?

**श्री बी० आर० भगत** : इस योजना के अन्तर्गत ?

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : हां ।

**श्री बी० आर० भगत** : ७ आ चुके हैं; ५ और आ रहे हैं। कुल संख्या २१ है, इस लिये ९ अभी और आने को हैं।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या मंत्रालय को ज्ञात है कि जहां तक डीजेल इंजन बनाने का सम्बन्ध है, बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय टेकनीशियन उपलब्ध हैं परन्तु उन को इस काम के लिये नहीं रखा गया है ?

**श्री बी० आर० भगत** : उस का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है । वे केवल नवीनतम टेकनीक तथा विकास के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये आ रहे हैं। जहां तक काम पर लगाने का सम्बन्ध है, तो यह तो एक पृथक् समस्या है ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : यह काम देने का प्रश्न नहीं है । मैं तो जानना यह चाहता हूं कि क्या मंत्रालय को यह ज्ञात है कि डीजेल इंजनों के बनाने से सम्बन्धित किसी भी मामले पर परामर्श देने की सामर्थ्य रखने वाले टैकनिकल व्यक्तियों की बहुत अधिक संख्या है फिर भी उन को सेवायुक्त नहीं किया गया है ।

**श्री बी० आर० भगत** : यदि उन का अभिप्राय टेकनिकल परामर्शदाताओं से है, तो मेरा विचार है कि यह प्रश्न वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के पास भेजा जाना चाहिये ।

**श्री के० के० वसु** : इस बात पर ध्यान देते हुए कि जिन उद्योगों के नाम अभी अभी लिये गये थे वे हमारे देश में मौजूद हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या टेकनीशियनों को अपने देश में आने के लिये आमंत्रित करने के पहले तत्सम्बन्धी उद्योगों से परामर्श किया गया था ?

**श्री बी० आर० भगत** : एक संचित करार के परिणामस्वरूप ऐसा किया गया है । इस के पहले विभिन्न विभागों तथा ग़ैर-सरकारी निकायों से भी प्रार्थनायें प्राप्त हुई थीं, उस के बाद प्राप्त हुई सभी प्रार्थनाओं को समाविष्ट करते हुए एक संचित करार किया गया था ।

**विभागीय समितियां**

*१२१३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री इन बातों को दिखाने वाले एक विवरण को सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) १५ अक्तूबर, १९५४ से इस

वर्ष के अन्त तक उन के मंत्रीलय द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न समितियों के नाम;

(ख) प्रत्येक समिति के निर्देश पद;

(ग) ऐसी प्रत्येक समिति में नाम-निर्देशित व्यक्ति पदेन अधिकारियों सहित; और

(घ) प्रत्येक समिति का कुल व्यय वेतनों, भत्तों, मानदेय तथा संस्थापन प्रभारों तथा लेखन सामग्री व प्रतिवेदनों के मुद्रण की लागत सहित ?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम०एम० दास)** : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या में जान सकता हूं कि यह जानकारी कब तक उपलब्ध हो जायेगी और क्या माननीय मंत्री मुझे उत्तर का कोई लगभग अनुमान बता सकते हैं ?

**डा० एम० एम० दास** : अभी तो यह संभव नहीं है ।

### तांबे की खानें

*१२१४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद राज्य में तांबे की खानों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो उन खानों से कितना तांबा प्राप्त होने की आशा है ?

**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख). मांगी जाने वाली जानकारी एक विवरण के रूप में सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६९ ]**

**श्री रघुनाथ सिंह** : सर्वे आप की आरम्भ हुई या नहीं ?

**श्री के० डी० मालवीय** : खनिज पदार्थ के अन्वेषण का कार्य दो हिस्सों में रहता है। एक प्रारम्भिक और दूसरा विस्तृत। प्रारम्भिक अन्वेषण तो हो गया है जैसा कि सूचना में दिया गया है। अब विस्तृत अन्वेषण का कार्य भी जहां तांबा पाया जाता है वहां शुरू किया जायेगा ।

**श्री मुहीउद्दीन** : तांबे के महत्व को देखते हुए, क्या सरकार अन्वेषण करने तथा तांबे की खानों के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्य करने का विचार करती है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : सरकार इस बात को मानती है कि चूंकि तांबा एक सामरिक महत्व वाली वस्तु है इसलिये उस के अन्वेषण की जरूरत बहुत ज्यादा है। इसीलिये सरकार देश के विभिन्न भागों में तांबे के अन्वेषण का एक कार्यक्रम आरम्भ कर रही है ।

**डा० सुरेशचन्द्र** : जब खानों के बारे में काम होगा तो उस समय उस काम को गवर्नमेन्ट अपने आप करेगी या खानों का काम करने वाले व्यक्तियों के हाथ में गवर्नमेन्ट यह काम देगी ?

**श्री के० डी० मालवीय** : हमारी मौजूदा नीति के अनुसार तांबे के निकालने का काम खान का काम करने वाला प्राईवेट सेक्टर कर सकता है ।

### भारतीय नागरिकता

*१२१६. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) ऐसे विदेशी नागरिकों की संख्या कितनी है जिन्होंने १५ अगस्त १९४७ से भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन पत्र दिये हैं ;

(ख) स्वीकृत किये गये आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है तथा अस्वीकृत किये गये आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, यदि कोई हों तो, जिन्होंने १५ अगस्त, १९४७ से भारतीय नागरिकता को त्याग दिया है या समुद्र पार के देशों में राजनीतिक आश्रय प्राप्त किया है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) २८५१.

(ख) (१) १५२५.
(२) १३२६.

यह आंकड़े १५ दिसम्बर, १९५३ तक के हैं। उस के बाद के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) आजकल भारतीय नागरिकता का विनियमन संविधान के भाग २ के उपबंधों द्वारा किया जाता है जिन में भारतीय नागरिकता के त्याग का कोई उपबन्ध नहीं है। जहां तक इस का सम्बन्ध है कि कितने व्यक्तियों ने समुद्रपार के देशों में राजनीतिक आश्रय प्राप्त कया है, सरकार को ऐसे किसी मामले का ज्ञान नहीं है।

**श्री डी० एन० तिवारी**: कोरिया से आने वालों में से कितने व्यक्तियों ने भारतीय नागरिकत के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं ?

**श्री दातार** : इस की जानकारी मेरे पास यहां नहीं है।

**श्री के० के० बसु** : क्या सरकार एक भारतीय नागरिकता अधिनियम प्रस्तुत करने का विचार करती है जैसा कि १९५१ में आश्वासन दिया गया था ?

**श्री दातार** : हां, जहां तक संभव हो सका सरकार इसी सत्र में इस सभा के सामने एक विधेयक रखने का विचार कर रही है।

### लेखकों को पोषण भत्ता

*१०१८. **सेठ गोविन्द दास**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ के अन्त तक कितने लेखकों को (अलग अलग भाषा के) केन्द्रीय सरकार द्वारा पोषण भत्ता दिया गया है ?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : इस का विवरण सभा के सामने है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७०]

**सेठ गोविन्द दास** : मैं ने इस प्रश्न में यह पूछा था कि ऐसे कितने सज्जन हैं जिन को इस प्रकार का पोषण भत्ता दिया जाता है ?

**डा० एम० एम० दास** मैं समझता हूं कि "दिया जाता है" और "दिया गया है" शब्दों में अन्तर है। जिन लेखकों को सरकारी मदद मिली है उन की संख्या और नाम हमारे पास हैं।

**सेठ गोविन्द दास**: जिन को यह पोषण भत्ता दिया गया उन के नामों के सम्बन्ध में सरकार ने जो निर्णय किया है वह उन भाषाओं की विशिष्ट संस्थाओं या व्यक्तियों की सिफ़ारिश के अनुसार किया है या किसी और प्रकार से किया है ?

**डा० एम० एम० दास** : हमारे देश के ग़रीब लेखकों को जो सरकारी मदद मिलती है उस के देने के तीन तरीक़े हैं। सब से पहले तो एक कमेटी बनाई गई है जिस के मेम्बर हमारे प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री हैं। दूसरा तरीक़ा यह है कि लेखकों की फ़ाइनैन्शियल कंडिशन अर्थात् आर्थिक अवस्था क्या है इस का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों से पूछा जाता है। तीसरा तरीक़ा यह है कि विभिन्न भाषाओं की जो साहित्यिक संस्थायें होती हैं, जैसे हिन्दी साहित्य सम्मेलन, उन से पूछा जाता है कि फ़लां लेखक किस दर्जे का है। जब हमें प्रान्तीय सरकारों से और इन साहित्यिक संस्थाओं से सूचना मिलती है तो उस को कमेटी के सामने पेश किया जाता है और कमेटी जो राय देती है उस के अनुसार मदद दी जाती है।

**श्रीमती मायदेव :** क्या मैं जान सकती हूं कि बम्बई प्रान्त के कितने लेखकों को मदद मिली है ?

**डा० एम० एम० दास :** बम्बई राज्य का हिसाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन गुजराती और कन्नड़ भाषाओं के कितने लेखकों को मदद मिली है इस की संख्या मेरे पास है ।

**हिन्देशिया के साथ वायुसेना करार**

*१२१९. **श्री अमजद अली :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हिन्देशिया की सरकार के साथ वायुसेना अधिकारियों के पारस्परिक आदान प्रदान के सम्बन्ध में कोई करार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) हिन्देशिया के साथ स्थापित की गई संदेशवाहक सेवा का मुख्य प्रयोजन क्या होगा ?

**रक्षा मंत्री (डा० काटजू) :** (क) हां ।

(ख) करार की मुख्य बातें यह हैं :

(१) दोनों वायु सेनाओं के अधिकारियों का पारस्परिक आधार पर अदल-बदल ।

(२) दोनों देशों के बीच एक संदेशवाहक सेवा ।

(ग) विमान चालकों को उड्डयन सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार का आमूल्य अनुभव देने के अतिरिक्त, सन्देश वाहक सेवा दोनों देशों को एक दूसरे के और निकट लायेगी ।

**श्री अमजद अली :** क्या मैं प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में जान सकता हूं कि इस प्रयोजन के लिये हिन्देशिया जैसे एक तुलनात्मक नये गणतंत्र को कैसे चुना गया ?

**डा० काटजू :** यह नये गणतंत्र का प्रश्न नहीं है । उस की ओर से प्रस्ताव आया, इस विषय पर चर्चा की गई और चूंकि दोनों देशों में परस्पर मैत्री थी इसलिये इस प्रबन्ध को स्वीकार कर लिया गया ।

**डा० सुरेशचन्द्र :** क्या सरकार मैत्री भाव रखने वाले अन्य देशों के साथ भी ऐसा विनिमय करने का विचार करती है ?

**डा० काटजू :** यदि कोई उचित अवसर आये तो यह भी हो सकता है ।

**त्रिवेन्द्रम् में गोरखा बटालियन**

*१२२०. **कुमारी एनी मैस्करीन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में नियुक्त गोरखा बटालियन के संधारण कर्मचारियों की संख्या में कमी करने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो कितनों को हटाया जायेगा ?

**रक्षा उपमंत्री श्री सतीश चन्द्र :** (क) हां ।

(ख) आगामी चार महीनों में काम में कमी हो जाने के कारण त्रिवेन्द्रम के एम० ई० एस० स्टाफ़ के १९ व्यक्तियों को कम करने का विचार है ।

**कुमारी एनी मैस्करीन :** क्या कोई ऐसा भी सुझाव दिया गया था कि उन को कुछ मास के लिये हटा देने के बजाय, उन का वेतन घटा दिया जाये जिस से उन को सेवायुक्त रखा जा सके ?

**श्री सतीश चन्द्र :** माननीय सदस्या ने एक पत्र लिखा था और उन को उत्तर भेजा जा चुका है ।

**कुछ माननीय सदस्य :** सभा को ज्ञात नहीं है ।

**अम्बाला छावनी बोर्ड**

*१२२१. **डा० सत्यवादी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बाला छावनी बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों ने बोर्ड की बैठकों का बहिष्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो झगड़े की विस्तृत बातें क्या हैं; और

(ग) इसे निबटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) से (ग). सिविल एरिया कमेटी के सभापति की हैसियत से उप प्रधान को निर्णायक-मत देने का अधिकार प्राप्त है या नहीं, इस विषय को ले कर अम्बाला केण्टोनमेन्ट बोर्ड के प्रधान और उप-प्रधान के बीच एक विवादग्रस्त प्रश्न उठ खड़ा हुआ जिस के फलस्वरूप केण्टोनमेन्ट बोर्ड ने १–१०–५४ को एक प्रस्ताव स्वीकृत किया कि उप-प्रधान को बोर्ड की सदस्यता से हटा दिया जाय । इस पर गैर-सरकारी सदस्यों ने बोर्ड की अगली बैठकों में भाग नहीं लिया । जनरल ऑफ़िसर कमांडिंग इन चीफ़ पश्चिमी कमान ने केन्टोन्मेन्ट्स एक्ट, १९२४ की धारा ५२ के अनुसार प्राप्त अपने अधिकार से इस प्रस्ताव को स्थगित कर के झगड़े को समाप्त कर दिया है ।

**डा० सत्यवादी** : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत आई हैं कि जो एग्जिक्यूटिव ऑफ़िसर हैं वह सरकारी और गैर-सरकारी मैम्बरों के झगड़े को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या गवर्नमेन्ट ने इस की तहकीक़ात की है ?

**श्री सतीशचन्द्र** : मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उस अधिनियम के पारित होने के पश्चात्, जिस पर संसद् में चर्चा हुई थी, क्या आज भी छावनी बोर्डों में सरकारी बहुमत है तथा क्या इन बोर्डों की शिकायतों में से यह भी एक शिकायत है ?

**श्री सतीशचन्द्र** : छावनी बोर्डों में सरकारी बहुमत है । रक्षा मंत्रालय ने जान बूझ कर यह नीति निश्चित की है कि छावनियों का, जो कि प्रथमतः सैनिकों के लिये हैं विशेष परिस्थितियों के हित के लिये वहां सरकारी बहुमत होना ही चाहिये ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या असैनिक क्षेत्र समितियों में उन को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है ?

**श्री सतीशचन्द्र** : असैनिक क्षेत्र समितियों का सभापति सदैव ही एक गैर-सरकारी व्यक्ति होता है ।

**संस्कृत शिक्षा के लिये आयोग**

*१२२४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में संस्कृत शिक्षा की वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिये तथा इस के सुधार के लिये सुझाव देने के हेतु कोई आयोग नियुक्त किया गया है ?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : जी नहीं ।

**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या केन्द्रीय सरकार इस बात को जानती है कि कई राज्य संस्कृत विश्व विद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं तथा यदि जानती है, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस कार्य को सहयोजित करने के लिये कोई प्रयत्न कर रही है ?

**डा० एम० एम० दास** : शिक्षा मंत्रालय सभी राज्यों को उन के क्षेत्रों में संस्कृत को शिक्षा देने के प्रबन्धों तथा संस्कृत की शिक्षा

की वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिये प्रस्तावित कार्यवाहियों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये लिखने का विचारकर रही है ।

**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या संस्कृत शिक्षा के सुधार का प्रश्न भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचारार्थ प्रश्नों में से एक होगा ?

**डा० एम० एम० दास** : यह तो विश्व-विद्यालयों पर निर्भर है ।

---

## अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

### मानसिंह के विरुद्ध पुलिस कार्यवाहियां

**अ० सू० प्र० ३, डा० रामसुभग सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसिंह तथा उस के गिरोह के विरुद्ध संयुक्त पुलिस कार्यवाहियों कीकमान ने पूर्वी कमान के सेना अधिकारयों से सहायता दिये जाने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सेना अधि-कारियों द्वारा इस प्रार्थना का परिपालन किया गया है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो पूर्वी कमान द्वारा क्या सहायता दी गई है; और

(घ) इन कार्यवाहियों में पूर्वी कमान द्वारा दी गई सहायता कितनी सीमा तक लाभदायक सिद्ध हुई है ?

**रक्षा मंत्री (डा० काटजू)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

**डा० राम सुभग सिंह** : क्या सरकार, पूर्वी कमान क्षेत्र की सुरक्षा के विचार से यह ठीक समझती है कि ३०० वर्ग मील के क्षेत्र को ऐसे डकैतों द्वारा त्रस्त रहने दिया जाये ?

**डा० काटजू** : यह कार्य मूलत: पुलिस का है । वही आन्तरिक सुरक्षा के लिये उत्तर-दायी है तथा सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सम्बन्धित राज्य सरकारें —चार सरकारें मध्य भारत, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तथा विन्ध्य प्रदेश इस से सम्बन्धित हैं—इस विभीषिका को दूर करने के लिये सभी क्रिया-कारी कार्यवाहियां कर रही हैं ।

**डा० राम सुभग सिंह** : क्या माननीय मंत्री द्वारा निर्दिष्ट इन चारों राज्यों से रक्षा मंत्रालय अथवा पूर्वी कमान के अधिकारियों को किसी प्रकार का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ?

**डा० काटजू** : शस्त्रास्त्र तथा उपकरणों के संभरण के लिये प्रार्थनायें की गई हैं तथा इन प्रार्थनाओं को स्वीकार कर के कार्यवाही की जा चुकी है ।

**डा० राम सुभग सिंह** : सब से पहले प्रार्थना कब की गई थी ? क्या माननीय मंत्री पुलिस बलों को दिये गये शस्त्रास्त्रों तथा उपकरणों का परिमाण बता सकती हैं ?

**डा० काटजू** : मेरे विचार से इस को बताना लोक-हित में नहीं होगा । यह तो एक ब्यौरे का विषय है ।

**श्री जोकीम आल्वा** : उस सीमान्त पर पुलिस द्वारा इस अशांति को दबाने में इतना अधिक समय लिये जाने की बात को ध्यान में रखते हुए, क्या रक्षा मंत्रालय इस में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है ?

**डा० काटजू** : हमारे हस्तक्षेप करने का प्रश्न ही नहीं है । १६०० सिपाही वहां हैं और वह यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं । कठिनाई भूमि प्रदेश की है ।

**डा० सुरेशचन्द्र** उठे—

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से हमें इस प्रश्न पर अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं देखता हूं कि कितने सदस्य मेरा ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा कर रहे हैं, परन्तु उन्होंने अपने स्थान बदल लिये हैं तथा जिहोंने स्थान बदल लिये हैं ; मैं उन को पहिचानने में असमर्थ हूं। मैं केवल इस का निर्देश ही कर रहा हूं।

**खान कर्मचारियों को खाद्यान्न देना बन्द किया जाना**

**अ० सू० प्र० ४. श्री गिडवानी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय खान कर्मचारी संघ ने अपने सभी सम्बद्ध कार्मिक संघों को भारतीय खनन संस्था के कर्मचारियों को खाद्यान्न के संभरण के बन्द किये जाने के निर्णय को दृष्टि में रखते हुए, तुरन्त ही कोयला खदानों को हड़ताल की पूर्व सूचना दे देने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खनन संस्था द्वारा कर्मचारियों को खाद्यान्न के संभरण के बन्द किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही की है; और

(घ) उस के ब्यौरे क्या हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई)** : (क) से (घ). भारतीय खनन संस्था ने, कोयला खदानों के सदस्य कर्मचारियों को पूर्व सूचना दी थी कि २८ मार्च, १९५५ से कोयला खदानों की सभी अनाज की दूकानों से खाद्यान्नों का दिया जाना बन्द कर दिया जायेगा तथा कर्मचारियों को वर्तमान नक़द रियायत के साथ साथ २॥ आने की रक़म प्रति उपस्थिति के हिसाब दी जायेगी। भारतीय राष्ट्रीय खान कर्मचारी संघ से सम्बद्ध कर्मचारी संस्थाओं ने संस्था के निर्णय का विरोध करते हुए सम्बद्ध कोयला खदानों के प्रबन्धकों को हड़ताल की पूर्व सूचना दे दी। सरकार ने इस विषय पर संस्था से चर्चा की तथा उसे अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (कोयला विवाद) द्वारा अनाज विषयक रियायतों के सम्बन्ध में कोई निर्णय दिये जाने तथा स्थिति को यथापूर्व बनाये रखने के लिये राजी कर लिया। अब संस्था ने सरकार को सूचित किया है कि उस की इच्छाओं के प्रति आदर प्रकट करते हुए खाद्यान्न न देने के उस के पूर्व निर्णय को अब कार्यान्वित नहीं किया जायेगा।

**श्री गिडवानी** : ऐसी कितनी खानें हैं जिन को रियायती दरों पर खाद्यान्न दिये जा रहे हैं, ली जाने वाली रियायती दरें क्या हैं, तथा प्रति वर्ष इस में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त होती है ?

**श्री खण्डूभाई देसाई** : इस सूचना के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

**श्री गिडवानी** : जो विभिन्न समवाय इन कोयला खदानों का प्रबन्ध कर रही हैं उन को कितना कितना वार्षिक लाभ होता रहा है ?

**श्री खण्डूभाई देसाई** : मुझे खेद है कि इस के लिये भी मुझे पूर्व सूचना अपेक्षित होगी।

**श्री गिडवानी** : कितनी कोयला खदानें विदेशियों की सम्पत्ति हैं तथा कितनी भारतीयों की ?

**श्री खण्डूभाई देसाई** : इस के लिये भी मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी।

**श्री पी० सी० बोस** : क्या खान कर्मचारियों को अनाज का देना बन्द कर देना, जब कि कोयला खान औद्योगिक न्यायाधिकरण का सत्र हो रहा हो विधि का उल्लंघ नहीं है, और यदि है, तो सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

**श्री खण्डूभाई देसाई** : यही प्रश्न उत्पन्न हुआ था तथा हम ने खान स्वामी संघ को बताया था कि यह धारा ३३ का उल्लंघन है तथा इसीलिये उन्होंने अनाज रियायत को जारी रखने का निश्चय किया है ।

**श्री टी० बी० बिट्ठल राव** : क्या खान कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने के लिये नियुक्त पुनर्निमित न्यायाधिकरण अपना कार्य नये सिरे से प्रारम्भ करेगा, तथा यदि हां, तो क्या सरकार इस न्यायाधिकरण के निर्देश पदों में अन्तरिम सहायता के प्रश्न को भी सम्मिलित करने का विचार करती है क्योंकि मल न्यायाधिकरण, एक वर्ष पूर्व बनाया गया था ?

**श्री खण्डूभाई देसाई** : खान कर्मचारियों की सभी शिकायतें इस न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट कर दी गई हैं तथा हमें न्यायाधिकरण के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

**श्री टी० बी० विट्ठलराव** : प्रश्न यह है मूल न्यायाधिकरण एक वर्ष पूर्व नियुक्त किया गया था । अब दूसरा न्यायाधिकरण बनाया गया है । एक वर्ष के इस विलम्ब को दृष्टि में रखते हुए, क्या सरकार अन्तरिम सहायता के प्रश्न को भी इस न्यायाधिकरण के निर्देश पदों में सम्मिलित करने का विचार करती है ?

**श्री खण्डूभाई देसाई** : मेरे विचार से सरकार के समक्ष कोई नई मांगें प्रस्तुत नहीं की गई हैं ।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### अ-नियमित कमीशन प्राप्त अफ़सर

*११७९. **श्री राधारमण** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र-बलों की तीनों सेवाओं में इस समय कुल कितने अ-नियमित कमीशन प्राप्त अफ़सर हैं;

(ख) इन में से कुल कितने अफ़सरों को पिछले दो वर्षों में स्थायी कमीशन दिये गये हैं;

(ग) इन अ-नियमित कमीशन प्राप्त अफ़सरों के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है; और

(घ) क्या इस थोड़ी अवधि की सेवा के समाप्त हो जाने के पश्चात् इन युवकों को अन्य किसी प्रकार की नियुक्तियां देने के लिये सरकार के पास कोई वैकल्पिक प्रस्थापना है ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) तीनों सेवाओं में इस समय अ-नियमित कमीशन प्राप्त अफ़सरों की संख्या ४५६३ है ।

(ख) १९५३–१९५४ में, ५०६ अ-नियमित अफ़सरों को स्थाई-नियमित कमीशन दिये गये थे ।

(ग) जिन अ-नियमित कमीशन प्राप्त अफ़सरों को नियमित पदाली में नियुक्त किये जाने योग्य समझा गया है उन को स्थायी-नियमित कमीशन दे दिये गये हैं । शेष को उस समय तक के लिये, जब कि उन की सेवाओं की आवश्यकता हो, अ-नियमित अफ़सर के रूप में कार्य करते रहने दिया गया है ।

(घ) सशस्त्र बलों की सेवा से अलग होने के पश्चात् इन अफ़सरों को गैर-सरकारी स्वामियों अथवा सरकार के अधीन वैकल्पिक असैनिक नियुक्तियां प्राप्त करने में यथासंभव सहायता दी जाती है ।

### बुनियादी शिक्षा का साहित्य

*११८३. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को ने भारत में, 'बुनियादी शिक्षा' के साहित्य की विकास सम्बन्धी परियोजना के व्यय के लिये ४०,००० रुपय की धनराशि दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुदान का किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

**छोटी बचत योजना**

*११८९. **श्री इब्राहीम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी बचत योजना के अधीन, तीनों प्रकार के विनियजनों में ३१ दिसम्बर, १९५४ तक अलग अलग, कुल कितनी धनराशि विनियोजित की गई; और

(ख) किस राज्य ने सब से अधिक अंशदान दिया है ?

**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा)** : (क) संभवतः यह सूचना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों, कोष बचत निक्षेप प्रमाणपत्रों तथा डाकखाना बचत बैंक निक्षेपों के सम्बन्ध में १ अप्रैल, १९५४ से ३१ दिसम्बर, १९५४ तक की अवधि के विषय में मांगी गई है । इस योजना में इस अवधि में विनियोजित पूंजी लगभग इस प्रकार रही है :

| | (लाख रुपये) |
|---|---|
| राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र | १३,४३ |
| कोष बचत निक्षेप प्रमाण पत्र | ३,८७ |
| डाकखाना बचत बैंक | १३,०९ |
| जोड़ | ३०,३९ |

इस के अतिरिक्त, इसी अवधि में राष्ट्रीय योजना प्रमाणपत्रों तथा १५ वर्षीय वार्षिक प्रमाणपत्रों में, जो कि इसी वर्ष में प्रारम्भ किये गये हैं, लगभग ६,१८ लाख रुपये का शुद्ध विनियोजन हुआ ह ।

(ख) विनियोजित पूंजी के राज्यवार आंकड़े केवल ३० नवम्बर, १९५४ तक के प्राप्य हैं । उस तिथि तक सब से अधिक विनियोजन बम्बई राज्य में किया गया था ।

**इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण**

*११९१. **चौधरी रघुवीर सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री उन व्यक्तियों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्हें १९५४–५५ में इंजीनियरिंग में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस–८६/५५]

**विदेशी ऋण**

*११९२. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक और अन्य विदेशों से कुल कितने रुपये का ऋण लिया है; और

(ख) उन्हें प्रति वर्ष कितना सूद देय है ?

**वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत)** : (क) भारत सरकार ने भारतीय मुद्रा के विनिमय में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से ९९०.९८ लाख डॉलर क्रय किये हैं जो ४७.६१ करोड़ रुपये के बराबर होते हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास के बैंक से तथा विदेशों से लगभग १२२.९७ करोड़ रुपये का ऋण लिया गया है ।

(ख) सूचना देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७१]

**खनिज तेल का सर्वेक्षण**

*११९५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह:** क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तेल का सर्वेक्षण और खोज करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस विभाग स्थापित करने के लिये हाल ही में कोई निर्णय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कृत्य होंगे; और

(घ) प्रविधिक कर्मचारियों के अभाव को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जाने की प्रस्थापना है ?

**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) से (घ). मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७२**]

**छावनी भू-धृति**

*१२०१. **श्री टेक चन्द** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा छावनी भू-धृति के विषय में कुछ निर्णय किये गये हैं और समस्त सेना सम्मत्ति अफसरों और कार्यपालिका अफसरों को आदेश दे दिये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस विषय पर एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार जारी किये गये आदेशों तथा प्रेस नोट की प्रतियां पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं किन्तु अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) अभी तक इस विषय में कोई सरकारी प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

**दिल्ली में चोरियां**

*१२०२. **श्री चट्टोपाध्याय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि दिसम्बर, १९५४ से फरवरी, १९५५ तक अर्थात् केवल तीन महीनों की अवधि में नई दिल्ली के (१) लेडी हार्डिग रोड (२) बेयर्ड रोड और (३) एडवर्ड स्क्वायर के क्षेत्रों में अनेक चोरियां हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अकेले एडवर्ड स्क्वायर में ही एक रात में आठ चोरियां हुई थीं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि काली-बाड़ी, दिल्ली में काली देवी के आभूषण चुरा लिये गये हैं ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)**: (क) निम्नलिखित स्थानों से इन चोरियों की सूचना दी गई थी :—

| | |
|---|---|
| (१) लेडी हार्डिग रोड | १ |
| (२) बेयर्ड रोड | २ |
| (३) एडवर्ड स्क्वायर | १ |
| कुल | ४ |

(ख) नहीं ।

(ग) हां ।

**तस्कर-व्यापार**

*१२०४. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४ में पूर्निया की सीमा पर तस्कर व्यापार के कोई आमले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पकड़े गये और दंड दिये गये तस्करों की संख्या कितनी है;

(ग) उन में भारतीय तथा पाकिस्त । तस्करों की क्रमशः संख्या क्या है;

(घ) क्या उन में से किसी के पास इन देशों में से किसी का पारपत्र था, और यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है; और

(ङ) १९५४ में नाक-बन्दियों पर पकड़े गये सामान का कुल मूल्य कितना है ?

**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा)** : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) १९५४ में पकड़े गये तथा दण्डित तस्करों की संख्या क्रमशः ३३५ और ११६ थी । किसी को कारावास दंड नहीं दिया गया क्योंकि किसी भी मामले को अदालत में नहीं ले जाया गया ।

(ग) भाग (ख) में उल्लिखित ३३५ व्यक्तियों में ३१० भारतीय थे और शेष २५ पाकिस्तानी थे ।

(ख) इन में से किसी के पास किसी भी देश का पारपत्र नहीं था ।

(ङ) १९५४ में पकड़े गये सामान का कुल मूल्य ८,३६,००० रुपये था ।

### केन्द्रीय सचिवालय

*१२०६. **श्री अच्युतन** : क्या गृह-कार्य मंत्री सभा पटल पर इन बातों को दिखाने वाला एक विवरण को रखने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सचिवालय और उस के दिल्ली स्थित संलग्न कार्यालयों में (१) एसिस्टेंटों (२) अपर डिवीजन क्लर्कों और (३) लोअर डिवीज़न क्लर्कों की श्रेणियों में १ जनवरी, १९४८ को कितने स्थान रिक्त थे और उस के बाद से १ जनवरी, १९५५ तक रिक्त स्थानों की संख्या क्या रही;

(ख) कितने स्थानों की पूर्ति की गई और किस प्रकार की गई; और

(ग) उक्त स्थानों में कितने व्यक्तियों की सीधी भर्ती की गई और भर्ती का स्रोत क्या था ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). परिशिष्ट सहित एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७३]

### त्रिपुरा में हाई स्कूल

*१२०७. **श्री दशरथ देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के ग्राम्य क्षेत्रों में इस समय कितने हाई स्कूल हैं;

(ख) ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी है जिन्होंने हाई स्कूलों में परिवर्तित किये जाने के लिये आवेदन किया है; और

(ग) ग्राम्य क्षेत्रों में हाई स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० ए० एम० दास)** : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर पटल पर रख दी जायगी ।

### प्रशिक्षण विद्यालयों में गवेषणा कार्य

*१२११. **श्री राधा रमण** : क्या शिक्षा मंत्री १५ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर १९५४ के अन्त तक विभिन्न ट्रेनिंग कालिजों (प्रशिक्षण विद्यालयों) में प्रारम्भ की गई गवेषणा योजनाओं में क्या प्रगति हुई है ?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० ए० दास)** : एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७४]

**अफीम**

*१२१५. **श्री इब्राहीम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में मध्य भारत और उत्तर प्रदेश में कितने एकड़ भूमि पर अफ़ीम की खेती की गई; और

(ख) १९५३ की तुलना में यह फ़सल कैसी है ?

**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा)** : (क) और (ख) १९५३-५४ औ १९५४–५५ के अफ़ीम वर्षों में मध्य भारत और उत्तर प्रदेश में जितने एकड़ भूमि पर अफ़ीम की खेती की गई उस को दिखाने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७५]**

**विदेशों से सांस्कृतिक सम्बन्ध**

*१२१७. **चौधरी रघुवीर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अफ्रीकियों को हिन्दी सिखाने तथा अफ्रीका में हिन्दी के अध्यापक तथा डाक्टर भेजने के लिये कुछ निधि का आवंटन किया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष कितने अध्यापक और डाक्टर अफ़्रीका भेजे गये थ ?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) हां श्रीमान्, जहां तक भारत स्थित अफ्रीकी विद्यार्थियों को हिन्दी सिखाने का सम्बन्ध है यह सच है किन्तु अफ्रीका में अध्यापक या डाक्टर भेजने के सम्बन्ध में नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

**पाकिस्तान से अवैध प्रवेश**

*१२२२. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में पूर्निया जिले (बिहार) में अवैध रूप से प्रविष्ट होने के कारण कितने पाकिस्तानी गिरफ्तार किये गये; और

(ख) उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) ७८ ।

(ख) उन पर मुक़द्दमा चलाया गया और उन्हें विभिन्न अवधियों के लिये कारावास दंड दिया गया ।

**आदिम जाति के विद्यार्थियों को मुफ़्त पुस्तकें**

*१२२३. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के आदिम जाति के विद्यार्थियों ने उच्च कक्षाओं की पढ़ाई के लिये मुफ्त पुस्तकें दिये जाने के लिये आवेदन किया है;

(ख) ऐसे प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या कितनी है;

(ग) १९५५ में अभी तक आदिम जाति के कितने छात्रों को इस प्रकार मुफ्त पुस्तकें दी गई हैं; और

(घ) क्या सरकार आदिम जाति के अन्य छात्रों को भी ऐसी सुविधायें देगी ?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

**लोक साहित्य**

*१२२५. **चौधरी रघुवीर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में जनता के उपयोग के लिये

लोक साहित्य को प्रकाशित करने के लिये एक केन्द्रीय समिति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा इस विषय में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस समिति के सदस्यों के । हैं ?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं ! होते हैं ।

**पाकिस्तानी ध्वजारोहण**

*१२२६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या गृह-कार्य मंत्री २२ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद राज्य के विभिन्न भागों में पाकिस्तानी ध्वजारोहण सम्बन्धी जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में और क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) हां ।

(ख) गिरफ्तार किये गये दो व्यक्तियों के मामले अदालत में विचाराधीन हैं और पांच व्यक्तियों के विरुद्ध वारंट जारी किये गये हैं ।

**विदेशी वायु-सेनाओं के अफसरों का प्रशिक्षण**

*१२२७. **श्री एम० एस० गुरुपाद-स्वामी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की विभिन्न वायु-सेना अकादमियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विदेशी वायु-सैनिकों तथा वायु-सेना के अफसरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या प्रशिक्षण का व्यय सम्बन्धित सरकारों द्वारा दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिये कितनी रकम दी जाती है ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) ३६ ।

(ख) विदेशों के वायुसेना कर्मचा ों के प्रशिक्षण व्यय का अधिकतर भाग सम्बन्धित सरकारों द्वारा ही दिया जाता है ।

(ग) प्रशिक्षण के कई पाठ्यक्रम हैं और विभिन्न पाठ्यक्रमों के व्यय भी अिन्न भिन्न हैं । इसे सामान्यता कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के आधार पर निश्चित किया जाता है ।

**शायर गालिब के लिये स्मारक**

*१२२८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शायर गालिब का स्मारक बनाने के लिये सरकार विचार कर रही है ?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : जी नहीं ।

**अम्बाला छावनी**

*१२२९. **डा० सत्यवादी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बाला छावनी में छावनी क्षेत्र से असैनिक क्षेत्र को अलग करने के बारे में अन्तिम निश्चय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस की कार्यान्विति कब तक होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो अभी स्थिति क्या है ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) इस समय यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) यह प्रश्न अभी विचाराधीन है कि कितने क्षेत्र का उच्छेदन किया जाये। राज्य सरकार से परामर्श किया जा रहा है।

**फोटो ग्राफ लेना**

*१२३०. **कुमारी एनी मैस्करीन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशियों को हमारे देश के फोटो ग्राफ़ लेने की स्वतंत्रता है; और

(ख) क्या सरकार उन के इस देश में फ़ोटोग्राफ़ लेने पर कोई नियंत्रण करती है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). भारतीय वायुयान नियमों तथा विधि द्वारा आरोपित कतिपय प्रतिबन्धों को छोड़ कर भारतीयों तथा विदेशियों को समान रूप से फोटो ग्राफ़ लेने की स्वतन्त्रता है।

**छावनी बोर्ड**

३३७. **डा० सत्यवादी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बाला, जालन्धर, फ़िरोजपुर, कसौली, सुबालू और डागशाई छावनी बोर्डों में प्रत्येक श्रेणी के, भंगियों तथा मेहतरों के अतिरिक्त, कर्मचारियों की संख्या क्या है और उन में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) भंगियों तथा मेहतरों के अतिरिक्त चालू वर्ष में की गई नई नियुक्तियों की संख्या तथा उत्संख्या क्या है और उन में अनुसूचित जाति वालों की संख्या कितनी है ?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) और (ख). दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७६]

**रडियो गवेषणा समिति**

३३८. **श्री पी० एन० राजभोज :** क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो गवेषणा समिति की प्रेरणा पर १९५४ में क्या क्या गवेषणा कार्य किये गये; और

(ख) क्या उक्त वर्ष में किये गये गवेषणा कार्यों को अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक रेडियो संघ द्वारा अनुमोदित किया गया है ?

**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७७]

**केन्द्रीय भु-भौतिकी बोर्ड**

३३९. **श्री पी० एन० राजभोज :** क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५४ में पुनः संगठित किये जाने के पश्चात् केन्द्रीय भू-भौतिकी बोर्ड की कितनी बैठकें हुईं और उस की मुख्य गतिविधियां क्या रहीं;

(ख) क्या बोर्ड द्वारा सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उस की एक प्रति सदन पटल पर रखी जायेगी ?

**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७८]

**त्रिपुरा में माध्यमिक स्कूल**

३४०. **श्री बीरेन दत्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों को स्कूल के भू-गृहादि के

निर्माण के हेतु १९५४–५५ में पृथक् रक्षित की गई धनराशि व्यय हो गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) कोई भी गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूल त्रिपुरा सरकार के सहायता अनुदान के नियमों में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं ।

**अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को समुद्रपार छात्रवृत्तियां**

३४१. **श्री के० एस० गौंडर :**
**चौधरी रघुवीर सिंह :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४ में अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों अथवा चिकित्सा, इंजीनियरिंग इत्यादि में गवेषणा कार्य करने के लिये निर्धारित १२ समुद्रपार छात्रवृत्तियों के प्रदान के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ग से, राज्यवार, कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए; और

(ग) चुने गये अभ्यर्थियों के नाम, आयु, अर्हतायें क्या हैं, किस पाठ्यक्रम के लिये उन को चुना गया है, और वह किस वर्ग तथा राज्य के हैं ?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी हां ।

(ख) प्राप्त आवेदन-पत्रों की कुल संख्या २९९ थी । ब्यौरे वार सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि आवेदन-पत्र संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्राप्त किये गये थे ।

(ग) अभी अन्तिम रूप से चुनाव नहीं किये गये हैं ।

**निरुद्ध व्यक्ति**

३४२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि निवारक निरोध अधिनियम की अधीन अभी कितने व्यक्ति, राज्यवार, निरुद्ध किये गये हैं ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : मैं लोक सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत करता हूं जिस में स्थिति, जैसी कि २८–२–१९५५ को थी बताई गई है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७९]

**राष्ट्रीय योजना ऋण**

३४३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय योजना ऋण में सरकार तथा पंजाब की जनता द्वारा कितना धन दिया गया है; और

(ख) किस ज़िले का नाम सूची में सर्व प्रथम था ?

**वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय योजना ऋण में पंजाब का कुल अंशदान कोई दस करोड़ रुपये का था । ज़िला-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

**छात्र वृत्तियां**

३४४. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५४ में किन किन भारतीय विद्यार्थियों को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के हेतु छात्रवृत्तियां दी गयी थीं, और उन्हें किस किस देश में भेजा गया था; तथा

(ख) उसी वर्ष के दौरान में, (१) भारतीय विद्यार्थियों से विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के हेतु और (२) विदेशी विद्यार्थियों से भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के हेतु, छात्रवृत्तियों के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क)

| | | |
|---|---|---|
| १. | कुमारी ऑलिव टोपोक्र | ब्रिटेन |
| २. | श्री एल० के० पंडित | स्विट्जरलैण्ड |
| ३. | श्री एस० के० त्रिहन | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| ४. | श्री राजकुमार वर्मा | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| ५. | श्री वंगमैरियो शैजा | ब्रिटेन |

(ख) (१) २५४

(२) २९१

**विदेशों में भारतीय**

३४५. **सेठ गोविन्द दास** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने व्यक्ति १९५४ में भारतीय नागरिकता छोड़ विदेशों में बसने के लिये गये; और

(ख) उक्त अवधि में कितने व्यक्ति भारतीय नागरिकता ग्रहण करने के ध्येय से भारत आये ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). भारतीय नागरिकता को अभी संविधान के अनुच्छेद ५ से ८ तथा ९ के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। इन से निश्चय किया जाता है कि २६ जनवरी, १९५० को कौन भारतीय नागरिक था, जब तक कि विस्तृत नागरिकता विधि न बन जाये। चूंकि २६ जनवरी, १९५० के बाद भारतीय नागरिकता को छोड़ने अथवा स्वीकार करने का कोई संकेत नहीं है अतः मांगे हुए समाचार की संख्या शून्य है।

**चीनी सांस्कृतिक मंडल**

३४६. **सेठ गोविन्द दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी सांस्कृतिक मंडल के स्वागत आदि पर भारत सरकार ने कितना रुपया व्यय किया ?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव सभा के सामने रख दी जायेगी।

---

# लोक सभा

# वाद-विवाद

शुक्रवार,
१८ मार्च, १९५५

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

(खंड २, १९५५)

(१४ मार्च से ३१ मार्च १९५५)

1st Lok Sabha

नवम सत्र, १९५५

(खंड २ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली।

# विषय-सूची

(खण्ड २, अंक १६ से ३०--१४ मार्च से ३१ मार्च, १९५५)

अंक १६--सोमवार, १४ मार्च, १९५५


| | स्तम्भ |
|---|---|
| राजा त्रिभुवन का निधन . . . . | १४८१--८४ |
| संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव असमाप्त . . . | १४८४--१५७८ |
| श्री जवाहरलाल नेहरू | १४८४--९८ |
| श्री एन० सी० चटर्जी | १४९९--१५०५ |
| श्री एच० एन० मुकर्जी | १५०६--१२ |
| श्री अशोक मेहता . | १५१२--१८ |
| श्री पाटस्कर . . | १५१८--४७ |
| श्री फ्रैंक एन्थनी | १५४७--५२ |
| डा० कृष्णस्वामी . . | १५५२--५९ |
| श्री सी० सी० शाह . . . | १५५९--६७ |
| श्री वी० जी० देशपांडे . . | १५६७--७८ |


अंक १७--मंगलवार, १५ मार्च, १९५५


| | |
|---|---|
| राज्य-सभा से संदेश . . | १५७९--८० |
| पटल पर रखा गया पत्र-- | |
| लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (डाक व तार), १९५५, भाग १ . | १५८० |
| सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--आठवां प्रतिवेदन----उपस्थापित | १५८० |
| संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक संयुक्त समिति को सौंप गया | १५८०--१६८२ |
| श्री वी० जी० देशपांडे . . | १५८१--८४ |
| श्री गाडगील . | १५८४--८९ |
| श्री तुलसीदास | १५८९--९६ |
| श्री यू० एम० त्रिवेदी | १५९६--९९ |
| श्री वेंकटरामन | १५९९--१६०५ |
| पण्डित ठाकुर दास भार्गव . | १६०५--१८ |
| श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी | १६१८--२२ |
| श्री पुन्नूस | १६२२--२६ |

स्तम्भ

श्री बी० एस० मूर्ति . . . . . १६२६—२८
श्री पी० एन० राजभोज . . . . . १६२८—३५
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . . . . १६३५—५३
श्री बर्मन . . . . . १६५३—५५
श्री एस० एन० दास . . . . . १६५५—६१
श्री राघवाचारी . . . . . १६६१—६३
श्री जवाहरलाल नेहरू . . . . . १६६३—७९

अत्यावश्यक पण्य विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . १६८२

अंक १८—बुधवार, १६ मार्च, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

कलकत्ता बन्दरगाह में काम बन्द हो जाना १६८३

पटल पर रखे गये पत्र—

जापान के रेशम उद्योग के बारे में समाचार पत्रिका . . १६८४

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचना १६८४

राज्य सभा से सन्देश . . १६८४-८५

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षता विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पटल पर रखा गया . . . १६८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—तेईसवां प्रतिवेदन

—उपस्थापित . . . . . १६८५

गेहूं के लाने ले जाने पर से प्रतिबन्धों को हटाने के बारे में वक्तव्य . . १६८५—८७

१९५५-५६ का सधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—असमाप्त . . . . १६८७—१७७०

अंक १९—गुरुवार, १७ मार्च, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . १७७१—७२

अनुपस्थिति की अनुमति . . १७७२—७३

१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—असमाप्त १७७३—१८५६

अंक २०—शुक्रवार, १८ मार्च, १९५५ ।  स्तम्भ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
पांडिचेरी में हड़ताल . . . . . १८५७—६३
१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त . . . . १८६३—१९०१
गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . १९०१—०२
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक—
(नई धारा १५क का रखा जाना)—विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत १९०२—३३
श्री टी० बी० विट्ठल राव . . . १९०२—०५
श्री डी० सी० शर्मा . . . . १९०५—०९
श्री केशवैयंगार . . . . १९०९—१२
श्री साधन गुप्त . . . . १९१२—१५
श्री आर० आर० शास्त्री . . १९१५—२४
डा० सत्यवादी . १९२५—२७
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . . १९२७—२८
श्री खंडूभाई देसाई . . . १९२८—३२
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक (धारा ५ का संशोधन)—
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त १९३३—४६
श्री यू० सी० पटनायक . . . १९३३—३९
श्री बोगावत . . . . . १९३९—४१
श्री शिवमूर्ति स्वामी . . . . १९४१—४६
श्री भागवत झा आज़ाद . १९४६

अंक २१—शनिवार, १९ मार्च, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
कलकत्ता पत्तन में हड़ताल . . १९४७—४९
पटल पर रखे गये पत्र—
खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, १९५५ . . . १९४९
१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त . . १९५०—२०७५
राज्य सभा से सन्देश . २०७५—७८

अंक २२—सोमवार, २१ मार्च, १९५५ स्तम्भ


विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . . २०७७

१९५५-५६ के लिये साधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—समाप्त . . . . . २०७७—२१२९

अत्यावश्यक पण्य विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . २१२९—२१७५

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . २१२९—३४, ३५

श्री अमजद अली . . २१३४—३५

श्री यू० एम० त्रिवेदी . . २१३५—३९

श्री वेंकटरामन् २१३९—४३

कुमारी एनी मैस्करीन . . . . २१४३—४५

पंडित ठाकुर दास भार्गव . . . २१४५—६२

श्री तुषार चटर्जी . . . . . २१६२—६४

डा० सुरेश चन्द्र . . . . . २१६४—६८

श्री राघवाचारी . . . . . २१६८—७०

श्री नन्द लाल शर्मा . . . . . २१७०—७२

श्री कानूनगो . . . . . २१७३—७५

खण्ड २ से ७क . . . . . २१७५—९०


अंक २३—मंगलवार, २२ मार्च, १९५५


राज्य सभा से सन्देश . . . . . २१९१—९३

फ्रन्टियर मेल की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . . . २१९३—९४

अत्यावश्यक पण्य विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . . २१९४—२२०२

खण्ड १ और ८ से १५ . . . . . २१९४—२२०२

पारित करने का प्रस्ताव . . . . . २२०२

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . . . २२०२

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—

मांग संख्या ९९—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . २२०३—८८

मांग संख्या १००—संभरण . . . २२०३—४६

मांग संख्या १०१—अन्य असैनिक निर्माण-कार्य . . २२०३—४६

मांग संख्या १०२—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण . . . २२०३—४६

मांग संख्या १०३—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २२०३—४६

| | स्तम्भ |
|---|---|
| मांग संख्या १३६—नई दिल्ली पर पूंजी व्यय . | २२०३—४६ |
| मांग संख्या १३७—भवनों पर पूंजी व्यय . . . | २२०३—४६ |
| मांग संख्या १३८—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय | २२०३—४६ |
| मांग संख्या ६४—श्रम मंत्रालय . | २२४५—८८ |
| मांग संख्या ७०—मुख्य खान निरीक्षक . . | २२४५—८८ |
| मांग संख्या ७१—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . | २२४५—८८ |
| मांग संख्या ७२—काम दिलाऊ दफतर तथा पुनस्संस्थापन . | २२४५—८८ |
| मांग संख्या ७३—अर्सैनिक रक्षा . | २२४५—८८ |
| मांग संख्या १२९—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय . | २२४५—८८ |
| कोयला खानों में दुर्घटनायें . . | २२८७—९८ |


## अंक २४—बुधवार, २३ मार्च, १९५५


पटल पर रखे गय पत्र—

| | |
|---|---|
| अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३७वें अधिवेशन में गये हुए भारत सरकार के प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन . . . | २२९९ |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— | |
| चौबीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . | २२९९ |
| संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित | २३०० |
| सभा का कार्य . . . | २३००—०२ |
| १९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— | २३०२—२४२० |
| मांग संख्या ६९—श्रम मंत्रालय . . | २३०२—३६ |
| मांग संख्या ७०—मुख्य खान निरीक्षक . . | २३०२—३६ |
| मांग संख्या ७१—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . | २३०२—३६ |
| मांग संख्या ७२—काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुनर्स्संथापन. | २३०२—३६ |
| मांग संख्या ७३—अर्सैनिक रक्षा . . | २३०२—३६ |
| मांग संख्या १२९—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय . | २३०२—३६ |
| मांग संख्या ९०—पुनर्वास मंत्रालय . . | २३०२—३६ |
| मांग संख्या ९१—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय | २३३६—२४२० |
| मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय . | २३३६—२४२० |
| मांग संख्या १३२—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय | २३३६—२४२० |

अंक २५—गुरुवार, २४ मार्च, १९५५ ।


| | स्तम्भ |
|---|---|
| तारांकित प्रश्न संख्या २३३ के उत्तर की शुद्धि | २४२१ |
| मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक— | |
| पुरःस्थापित . . | २४२१—२२ |
| १९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— | २४२२—२५५४ |
| मांग संख्या ९०—पुनर्वास मंत्रालय . | २४२२—४० |
| मांग संख्या ९१—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय . . | २४२२—४० |
| मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय | २४२२—४० |
| मांग संख्या १३२—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय | २४२२—४० |
| मांग संख्या ४१—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय | २४३९—२५५४ |
| मांग संख्या ४२—वन | २४३९—२५५४ |
| मांग संख्या ४३—कृषि . . . | २४३९—२५५४ |
| मांग संख्या ४४—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें . . . | २४३९—२५५४ |
| मांग संख्या ४५—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय . . . . | २४३९—२५५४ |
| मांग संख्या १२१—वनों पर पूंजी व्यय . . | २४३९—२५५४ |
| मांग संख्या १२२—खाद्यान्नों का क्रय . . . | २४३९—२५५४ |
| मांग संख्या १२३—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय | २४३९—२५५४ |


अंक २६—शुक्रवार, २५ मार्च, १९५५ ।


| | |
|---|---|
| १९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . | २५५६--९६,२६१०-११,२६५९—६४ |
| मांग संख्या ४१—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . | २५५६—६८ |
| मांग संख्या ४२—वन . . . | २५५६—६८ |
| मांग संख्या ४३—कृषि . . . . . | २५५६—६८ |
| मांग संख्या ४४—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें . . . | २५५६—६८ |
| मांग संख्या ४५—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय . | २५५६—६८ |
| मांग संख्या १२१—वनों पर पूंजी व्यय . . | २५५६—६८ |
| मांग संख्या १२२—खाद्यान्नों का क्रय . . . . | २५५६—६८ |
| मांग संख्या १२३—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . | २५५६—६८ |
| मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . | २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४ |
| मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी सेना . | २५६९--९६,२६१०--११,२६५९—६४ |

मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी-नौ सेना २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी—वायु बल २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें, अक्रियाकारी व्यय २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय . २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—पारित २५९७—२६१,०२६११—१६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौबीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . २६१६

श्रमिकों द्वारा सामूहिक संपणन के बारे में संकल्प—अवरुद्ध . . २६१६—१९
मूल्यों के असंतुलन के बारे में संकल्प—अवरुद्ध . . २६१९—२५
नदी घाटी योजनाओं के बारे में संकल्प—
वापिस लिया गया . . . २६२५—६०

अंक २७—सोमवार, २८ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—
भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का १९५२-५३ के लिये वार्षिक प्रतिवेदन २६६५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . २६६५—६६
राज्य सभा से सन्देश . . . २६६६—६७
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . . २६६८—२७७६
मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . . २६६८—२७७६
मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी-सेना . . २६६८—२७७६
मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौ सेना . २६६८—२७७६
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी वायुबल . २६६८—२७७६
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें, अक्रियाकारी व्यय २६६८—२७७६
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय . . २६६८—२७७६

अंक २८—मंगलवार, २९ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण . २७७७-७८
आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा . . २७७८
राज्य सभा से सन्देश . . . २७७८-७९
वित्त विधेयक—याचिका उपस्थापित . २७७९

| | स्तम्भ |
|---|---|
| १९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— | २७७९—२८९४ |
| मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . . . | २७८१—२८०० |
| मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें क्रियाकारी सेना . . . | २७८१—२८०० |
| मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौसेना | २७८१—२८०० |
| मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें क्रियाकारी—वायु बल | २७८१—२८०० |
| मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें अक्रियाकारी व्यय | २७८१—२८०० |
| मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय | २७८१—२८०० |
| मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय . . . . | २७९९—२८९४ |
| मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) . . | २७९९—२८९४ |
| मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान . | २७९९—२८९४ |
| मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा | २७९९—२८९४ |
| मांग संख्या ९—उड्डयन . . . . . | २७९९—२८९४ |
| मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय | २७९९—२८९४ |
| मांग संख्या १०८—भारतीय डाक तथा तार घर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) . . . | २७९९—२८९४ |
| मांग संख्या १०९—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय | २७९९—२८९४ |
| मांग संख्या ११०—संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय | २७९९—२८९४ |


अंक २९—बुधवार, ३० मार्च, १९५५ ।


| | |
|---|---|
| राज्य सभा से सन्देश . . . . . | २८९५ |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति— | |
| पच्चीसवां प्रतिवेदन —उपस्थापित | २८९५ |
| १९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— | २८९५—२९१८ |
| मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय . . . . | २८९५—२९१४ |
| मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) . | २८९५—२९१४ |
| मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान . | २८९५—२९१४ |
| मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा | २८९५—२९१४ |
| मांग संख्या ९—उड्डयन . . . . . | २८९५—२९१४ |
| मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . . . . | २८९५—२९१४ |
| मांग संख्या १०८—भारतीय डाक तथा तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) . . | २८९५—२९१४ |
| मांग संख्या १०९—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय | २८९५—२९१४ |
| मांग संख्या ११०—संचार मंत्रालय पर अन्य पूंजी व्यय . | २८९५—२९१४ |

| | स्तम्भ |
|---|---|
| मांग संख्या ४६—स्वास्थ्य मंत्रालय . . . . | २९१४—४७ |
| मांग संख्या ४७—चिकित्सा सेवायें . . . . | २९१४—४७ |
| मांग संख्या ४८—लोक स्वास्थ्य . . . . | २९१४—४७ |
| मांग संख्या —स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय . | २९१४—४७ |
| मांग संख्या १२४—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय . . | २९१४—४७ |
| मांग संख्या ७६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय . | २९४७—९८ |
| मांग संख्या ७७—भारतीय भू-परिमाप . . . | २९४७—९८ |
| मांग संख्या ७८—वानस्पतिक सर्वेक्षण . . | २९४७—९८ |
| मांग संख्या ७९—प्राणकीय सर्वेक्षण . | २९४७—९८ |
| मांग संख्या ८०—भूतत्वीय सर्वेक्षण . | २९४७—९८ |
| मांग संख्या ८१—खानें . . . | २९४७—९८ |
| मांग संख्या ८२—वैज्ञानिक गवेषण . . . . | २९४७—९८ |
| मांग संख्या ८३—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . | २९४७—९८ |
| मांग संख्या १३०—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय | २९४७—९८ |


अंक ३०—गुरुवार, ३१ मार्च, १९५५ ।


| | |
|---|---|
| पटल पर रखे गये पत्र— | |
| समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . | २९९९ |
| राज्य सभा से सन्देश . . . . . | २९९९—३००० |
| वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . . . . | ३००० |
| हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक—पुरःस्थापित . . | ३०००-०१ |
| रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक— | |
| प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . | ३००१ |
| सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि . . | ३००१-०२ |
| १९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— | |
| मांग संख्या २१—आदिम जाति क्षेत्र . | ३००१—८२,३०८२—३१०० |
| मांग संख्या २२—वैदेशिक कार्य . . | ३००१—८२,३०८२—३१०० |
| मांग संख्या २३—पांडिचेरी राज्य . . | ३००१—८२,३०८२—३१०० |
| मांग संख्या २४—वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय | ३००१—८२,३०८२—३१०० |
| मांग संख्या ११३—वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय | ३००१—८२,३०८२—३१०० |
| संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक— | |
| संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . | ३०८२ |


---

GIPD—HS—41 LSL—13-8-55—240

# लोक सभा

शुक्रवार, १८ मार्च, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

## प्रश्नोत्तर

(देखिये—भाग १)

१२-०८ म० प०

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

### पांडीचेरी में हड़ताल

**श्री के० के० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : नियम २१६ के अधीन, मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान निम्न लिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इस पर एक वक्तव्य दें :

> "भारती कपड़ा मिल, पांडिचेरी के श्रमिकों द्वारा हाल ही में की गई "कैंडे रहो हड़ताल" के सम्बन्ध में सरकार द्वारा मलाबार विशेष पुलिस द्वारा उन्हें पिटवाने और घायल कराने से उत्पन्न होने वाली स्थिति।"



**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री** (**श्री अनिल के० चन्दा**) : मेरा वक्तव्य कुछ लम्बा सा है, अतः इसे सभा-पटल पर रखने की अनुमति दी जाय।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरा विचार है कि इसे पढ़ कर सुनाना ही अच्छा रहेगा।

**श्री अनिल के० चन्दा** : १५ फर्वरी, १९५५ को भारती कपड़ा मिल, पांडिचेरी के पलानी नामक एक मिल मजदूर ने वहां के प्रबन्धक वर्ग से यह प्रार्थना की थी कि उसे उस दिन के लिये बेकार रखने की अपेक्षा निम्न स्थान पर ही नौकर रख लिया जाय, और प्रबन्धक वर्ग ने उस की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्रमिक संघ का प्रधान भी उस के इस प्रकार के नियोजन पर सहमत हो गया। तो भी अलवर नामक एक कट्टर साम्यवादी जिस का कि श्रमिक-संघ में कोई स्थान न था, इस मामले में हस्तक्षेप करने लगा। वह अन्य मजदूरों से भी झगड़ने लगा और मिल के प्रबन्धक वर्ग को इस बात की धमकी देने लगा कि यदि पलाई को अपने पूर्ववर्ती स्थान पर न लिया गया तो मिल में हड़ताल कर दी जायगी। अलवर को अच्छी प्रकार से समझा दिया गया था कि इस प्रबन्ध को पलाई ने स्वयं स्वीकार किया है और वह व्यर्थ में ही मिल में आन्दोलन तथा अशान्ति फैला रहा है जबकि श्रमिक-संघ में उस का कोई स्थान नहीं। अलवर ने प्रबन्धक वर्ग की ओर बड़ा ही अपमानपूर्ण और कठोर व्यवहार अपना

[ श्री अनिल के० चन्दा ]

लिया । इस से पूर्व भी अलवर को, कर्तव्य-हीनता, दुर्व्यवहार, समय पर काम पर न आने और अन्य श्रमिकों के काम में हस्तक्षेप करने के अपराधों पर तीन बार चेतावनी दी जा चुकी थी । उस के इस अनुशासन-हीनता तथा धमकियों से पूर्ण व्यवहार को देख कर प्रबन्धक वर्ग ने उसे इस आशय का एक नोटिस दे दिया कि यदि वह क्षमा नहीं मांगेगा तो उसे पदच्युत कर दिया जायगा और क्योंकि अलवर ने क्षमा मांगने से इनकार कर दिया, अतः उसे २४ फर्वरी, १९५५ की शाम को काम से अलग कर दिया गया ।

उपरोक्त घटना से, साम्यवादियों को, इन मिलों में हड़ताल कराने का एक बहाना मिल गया । उन के निदेशानुसार अलवर के हटाये जाने के विरोध में, २६ फर्वरी, १९५५ की शाम को मज़दूरों ने "बैठे रहो हड़ताल" प्रारम्भ कर दी । पांडिचेरी शासन के श्रम निरीक्षक ने मामले की जांच की और मज़दूरों को यह सम्मति दी कि वे हड़ताल करने का निश्चय त्याग दें और विधि के अनुसार श्रम-न्यायाधिकरण से अपील करें । तो भी इस परामर्श की कोई परवाह न करते हुए श्रमिक संघ ने उस अलवर को किसी न किसी प्रकार से मिल के अन्दर प्रविष्ट करा दिया और फिर "बैठे रहो हड़ताल" जारी रखी । वे दिन की पारी के मज़दूरों को बाहिर आने से रोकने लगे और रात्रि की पारी के मज़दूरों को मिल का कोई भी कार्य करने से मना करने लगे । पुलिस पदाधिकारियों तथा श्रमिक-निरीक्षक ने उन्हें समझाने का यथासम्भव प्रयत्न किया । कुछ मज़दूरों ने अपने कार्य को जारी रखने की इच्छा भी प्रकट की, परन्तु साम्यवादियों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया । फ्रांसीसी विधियों के अनुसार, जोकि अभी तक वहां लागू हैं, कोई भी हड़ताल घोषित करने से पूर्व कम से कम सात दिन पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिये । ऐसा नोटिस नहीं दिया गया था, अतः पांडिचेरी सरकार ने इस हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया ।

काम करने के इच्छुक मज़दूरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई । लगभग ३०० ग़ैर-साम्यवादी श्रमिकों ने प्रबन्धक वर्ग तथा सरकार से यह आग्रह किया कि उन्हें अपना कार्य जारी रखने की अनुमति दी जाय और साम्यवादी हड़तालियों से उन की रक्षा की जाय । साम्यवादी मज़दूरों को जब यह ज्ञात हुआ कि इतने अधिक मज़दूर अपने कार्य को जारी रखने के इच्छुक हैं तो उन्हों ने मिल के सभी द्वारों पर छकड़े और बड़े बड़े ड्रम रख कर उन्हें रोक दिया और कुछ व्यक्तियों को पास के मकानों की छतों पर बिठला दिया कि अन्दर जाने वाले व्यक्तियों पर वे पत्थर बरसायें ।

पहली मार्च को काम करने के इच्छुक मज़दूरों ने मिल के सम्मुख प्रदर्शन करते हुए यह प्रार्थना की कि उन्हें फिर से काम पर वापिस लिया जाय । मिल के प्रबन्धक वर्ग ने २ मार्च को मिल खोल दी और पांडिचेरी सरकार से प्रार्थना की कि इन मजदूरों की रक्षा की जाय । साम्यवादियों ने जब इन मजदूरों पर पत्थर फैंके और इन्हें मार डालने की धमकी दी, तो ये मज़दूर झगड़े से बचने के लिये पिछले द्वार से प्रविष्ट होने लगे । यहां भी साम्यवादियों ने द्वार रोक लिये और वे उन्हें अन्दर प्रविष्ट होने से रोकने लगे । जब प्रबन्धक वर्ग ने इच्छुक मजदूरों को मिल में आ जाने के लिये द्वार खोल देने का प्रयत्न किया तो हड़तालियों ने उन्हें रोक लिया, अन्य हड़तालियों को भी उन्हों ने बुला लिया और प्रबन्धक वर्ग पर पत्थर आदि फैंकने प्रारम्भ कर दिये । इस गंभीर स्थिति

को देखते हुए पुलिस ने अपने साथ इच्छुक मज़दूरों को ले कर मिल में प्रवेश किया और आक्रमणकारी हड़तालियों को चेतावनी दी कि वे बाधा डालने अथवा मार पीट करने का प्रयत्न न करें। एक दर्जन से भी अधिक साम्यवादी मज़दूरों ने पुलिस के सिपाहियों पर आक्रमण कर दिया परन्तु सिपाहियों ने उन्हें केवल बेंतों की सहायता से भगाने का प्रयत्न किया। इस सारे झगड़े के परिणामस्वरूप सात मज़दूरों को छोटे छोटे घाव लगे जिन में से एक को सिर पर आंध इंच लम्बा साधारण घाव लगा। उन सभी व्यक्तियों का हस्पताल में इलाज किया गया। उन में से दो व्यक्तियों को केवल प्राथमिक सहायता देने के उपरान्त ही वापिस भेज दिया गया और अन्य व्यक्तियों को अग्रेतर निरीक्षण के लिये रोक लिया गया। पुलिस पक्ष में से पांच सिपाहियों और दो पुलिस पदाधिकारियों को छोटी छोटी चोटें आई थीं। मिल के एक पहरेदार को भी, जिस ने मिल का द्वार खोलने का प्रयत्न किया था, हड़तालियों द्वारा घायल किया गया। मिल के ग्यारह मजदूरों को, जिन्हों ने पुलिस पर आक्रमण किया था, पकड़ लिया गया। अन्ततः साम्यवादी मिल से बाहिर निकल गये और काम करने के इच्छुक लगभग ३०० मज़दूरों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया और इस प्रकार २ मार्च से मिल नियमित रूप से कार्य करने लगी।

श्री नम्बियार ने अपने नोटिस में जो यह अधिरोप लगाया है, कि पुलिस ने मजदूरों को जिन में सैंकड़ों स्त्रियां थीं, पीटा और घायल किया और उन का कोई डाक्टरी इलाज नहीं किया गया, पूर्ण रूपेण निराधार है। पांडिचेरी साम्यवादी पार्टी के नेता, श्री सुबिया, ने भी सरकार के विरुद्ध इसी प्रकार के निराधार आरोप लगाये हैं। पांडिचेरी के मुख्य सचिव और पुलिस के महानिरीक्षक ने उस से जब यह कहा कि वे उस के साथ जा कर घायल को देखने के लिये तैयार हैं तो उस ने इनकार कर दिया और यह कहने लगा कि उस की यह जानकारी, कि एक सौ से भी अधिक मज़दूर घायल हुए हैं, उस के साथियों द्वारा दी गई सूचनाओं पर आधारित है। सुबिया ने यह भी स्वीकार कर लिया कि उस को प्राप्त होने वाली सूचनाओं के अनुसार पुलिस ने केवल छड़ियों का ही प्रयोग किया था।

मुख्य सचिव ने उसे बताया कि सरकार किसी भी हड़ताल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी, परन्तु वह यह भी सहन नहीं करेगी कि वे अन्य मज़दूरों तथा प्रबन्धक वर्ग के किसी भी कार्य में कोई बाधा डालें अथवा हिंसा पूर्ण कार्य करें। सुबिया ने सहयोग करने की प्रतिज्ञा की, और साम्यवादी मज़दूरों ने मिल-द्वार पर कुछ देर और प्रदर्शन करने के उपरान्त ३ मार्च को प्रातः अपना काम फिर से नियमित रूप से प्रारम्भ कर दिया।

सुबिया इस आश्वासन देने के उपरान्त भी ३ मार्च की प्रातः को साम्यवादियों ने एक और शरारत करने का प्रयत्न किया जबकि पुलिस को आ कर कार्यवाही करनी पड़ी। लगभग ११-३० बजे १५० अन्य साम्यवादियों को अपने साथ ले कर कुछ साम्यवादी नेताओं ने इस उद्देश्य से सभी को इकट्ठा करना प्रारम्भ कर दिया कि मुदलियार-पेट के मेयर नन्दगोपाल पर आक्रमण किया जाय, और इस आक्रमण करने का कारण यह बताया गया था कि उस के ग्राम के बहुत से मज़दूरों ने भारती मिल में काम करना फिर से प्रारम्भ कर दिया था। कथवरायन तथा अरूमुघम के नेतृत्व में १५० साम्यवादियों का यह समूह, नन्दगोपाल के विरुद्ध नारे लगाता हुआ और उसे धमकियां देता हुआ उस के घर की

[श्री अमिल के० चन्दा]

ओर बढ़ा । उधर से नन्दगोपाल के पक्ष के मोलव अरिपुथिरी नामक एक व्यक्ति ने अपने पक्ष के पचास व्यक्ति एकत्रित कर लिये और मुबिया के विरुद्ध नारे लगाने लगा । सौभाग्य से, उसी क्षण यह सूचना पास ही के पुलिस थाने में पहुंच गई, और पुलिस-निरीक्षक अपने साथ कुछ सिपाही ले कर उसी समय वहां पर आ पहुंचा, जबकि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर गालियों और पत्थरों की बोछाड़ कर रही थीं । पुलिस ने उस अवैध जमघट को खदेड़ दिया और साम्यवादियों में से सात और अन्य पार्टी में से चार मुख्य उपद्रवी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया । पुलिस की जांच पूर्ण हो चुकी है और अब यह मामला न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जायगा ।

---

## १९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक

### सामान्य चर्चा

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम, साधारण आय-व्ययक पर अग्रेतर चर्चा प्रारम्भ करेंगे । परन्तु मैं माननीय सदस्यों से अवश्य कह देना चाहता हूं कि वे इस पर भाषण देते समय अधिक समय न लें । प्रत्येक वक्ता के लिये लगभग १० मिनट पर्याप्त रहेंगे ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : दस मिनट के इस थोड़े से समय में सदस्य अपने विचार प्रकट नहीं कर सकेंगे । अतः यह कालावधि १५ मिनट तक बढ़ा दी जाय ।

**अध्वक्ष महोदय** : बात यह है कि यह एक सामान्य चर्चा है, और इस में प्रत्येक बात पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालना आवश्यक नहीं है । अतः इस में अधिक समय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं । तो भी मैं उस समय की बात को माननीय सदस्यों पर ही छोड़ता हूं ।

**श्री मुहीउद्दीन** (हैदराबाद नगर): कल, मैं यह बता रहा था कि कई शताब्दियों के उपरान्त आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं । इस का सारा श्रेय पंचवर्षीय योजना तथा हमारे वित्त मंत्री को है । आज देश में अन्न की कमी का कोई भय नहीं । साम्यवादियों के उपद्रवों का भी कोई डर नहीं । परन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि हम अब इतने से ही सन्तुष्ट हो कर बैठ रहें ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

वित्त मंत्री ने इस बात की ओर निर्देश किया है कि अब हमारी प्रशासनीय व्यवस्था पूर्ण रूपेण सुधर गई है, इसीलिये तो हम इस योजना को इतनी सफलतापूर्वक चला सके हैं । परन्तु मैं नहीं समझता कि हमारी प्रशासनीय व्यवस्था इतनी सुधर गई है । पंच वर्षीय योजना के अधीन विभिन्न योजनाओं के लिये उपबन्धित निधियों को पूर्ण रूपेण नहीं लगाया जा सका है—इस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि प्रशासन-व्यवस्था अभी उचित प्रकार से नहीं चल रही है । अतः मेरा यह सुझाव है कि सरकार तथा योजना आयोग इस प्रश्न पर अच्छी प्रकार से सोच विचार करें कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न प्रकार की योजनाओं को किस प्रकार से पूर्ण सफल बनाया जा सकता है ।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात कह देना चाहता हूं और वह यह कि विभिन्न राज्यों को तुलनात्मक आधार पर, अनुदान और सहायतायें दी गई हैं । इस के सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देता हूं कि अधिक सम्पत्ति-स्रोतों वाले राज्यों को कम सम्पत्ति-स्रोतों

वाले राज्यों के बराबर ही अनुदान नहीं दिया जाना चाहिये ।

छोटे पैमाने के उद्योगों तथा बड़े पैमाने के उद्योगों के संरक्षण के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है । परन्तु मेरा विचार है कि इस प्रकार के रक्षण कर देने से ही उत्पादन तथा रोज़गार की समस्या हल नहीं हो जायगी । इस के लिये तो शिल्पविज्ञान की पूरी सहायता लेनी होगी । कुटीर उद्योगों के लिये तीन चार संस्थायें स्थापित करने का आप ने निर्णय तो कर लिया है, परन्तु उत्पादन शिल्पविज्ञान की सहायता के बिना नहीं बढ़ सकेगा । अतः मेरा सुझाव है कि छोटे तथा बड़े उद्योगों के प्रयोग के लिये अधिक धन-निधि संभरित की जाय ।

मेरा एक और सुझाव यह है कि सामुदायिक परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के लिये मूल्य-निर्धारण करने वाली एक समिति नियुक्त की जाय जोकि यह देखे कि हमारा धन कहीं व्यर्थ में नाश तो नहीं हो रहा है ।

**श्री ए० एन० विद्यालंकार** (जालन्धर) : मैं प्रारम्भ में अपने वित्त मंत्री महोदय को उन की बजट स्पीच के लिये धन्यवाद देता हूं और मैं समझता हूं कि उन के योग्य हाथों में भारत के फाइनेंसेज़ बहुत ही सुरक्षित हैं । जहां तक हमारे फ़ंड्स का ताल्लुक़ है और जहां तक हमारी आमदनी और खर्च का ताल्लुक़ है और उसे मिलाने का ताल्लुक़ है, हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारा बजट और हमारे बजट की जो नीति है, वह बहुत ही साउंड है और मज़बूत है । हमारी साख दूसरे देशों के अन्दर बहुत ज्यादा अच्छी है और देश के अन्दर भी अच्छी है और इस बात की कोई घबराहट नहीं है कि हमारी आर्थिक नीति में कहीं पर ढीलापन है या उस के अन्दर कहीं पर कोई ऐसी बात है जो खतरे की हो । हमारा ज्यादा खर्च डेवलपमेंट पर बढ़ रहा है, और हमारा प्रोडेक्शन, हमारा उत्पादन, ज्यादा बढ़ रहा है । यह सब फ़ीचर्स ऐसे हैं कि जिन के लिये हमारे वित्त मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं और उन को धन्यवाद देना चाहिये । मैं यह समझता हूं कि जो हमारा बजट है, जो हमारी आर्थिक स्थिति है वह इतनी साउंड है, इतनी मज़बूत है कि इस के अन्दर हम इस वक्त से ज्यादा बोल्ड तरीके से ज्यादा हौसले के साथ आगे बढ़ सकते हैं । मैं यह चाहता हूं कि गवर्नमेंट जितना हौसला इस वक्त डेफ़िसिट फ़ाइनेंस के अन्दर दिखला रही है, उस से कुछ ज्यादा हौसला दिखलाये और गवर्नमेंट कुछ ज्यादा आगे बढ़े । मैं मानता हूं कि डेफ़िसिट फ़ाइनेंस में हम काफ़ी हौसले के साथ काम कर रहे हैं लेकिन अभी और काफ़ी आगे बढ़ने और हौसले के साथ काम करने की गुंजायश है ।

इस वक्त हमारे सामने मिसाल के तौर पर सब से बड़ी समस्या अनएम्पलायमेंट की है, बेकारी की है, उस के सम्बन्ध में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि अनेक सदस्य इस सम्बन्ध में काफ़ी कह चुके हैं लेकिन मैं यह समझता हूं कि अगर हम बोल्ड तरीक़े से और ज्यादा हौसले के साथ काम नहीं करेंगे और जिस तरीक़े से हम गणनायें करते हैं और जो गणनायें पेश की गई हैं, उसी तरीक़े से ही हम चलेंगे तो यह बेकारी की समस्या बहुत समय के बाद हल हो सकेगी । बेकारी की यह समस्या तो ऐसी है, जैसे कि अभी उस दिन हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था और सही तौर पर कहा था कि हम भले ही अपना हिसाब लगाते रहें, हम अपनी गणनाओं को गिनते रहें लेकिन जो लोग बेकार हैं या जो लोग भूखे हैं, वह इन्तज़ार नहीं कर सकते । मैं यह मानता हूं कि मेरे देश के अन्दर कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है कि कोई बेकारी की वजह से या भूख की वजह

[ श्री ए० एन० विद्यालंकार ]

से मर रहा हो, यह हमारी ज़िन्दा एकोनामी की हमारी मज़बूत एकोनामी की एक मिसा है, लेकिन हमें देखना है कि सिसक सिसक कर मरना एकदम मर जाने से ज्यादा तक़लीफ़-देह होता है ।

इस समय हमारी जनता के अन्दर, असन्तोष है और आज वह असन्तोष बढ़ता जाता है क्योंकि वह आधी बेकारी के अन्दर हाफ एम्प्लायमेन्ट के अन्दर सिसक सिसक कर अपना जीवन गुज़ार रहे हैं । आज इस कारण से हमारे देश में काफी असन्तोष का वातावरण है हमारे देश में आज इतनी साउन्ड एकानामी रहते हुए लोगों में जो उत्साह होना चाहिए था, इतना प्रोडक्शन रहते हुए जो उत्साह लोगों में होना चाहिए था वह उत्साह आज प्रतीत नहीं होता। बजट का जिस तरह से स्वागत हुआ है, जो कुछ रायें बजट के ऊपर दी गई हैं उनसे भी यही दी प्रतीत होता है कि एक तरफ जहां लोगों में उत्साह है कि हमने सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी को अपना आदर्श माना है, हमने कहा है कि वही हमारा उद्देश्य है, वहां दूसरी तरफ उससे जो उत्साह लोगों में पैदा होना चाहिए था डैवलपमेंट स्कीम्स से जो विशेष उत्साह पैदा होना चाहिये था, वह पैदा नहीं हो सका । हमें सोचना चाहिये कि अगर कोई गलती है तो वह कहां पर है, अगर कोई क़मी है तो वह कहां पर है और हमें उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिये । जैसा मैं ने कहा कि लोग पूरे हौसले से काम नहीं कर रहे हैं, हम और आप भी हौसले से काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें उन उसूलों को, जिन को कंज़र्वेटिव उसूल कहा जाता है, पुराने ढांचे और पुराने अर्थ शास्त्र के अनुसार हम ने जो उसूल बनाये हुए हैं, उन को थोड़ा सा बदलना होगा । मिसाल के तौर पर जैसी कि हम बहस भी कर रहे हैं कि हम प्रिंटिंग प्रेस पर डिपेन्ड कर रहे हैं । हम कोशिश कर रहे हैं कि जो काम हों उन को हम प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर चलायें । मैं समझता हूं कि अभी और गुंजाइश है और हम को प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर और बोझ डालना चाहिये । मैं समझता हूं कि सिर्फ सोने के रूप में, फारेन एक्सचेंज के रूप में जो हमारी सिक्योरिटीज हैं उनके आधार पर हम नोट्स का एक्सपैन्शन कर रहे हैं, लेकिन आज की अवस्था में, आज गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज़ हैं वह इस बात की डिमान्ड करते हैं कि हम और ज्यादा प्रिंटिंग प्रेस की मदद लें । मैं समझता हूं कि यदि हम इस बात को सामने रक्खें तो देश के सारे रिसोर्सेज़ इस काबिल हैं कि हम प्रिंटिंग प्रेस का और ज्यादा एक्सपैन्शन करें । इस के अन्दर कोई खराबी नहीं है । जब हम दूसरे ऐसे एक्सपैन्शनों के साथ इस बात को रखते हैं कि जो पेपर करेंनसी का एक्सपैन्शन है वह दूसरे एक्स-पैन्शनों को बैलेन्स करता है या नहीं तो हम देखते हैं कि जो हमारा कमोडिटी प्रोडक्शन है, जो हमारा आर्थिक प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है वह उसे बैलेन्स नहीं करता है । अगर दोनों चीजें बराबर बैलेन्स कर दी जायें तो हमें किसी बात का खतरा नहीं है चाहे हम कितनी ही पेपर करेन्सी का एक्सपैन्शन कर दें । हां एक चीज का खतरा जरूर मालूम होता है और वह यह कि आज हमारी पेपर करेन्सी काफी एक्सपैन्ड हो रही है, हमारा काफी रुपया जा रहा है, अगर हम बजट के फिगर्स को देखें तो पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी बड़ी रकमें व्यय करते हैं देहाती एकानामी के अन्दर, हम करोड़ों रुपये की रकमें अपनी देहाती अर्थव्यवस्था के अन्दर फैंक रहे हैं, शहर की अर्थ व्यवस्था के अन्दर नहीं । हमें देखना होगा कि वह जो रुपया हम खर्च

करते हैं उस में से कितना रुपया देहातों के अन्दर रह जाता है, कितना रुपया देहात के लोगों की पर्चेजिंग पावर बढ़ाने में मदद देता है। हमें यह देखना होगा कि हम जितना रुपया खर्च करते हैं कहीं वह वहां खर्च हो कर उलट कर कुछ आदमियों के हाथ में तो नहीं आ जाता है, कुछ आदमियों के हाथों में तो कंसेन्ट्रेट नहीं हो जाता है। हमें देखना होगा कि हमारी जितनी कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स की स्कीम हैं या दूसरी स्कीम्स हैं, जिन को हम देहातों में चला रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस में से एक बड़ी रकम उस प्रोजेक्ट का प्रबन्ध करने वालों के हाथ में चली जाती हो या उन के हाथों में चली जाती हो जो सामान तैयार करते हों। मिसाल के तौर पर मैंने बजट में देखा है कि हमारी कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स की एक बड़ी रकम मोटरों को खरीदने में और पेट्रोल खरीदने में, सरकारी कर्मचारियों की तन्ख्वाहों में या और इसी तरह के कामों में खर्च हो जाती है। तो जहां हमें इसे तब्दील करना है जहां हम अपने एक्सपैन्शन के ढांचे को बदलना चाहते हैं और अपने यहां अर्थ व्यवस्था को, हमारी जो आमदनी की आज, व्यवस्था है, उस को ठीक करना चाहते हैं वहां हमें अपने खर्च की व्यवस्था को भी बदलने की कोशिश करनी चाहिये। अभी तक हमारी खर्च व्यवस्था के अन्दर काफी गुंजाइश है, उस में काफी लूप होल्स हैं। हमारी काफी स्कीम्स ऐसी हैं जिन में से हमारा रुपया ज़ाया हो जाता है। अभी हम ने उसे ठीक नहीं किया है। जितने हमारे डिपार्टमेन्ट्स का एक्स्पैन्शन हुआ है उस में इस की काफ़ी गुंजाइश है और हम उस को चेक कर सकते हैं। आज हम अपने इन कामों के अन्दर जो खर्च करते हैं और उन के लिये जो बजट बनाया जाता है उस में से बहुत सारा रुपया सरकारी अफसरों की तन्ख्वाहों में और दूसरी चीजों में खर्च हो जाता है। हम को देखना होगा कि हम इस को कम करें क्योंकि वह रुपया सीधी तौर पर उस एकानामी को, जोकि देहातों की एकानामी है, बढ़ाने में खर्च नहीं होता, बल्कि वह लौट कर फिर शहरों के अन्दर आ जाता है या दूसरी जगहों पर चला जाता है। वह रुपया फिर कुछ हाथों के अन्दर आ कर कंसेन्ट्रेट हो जाता है। हमें इस बात को ठीक से देखना होगा।

मुझे अपनी खर्च व्यवस्था के सम्बन्ध में एक और चीज़ कहनी है। अभी तक हम ने इस बात की कोई मिसाल कायम नहीं की कि गवर्नमेंट के कामों के अन्दर जो लोग काम करते हैं उन की तन्ख्वाहों के अन्दर जो भेद भाव है, जो अन्तर है उस को हम कम कर सकें। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के ऊपर काफी बहस होती है, लेकिन हमें देखना होगा कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को क्यों अहमियत देती है, हालांकि पब्लिक सेक्टर बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि जिन नये उसूलों पर हम चलना चाहते हैं, उन को इन्डस्ट्रीज़ को हाथ में ले कर हम क्रिया में ला सकते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर के हक में होते हुए भी मैं कह सकता हूं कि आज हमारे पब्लिक सेक्टर के अन्दर जिस तरह से काम हो रहा है दरअसल वह बहुत सन्तोषजनक नहीं है। मैं ऐसे पब्लिक सेक्टरों की मिसाल दे सकता हूं जहां कि बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है, बहुत ज्यादा फजूलखर्ची होती है। वहां पर मुझे कुछ स्टोर्स को देखने का मौका मिला है। स्टोर्स भरे हैं और वह स्टोर्स बगैर किसी प्लैन के खरीद लिये जाते हैं और ज़ाया होते हैं। जो फिक्र प्राइवट सेक्टर में की जाती है कि एक एक चीज को जांच कर खरीदा जाता है, वह फिक्र पब्लिक सेक्टर में नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर बढ़े, इसलिये कि जो

[ श्री ए० एन० विद्यालंकार ]

काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके साथ मनुष्यता का बर्ताव किया जा सके और जो उनकी ह्यूमन नीड्स हैं, आवश्यकतायें हैं, उन की पूर्ति की जा सके और उन के साथ बेहतर सुलूक किया जा सके । इस विषय में गवर्नमेंट को आदर्श बनना चाहिये, लेकिन वहां पर इस समय वह चीज़ नहीं है । आज पब्लिक सेक्टर के अन्दर हम उन्हीं आदर्शों पर चलते हैं जो प्राइवेट सेक्टर ने अपने यहां रखे हैं । अगर हमें उन्हीं पर चलना है और उसी तरह की व्यवस्था करनी है जिस तरह से कि प्राइवेट सेक्टर में चल रही है तो मैं समझता हूं कि पब्लिक सेक्टर को ज्यादा बढ़ाने का जो लाभ है वह पूरा नहीं हो सकेगा । यह बात बहुत ज्यादा जरूरी है अन्यथा पब्लिक सेक्टर की तमाम यूटिलिटी, जिस के लिये हम उसे बढ़ाना चाहते हैं, खत्म हो जायेगी ।

अब मैं एक और बात कह कर अपना भाषण खत्म करूंगा । हम ने एक्साइज ड्यूटी की जो लिस्ट रक्खी है, उसे बहुत सोच विचार कर रखना चाहिये था । मैं समझता हूं कि जो एक्साइज ड्यूटी रखी गई है, उन पर फाइनेंस बिल पर बहस करते समय गौर किया जायेगा लेकिन मैं अर्थ मंत्री का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, मिसाल के तौर पर स्योइंग मैशीन इंडस्ट्री, या इसी तरह की दूसरी इंडस्ट्रीज, पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है उस का पूरा असर उन छोटे लोगों पर पड़ रहा है जो स्माल स्केल पर काम कर के अपनी रोटी कमाते हैं । इसलिये मैं चाहता हूं इस से पहले कि फाइनेन्स बिल हम पास करें हमारे अर्थ मंत्री इन चीजों पर गौर करें ।

अन्त में, मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा । पिछले साल पोस्टल रेट्स बढ़ाये गये थे । मैं चाहूंगा कि इस विषय पर विचार किया जाय । पोस्टल रेट्स के मुताल्लिक जो शिकायतें हमारे मंत्री महोदय के पास आई हैं उन के होते हुए यह जरूरी है कि उन को कम किया जाय । चूंकि इस चीज का असर आम लोगों पर होता है इसलिये इस को जल्दी से कम किया जाना चाहिये क्योंकि हम जनता को मदद देना चाहते हैं । आज वह जनता बेहद परेशान है, जो भी टैक्स लगाये जा रहे हैं, खास तौर पर इंडाइरैक्ट टैक्स, जैसे कपड़े पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है, या दूसरे टैक्स हैं, उन सब का बोझ ज्यादातर आम जनता पर पड़ता है । यदि हम इस तरह से टैक्स लगाते चले गये तो जो सहायता हम जनता की करते हैं वह दूसरे रास्ते से वापस होती चली जायेगी ।

**श्री एन० एम० लिंगम** (कोयम्बटूर) : ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था ऐसी है कि हम योजना में निश्चित किये गये विकास व्यय को भी सहन नहीं कर सकते । दूसरे यह कि विनियोजन का बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है और हमारे वित्त मंत्री इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं पर हमारा संगठन और हमारे प्रशिक्षित कर्मचारी इस काम को पूरा नहीं कर सकते । मैं जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री बढ़े हुए विनियोजन को किस ढंग से प्रयोग करेंगे कि उस से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके । तीसरी बात मैं यह देखता हूं कि चाहे हमारी अर्थ-व्यवस्था घाटे पर चल रही है पर कृषि उत्पादों के मूल्य कम हो रहे हैं । इस बात को भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है । योजना आयोग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, इस बात का निर्धारण करना भी अत्यन्त आवश्यक है कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन से लक्ष्य प्राप्त किये गये हैं । केवल व्यय को जान कर ही हम योजना की प्रगति की सराहना नहीं कर सकते ।

हमें अधिक व्यय करने का भी प्रयत्न नहीं करना चाहिये क्योंकि इस से अपव्यय होता है और अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते । सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा को ही देखिये । इन योजनाओं पर बड़ा सोच विचार किया गया है परन्तु जब तक कृषि श्रमिकों की हालत नहीं सुधरती तब तक इन से भी ग्रामों के उन्हीं लोगों को लाभ होगा जिन की अवस्था पहले ही अच्छी है निम्न वर्ग के लोगों को तो इन से अधिक लाभ न होगा । अतः यह आवश्यक है कि साथ साथ छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों की ओर भी ध्यान दिया जाये ।

१९५३ के अन्त में बेरोजगारी के प्रश्न पर चर्चा की गई और इस स्थिति को सुधारने के लिये पंचवर्षीय योजना में लगभग २०० करोड़ रुपया बढ़ाया गया। १० करोड़ रुपया सड़कों के लिये भी रखा गया था । दो वर्ष बीत चुके हैं । परन्तु अभी तक बहुत कम खर्च किया गया है आयव्ययक प्रस्तावनाओं के व्याख्यात्मक स्मरणपत्र में इस का यह कारण दिया गया है कि योजना का कार्य प्रथम अप्रैल १९५४ में आरम्भ किया गया और कार्य के बारे में अन्तिम निर्णय करने में भी काफी समय लगा ।

सड़कों पर खर्च करने के लिये राज्यों को रुपया दे दिया जाता और वे आगे जिलों में बांट देते तो इस का ठीक उपयोग हो सकता था और इतना विलम्ब न होता क्योंकि जिला की योजना पहले राज्य को जाती है फिर केन्द्र को । इस में समय लगता है ।

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : सड़कों के लिये कोई केन्द्रीय मशीनरी नहीं है ।

**श्री एन० एम० लिंगम्** : परन्तु केन्द्रीय सड़क संगठन सब योजनाओं को स्वीकृति देता है ।

**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : इस प्रयोजन के लिये हम ने राज्यों को २० करोड़ रुपया दिया है ।

**श्री एन० एम० लिंगम** : प्रगति प्रतिवेदन से पता चलता है कि व्यय की गति बड़ी मन्द रही है । यदि इस मद की यह हालत है जहां कि मशीनरी और टैक्निकल कर्मचारिवृन्द उपलब्ध हैं तो दूसरी योजनाओं का क्या होगा । जिले के प्रशासन का एकक बनाये बिना हम छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों के संगठन को भी पूरा न कर सकेंगे ।

मुझे यह सुझाव देना है कि जबकि राष्ट्रीय विस्तार सेवा को एक स्थायी संगठन बना दिया गया है हमें सब योजना और व्यय पर नियंत्रण के लिये एक अनुविहित निकाय बनाना चाहिये जो इस बारे में सब कार्य करे और उद्योगों का भी ध्यान रखे ।

हम ने इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं का निर्माण किया है परन्तु कुटीर उद्योगों की ओर हम ने बड़ी देर से ध्यान दिया है ।

माननीय मंत्रियों को चाहिये कि वे स्वयं जा कर इन उद्योगों में काम करने वालों को देखें, उन की कठिनाइयों को अनुभव करें और उन की सहायता करें । केवल प्रतिवेदन पर विश्वास करने और योजनायें तैयार करने से कुछ नहीं होगा ।

युद्ध काल में पश्चिमी बंगाल और मद्रास को ९९ लाख रुपया सिंकोना बागान के विस्तार के लिये दिया गया था । इस में एक करोड़ रुपये का घाटा पड़ चुका है । अब आसाम सरकार सिंकोना बागान का विस्तार करना चाहती है । क्या यह केन्द्र की सहमति से किया जा रहा है ? क्योंकि जब तक मिल जुल कर

[श्री एन० एम० लिंगम]

कार्य न किया जाये योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता ।

**श्री टी० सुब्रह्मण्यम्** (बेल्लारी) : विपक्ष दल के एक सदस्य ने यह आलोचना की है कि घाटे की अर्थ व्यवस्था पर अवलम्बन करने में बड़ा खतरा है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिये था । मूल्य गिरने के खिलाफ भी शिकायत की गई है । यह भी अच्छा हुआ कि इस समय देश में अनाज की कमी नहीं है और इस के वितरण पर नियंत्रण नहीं है ।

अच्छे मौसम ने खाद्य स्थिति को संतोषजनक बनाने में बड़ी सहायता की है । अच्छे बीजों और कृषि के आधुनिक तरीकों और सिंचित क्षेत्र बढ़ जाने से भी बड़ी सहायता मिली है ।

मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां प्राय: दुर्भिक्ष स्थिति रहती है और मैं सुझाव देता हूं कि तुंगभद्रा परियोजना के पानी का पूरा प्रयोग किया जाये । उच्च तल के लिये नहर का निर्माण भी आरम्भ कर देना चाहिये और कृषकों को ऋण देना चाहिये ताकि वे भूमि के तल को ठीक कर के उसे सिंचाई के योग्य बना सकें । सरकार को इस क्षेत्र के विकास की ओर पूरा ध्यान देना चाहिये । मेरा सुझाव है कि बेल्लारी जिले में मालती परियोजना पर भी कार्य आरम्भ कर देना चाहिये ।

मशीनी कपड़े और हथकर्घा कपड़े का उत्पादन काफी बढ़ चुका है । बुनकरों को ऋण देना चाहिये ताकि वे आधुनिक प्रकार के हथकर्घे खरीद सकें और उन की क्रय शक्ति बढ़ सके ।

१९५४ में सीमेंट का उत्पादन ४३·६ लाख टन था । १९५० में केवल २६ लाख टन था । दक्षिण भारत के कुछ लोग इस का उत्पादन आरम्भ करना चाहते हैं उन की अवश्य सहायता की जानी चाहिये ।

केवल चीनी का ही उद्योग है जिस का उत्पादन २ लाख टन कम हो गया है । इस में ३५ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है और १·३५ लाख लोग काम कर रहे हैं और लगभग २ करोड़ कृषक गन्ने के उत्पादन में लगे हुए हैं । मेरा सुझाव है कि दक्षिण भारत में भी चीनी के कारखाने खोले जायें । बेल्लारी जिले में कम्पली स्थान पर चीनी का एक सहकारी कारखाना आरम्भ करने का विचार है । इसे अधिक से अधिक वित्तीय सहायता देनी चाहिये ।

वित्त, शिल्पिक सहायता और विपणन सुविधाओं के अभाव के कारण इन उद्योगों का पूर्ण विकास नहीं हो सका । योजना काल में इन पर व्यय करने के लिये १५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी परन्तु इन पर १९५१-५२ में १४·३ लाख रु०, १९५२-५३ में २९·३ लाख रु०, १९५३-५४ में ७९·९ लाख रुपया व्यय किया गया । इन उद्योगों के बारे में हमें बहुत गम्भीर होना चाहिये । क्योंकि हम दस वर्ष में २४० लाख लोगों को रोजगार दिलाना चाहते हैं ।

सिंद्री उर्वरक का कारखाना भी अपनी निश्चित क्षमता प्राप्त कर चुका है । मेरा सुझाव है कि भाखड़ा-नांगल के स्थान पर उर्वरक के उत्पादन के लिये एक बड़ा एकक आरम्भ करने की बजाय दक्षिण भारत में छोटे छोटे एकक आरम्भ किये जायें ।

लोहे और इस्पात का उत्पादन १९५४ में १२·३ लाख टन था । ब्रिटेन और अमरीका के साथ तुलना नहीं की जा सकती । ७० करोड़ रुपया खर्च कर के रूड़केला में अच्छा कार्य आरम्भ किया गया । रूस की सहायता से बिलहाई स्थान पर भी ७५०,००० टन

की क्षमता का एक संयंत्र लगाया जा रहा है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि दूसरे देश हमारी सहायता कर रहे हैं। बेल्लारी जिला में कच्चा लोहा, तुंगभद्रा का पानी, विद्युत और लिग्नाईट सभी वस्तुयें प्राप्य हैं अतः वहां प्रयोगात्मक परियोजना आरम्भ करनी चाहिये।

भुगतान संतुलन के बारे में मुझे यह कहना है कि अभी तक तो यह संतुलन ठीक ही रहा है परन्तु अब आयात बढ़ने से इस के बिगड़ने की सम्भावना है। अतः हमें निर्यात को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। यदि हमारे देश की नीति खनिज साधनों, मैंगनीज़ और कच्चे लोहे का निर्यात करने के पक्ष में है तो अच्छा है पर मैं देखता हूं कि मैंगनीज़ के निर्यात की मात्रा १९५३-५४ में ३७५ लाख रु० थी पर १९५४-५५ में इस का निर्यात बिल्कुल नहीं हुआ। कच्चे लोहे की भी यही हालत है, मैं नहीं समझता कि यह गत्यावरोध किस कारण है। यदि वह माल के डिब्बों की कमी के कारण है तो इसे पूरा करना चाहिये। जैकोस्लोवाकिया हमारा कच्चा लोहा और जर्मनी और बेलजियम हमारा मैंगनीज़ लेने को तैयार हैं। उस के बदले में हम उन से चीनी के कारखानों के संयंत्र और ट्रैक्टर इत्यादि ले सकते हैं।

दो वर्ष पूर्व आलोचना की गई थी कि हम रक्षा सेवाओं पर बहुत व्यय करते हैं। पर हमारी रक्षा सेवाओं में राष्ट्रीय कल्याण सम्बन्धी कार्यों में बहुत सहयोग दिया है। दक्षिण भारत के दुर्भिक्ष और आसाम तथा बिहार की बाढ़ों में इन्हों ने बड़ी सहायता की है और पश्चिम की ओर मरुस्थल को रोकने के लिये भी यह सराहनीय कार्य कर रहे हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि यह पंचवर्षीय योजना के काम को आगे बढ़ा कर हमारे देश में समाजवादी समाज की व्यवस्था करना चाहते हैं। लोग इस समाजवादी समाज के सम्बन्ध में तरह तरह के प्रश्न करते हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री ने जो नीति अपनाई है उस से हम इस समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने में सफल होंगे।

**डा० जे० एन० पारिख** (झालावाड़) : इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि औद्योगिक और कृषि उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई है। आधारभूत और उपभोक्ता-वस्तु उद्योगों में भी सुधार हुआ है।

यह सच है कि हम ने खाद्य में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है, किन्तु कृष्य उत्पाद के मूल्य बहुत गिर गये हैं। खाद्यान्न, दालों बीजों और रूई के मूल्य अत्यधिक गिर गये हैं। इस स्थिति पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं। किसानों को गुदामों या ऋणों की कोई सुविधायें नहीं दी गईं।

प्रत्यक्ष करारोपण और अधिक उत्पादन शुल्क का मिला-जुला प्रभाव पड़ा है। चीनी पर अधिक शुल्क आरोपण से भी मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग के लोगों को असुविधा होगी। सरकार इन वर्गों की समस्या की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि सब राज्यों में मध्यम वर्ग कल्याण निगम स्थापित किये जायें, जिन के द्वारा मध्यम वर्ग के संगठित-उपक्रमों को ऋण की और सहाय्य की सुविधायें दी जायें।

प्रत्येक देश के लिये जिसे वर्तमान युग में प्रगति करनी है, औद्योगीकरण आवश्यक है। यह हर्ष की बात है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की व्यवस्था

[डा० जे० एन० पारिख]

की गई है । हमें पूंजी वस्तुओं के उद्योग शुरू करने चाहियें । २५ प्रतिशत विकास छूट देने से भी नये उद्योग शुरू करने में प्रोत्साहन मिलेगा । मैं चाहता हूं कि कर जांच आयोग की अन्य सिफारिशें भी क्रियान्वित की जायें ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रतीत होता है कि तीसरा विश्व युद्ध केवल समय की बात है । देश को इस के लिये तैयार रहना चाहिये और हमारा आन्तरिक रक्षा प्रबन्ध सुदृढ़ होना चाहिये । यदि संभव हो, तो नौसेना और विमान बल के लिये पृथक मंत्रालय स्थापित किये जायं । आंयुध कारखानों को आत्म निर्भर बनाना चाहिये और विशाखापटनम को नौसेना द्वारा प्रयोग के लिये विकसित करना चाहिये ।

यह अच्छी बात है कि इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करने का और कुछ और बैंकों को मिला कर एक भारत का राज्य बैंक बनाने का विचार है । इस सम्बन्ध में, राष्ट्रीयकृत उपक्रमों के अंशधारियों के प्रति किये जाने वाले व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता है । ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि हिस्सेदारों को अपना लाभांश शीघ्र मिल सके ।

बैंकों को राज्य के नियंत्रण के अधीन लाने का अभिप्राय यह है कि ग्रामों और छोटे छोटे केन्द्रों को ऋण दिया जा सके । इस समय ये ऋण रिजर्व बैंक से ले कर सहकारी बैंक देते हैं और ये अत्यधिक ब्याज पर देते हैं । रिजर्व बैंक को नियंत्रण कर के ब्याज की अधिकतम दर निर्धारित कर देनी चाहिये और भारत जैसे कम विकसित देश में ऋण देने का तरीका और ढांचा स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिये ।

इस के बाद मैं यह सुझाव दूंगा कि देश के निर्यात और व्यापार को विकसित करने के लिये एक निर्यात-आया तबैंक स्थापित किया जाय । उद्योगों तथा कृषि की सहायता के लिये आवश्यकता पड़ने पर साहाय्य दिया जा सकता है । मेरा एक और सुझाव यह भी है कि कम आय वाले और मध्यम वर्ग के लोगों की सहायता के लिये एक गृह-निर्माण वित्त बैंक भी स्थापित किया जाये ।

मेरे अन्य सुझाव ये हैं : एक "स्वदेशी खरीदो" आन्दोलन शुरू किया जाये और सब सरकारी विभागों को निदेश दिया जाये कि वे भारतीय माल खरीदें, चाहे उस का मूल्य २० प्रतिशत अधिक क्यों न हो । समुद्र, रेल, तथा सड़क यातायात के समन्वय के लिये एक परिवहन आयोग नियुक्त किया जाये । सौराष्ट्र में, जोकि एक कम विकसित राज्य है, केन्द्र को कुछ उद्योग शुरू करने चाहियें और इस की बन्दरगाहों को विकसित करना चाहिये । वहां रंग और रौगन के छोटे-छोटे कारखाने हैं, उन पर उत्पादन शुल्क के नये प्रस्ताव का बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । यदि उन्हें साबुन के कारखानों की तरह कुछ छूट न दी गई तो इन्हें बहुत कठिनाई होगी ।

चूंकि खाद्य मंत्रालय ने खाद्यान्न सौराष्ट्र की बन्दरगाहों से आयात किया था, इसलिये मेरा सुझाव है कि चीनी भी नवलाखी, बेदी और भावनगर की बन्दरगाहों द्वारा आयात की जाये । चीनी के मामले में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं और उत्पादन बढ़ रहा है । किन्तु देखा गया है कि सरकार नये कारखाने खोलने के लिये लाइसेंस तो दे देती है, किन्तु इन्हें खोला बहुत देर के बाद जाता है । मेरे विचार में इनके खोलने के लिये एक कालावधि निश्चित कर देनी चाहिये ।

**श्रीमती कमलेन्दु मति शाह** (जिला गढ़वाल–पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर––उत्तर) : मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस वर्ष अपना बजट हिन्दी में भी पेश करने का प्रबन्ध किया है । यह बहुत ही अच्छी बात है और मैं आशा करती हूं कि अन्य मंत्रीगण भी उन का अनुकरण करेंगे । इस से न सिर्फ हिन्दी का ही प्रचार होगा बल्कि हमारा वह व्रत भी शीघ्र पूरा होगा जहां हम ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का निश्चय किया था ।

इतना कहने के बाद, मैं अनाज के गिरते हुए भावों के सम्बन्ध में दो चार शब्द कहना चाहती हूं । यह तो सब जानते ही हैं कि अनाज के भाव काफी गिर गये हैं लेकिन इस के साथ ही साथ जो कर की दरें हैं वे कम नहीं हुई हैं । अनाज के भाव कम होने से और करों में कमी न होने के कारण इस का बोझ केवल किसानों पर ही पड़ता है । अनाज के भावों के गिरने से रोकने के लिये मैं एक सुझाव देना चाहती हूं । अनाज के भावों के गिरने का एक बड़ा कारण अनाज की ज्यादा पैदावार है और अब हमारे यहां हमारी जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लग गया है । अब हमें तुरन्त ही पूर्ण रूप से अनाज का विदेशों से आयात बन्द कर देना चाहिये । इस से अनाज के भाव और गिरने से बच जायेंगे और भावों में स्थिरता भी आ जायगी और किसान जिस आर्थिक संकट में से गुज़र रहे हैं वे उस से बच जायेंगे ।

इतना कहने के बाद मैं थोड़ा सा सिंचाई की योजनाओं के बारे में कहना चाहती हूं । हमारे यहां आज बड़े-बड़े बांध और नहरें बनाई जा रही हैं और यह सभी जानते हैं कि इन का फल तभी मिलना शुरू होगा जब वे पूरी हो जायेंगी । किसान लोग डरे हुए हैं कि कहीं उन पर अभी से सिंचाई कर न लगा दिया जाय । इस बारे में मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि सिंचाई कर उन पर सिंचाई की सुविधाओं के मिलने के एक वर्ष बाद लगाया जाना चाहिये । ऐसा करने से उन को यह पता लग जायगा कि जो सिंचाई की सुविधायें उन को दी गई हैं उन से उन को लाभ हुआ है और इसलिये उन को कर देते हुए कोई एतराज़ नहीं होगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि कम से कम एक साल के लिये यह कर न लगाया जाय ।

घाटे को पूरा करने के लिये कर वृद्धि मेरे विचार से अनुचित है । घाटे को पूरा करने के लिये हमें और उपाय करने चाहियें थे । कर जांच समिति ने जो तीन सिफारिशें की हैं यानी, खर्चे में कमी, घाटे का बजट बनाना और करों का समायोजन, माननीय मंत्री जी ने इन तीन सिफारिशों में से केवल कर सम्बन्धी सिफारिश को कार्यान्वित किया है और बाकी सुझावों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया । मेरा निवेदन है कि घाटे के बजट के साथ साथ हमें अपव्यय को रोकना चाहिये । हमारे जो व्यवसाय हैं उन को हमें अपना समझना चाहिये और अपव्यय को रोकने का प्रयत्न करना चाहियें और रुपया ऐसे कामों में लगाना चाहिये, जिस से ज्यादा से ज्यादा लाभ हो ।

खर्चे में कमी करने के बारे में जो सुझाव मेरी क्षुद्र बुद्धि में आये हैं, मैं वे आप के सामने रखना चाहती हूं । मेरा ख्याल है कि हमारे यहां मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और संख्या ज्यादा होने के साथ ही साथ उन का वेतन भी बहुत ज्यादा है । हम दूसरे मुल्कों का अनुकरण तो करते हैं और कहते हैं कि वहां भी मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन जहां तक उन मंत्रियों के वेतन का सम्बन्ध है उस के बारे में हम उन का अनुकरण नहीं करना चाहते ।

[श्रीमती कमलेन्दु मति शाह]

चीन के प्राइम मिनिस्टर ४०० रुपये प्रति मास वेतन पाते हैं ...

**श्री डी० सी० शर्मा** (होशियारपुर) : कितना पाते हैं ?

**श्रीमती कमलेन्दु मति शाह** : ४०० रुपये ।

**श्री वी० जी० देशपाडे** (गुना) : हमारे यहां तो मैम्बर्ज़ की इतनी तनख्वाह है ।

**श्रीमती कमलेन्दु मति शाह** : इस वास्ते मेरा निवेदन है कि मंत्रियों की संख्या घटाने के साथ साथ इन का वेतन भी घटाया जाय ।

खर्चा घटाने का तीसरा तरीका विदेशों में राजनीतिज्ञों के खर्चे में कमी करना है । वहां पर बहुत ज़्यादा व्यर्थ खर्च हो रहा है । तीन चार जगहों का मुझे पता है और मैं जानती हूं कि कितना फज़ूल खर्च वहां हो रहा है । उन के खर्चे घटाने से भी खर्चे में कमी हो सकती है । इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी जहां अपव्यय होता है उस को रोकना चाहिये और जो लोग अपव्यय करते हैं उन को सज़ा मिलनी चाहिये ।

खर्चे में कमी करने का एक और तरीका है । जब मैं यह तरीका आप के सामने रखूं तो शायद आप यह समझें कि क्योंकि मैं राजाओं के खानदान से हूं इसलिये यह सुझाव दे रही हूं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है और यदि आप ठीक समझें तो आप इस को भी कार्य रूप दे सकते हैं । अगर राजाओं को आनरेरी गवर्नर बना दिया जाय तो इस से भी काफी बचत हो सकती है, क्योंकि इन का रहन-सहन का जो स्तर है वह काफी अच्छा है और अगर इन को इन पदों पर नियुक्त कर दिया जाय तो सरकार को अपने पास से कुछ नहीं देना पड़ेगा और वे आनरेरिली काम कर सकते हैं ।

एक सुझाव मेरा यह भी है कि बड़े बड़े पदों पर निःस्वार्थ और निष्काम भाव से सेवा करने वाले व्यक्तियों को, जिन्होंने कि स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और हमारे देश को आज़ाद कराया, यदि लिया जाय तो वे किसी चीज़ की परवाह न करते हुए सेवा करने की भावना से काम करेंगे और इस से देश को लाभ पहुंचेगा ।

एक आखिरी बात मैं अपने ज़िले के बारे में कहना चाहती हूं । सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे यहां चार पांच बांध बनाये जा सकते हैं और मेरी प्रार्थना है कि कम से कम एक बांध हमारे इलाके में जरूर बनाया जाय । यदि मंत्री महोदय चाहें तो मैं इस का पूरा विवरण भी उन को दे सकती हूं । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस ओर जरूर ध्यान देंगे ।

**डा० एस० एन० सिंह** (सारन—पूर्व): हमारे वित्त मंत्री ने जो आय व्यय का चिट्ठा प्रस्तुत किया है उस में मुझे झिझक, भय और संकोच का आभास मिलता है । आज-कल की जो देश की आर्थिक स्थिति है उस का भी इस में एकांगी अध्ययन का चित्र है । इस समय जब हमारा ध्येय एक नई सामाजिक व्यवस्था प्रस्थापित करना है तो हम लोग अपने वित्त मंत्री से कुछ अधिक आशा करते हैं । इस चिट्ठे को अगर हम वैज्ञानिक विचार प्रणाली की कसौटी पर रखें तो इस का खोखलापन और इस में बहुत सी खटकने वाली बातें हमें दिखाई दे जायेंगी ।

सब से पहला उदाहरण मैं खाद्यान्न का लेता हूं । हमारे देश में खाद्य पदार्थों

की कीमत आज गिरती जा रही है, और शिल्पीय पदार्थों की कीमतों में कोई भी कमी नहीं हुई है, बल्कि उन की कीमतें बढ़ती जा रही हैं । इस का क्या नतीजा होता है ? इस का नतीजा यह होता है कि जब हमारा किसान अपने अन्न का विनिमय करता है शिल्पीय पदार्थों से, कपड़ों के लिये, दियासलाई के लिये, किरासन तेल के लिये, तो उसे बहुत नुकसान रहता है । अब आप कपड़े का हिसाब लगायें तो आप को मालूम होगा कि एक सैकिंड में एक गज़ कपड़ा बनता है, और अगर आप गेहूं का हिसाब लगायें तो आप को मालूम होगा कि उतने ही मूल्य का गेहूं पैदा करने में एक दिन लगता है । अब तक किसान का अपने एक एक दिन के परिश्रम का विनिमय कारखाने के एक सैकिंड के श्रम से करना पड़ता था । लेकिन अब यह हो रहा है कि उसे एक दिन से भी ज़्यादा परिश्रम का विनिमय एक गज़ कपड़े के लिये करना होगा । इसे ही हम आगे ध्यान में रखें । इसे ही गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यह गांव वालों का शोषण है । इसी के खिलाफ गांधी जी थे । यही वह स्थिति है कि जहां मार्क्सवाद समाप्त होता है और जहां गांधी जी का समाजवाद शुरू होता है । उन्होंने कहा था कि :

> "ग्राम वासियों को दूसरों के शोषण का साधन नहीं बनाना चाहिये ।"

और यह देखना हमारे वित्त मंत्री का सब से पहला कर्तव्य था कि हम इस विशृंखला को किस प्रकार रोकें । वह कहेंगे कि मैं इस में क्या कर सकता था । मैं लाचार था । जी नहीं । सिर्फ यह कह देने से आप का काम नहीं चल सकता । यह एक विशृंखला स्थापित हो गई है और आप के भीतर जो भय है उस को आप ने स्वीकार किया है कि हमारे देश में १४७ परिवार ऐसे हैं जिन की आमदनी बहुत ज्यादा है । हमारा ख्याल है कि हमारे समाज के लिहाज़ से उन को इन १४७ परिवारों से कहीं अधिक ध्यान एक बहुत बड़े वर्ग का करना चाहिये । यदि ये १४७ परिवार न रहें तो हमारे मुल्क का कुछ बिगड़ता नहीं । कारण यह, कि जो हमारे यहां का कारखानेदारों का वर्ग है वह दलालों का वर्ग रहा है । मेरा मतलब मिडिलमैन से है । ब्रिटिश हुकूमत के ज़माने में उन्होंने दलाली की, कारखाने बनाये और मजदूर को चूसने में समर्थ हुए । आज जो सब से बड़ा रोग इन लोगों ने हमारे समाज को लगा रखा है वह यह है कि इन्होंने बहुत से प्रतिबन्ध लगवा रखे हैं । आप मोटर का उदाहरण लें । यह बहुत ज़रूरी चीज़ है । हम अपने यहां अपने युग की सब से बड़ी क्रान्ति ला सकते हैं अगर हम बैल-गाड़ियों की जगह डीज़ल इंजिन तैयार करें । यह टैकनिकली सम्भव भी है । इसे किया जा सकता है । हम तीन हजार रुपये में एक डीज़ल इंजिन तैयार कर सकते हैं जो न सिर्फ सिंचाई के काम में मदद देगा, न सिर्फ ट्रैक्टर चलाने में मदद देगा, बल्कि उस से दूसरे काम भी किये जा सकेंगे, उस से बाजार सामान ले जा सकेंगे और उससे सवारी गाड़ी भी चला सकेंगे । लेकिन हमारे यहां मोटर के मामले में जो सिद्धान्त रहे हैं वह गलत रहे हैं । हमारे यहां के पूंजी-पति कहीं से टायर खरीदते हैं, कहीं से बैटरी खरीदते हैं, अपना लोहा तक नहीं लगाते, और कहते हैं कि हम मोटर बनाने वाले हैं और स्टेट से मांग करते हैं कि प्रतिबन्ध लगाओ जिस में बाहर से मोटरें न आवें । उन की इस नीति से सारी जनता वंचित होती है और उसे घूल फांकनी पड़ती है और उसे कभी जीवन में मोटर पर बैठने की आशा नहीं ही सकती । इसी तरह से कैमी-कल्स के मामले में है । अगर कोई मामूली

[डा० एस० एन० सिंह]

भी दवा बना लेता है तो उस के बाहर से मंगाने पर प्रतिबन्ध लगवाना चाहता है । आज १९५५ में यह सम्भव है कि लोगों को अधिक से अधिक सुख दिया जा सके । मैं ने देखा है कि हमारे यहां मलेरिया से लाखों आदमी हर साल मरते हैं । मैं ने इस मामले में बहुत से प्रयोग किये हैं लेकिन उन को यहां समय की कमी की वजह से नहीं बतलाना चाहता । लेकिन आप से इतना कह दूं कि चूंकि एक बहुत बड़े कारखानेदार ने एक चीज़ का सिर्फ १५० टन उत्पादन कर लिया है, इसलिये वह नहीं चाहता कि उस चीज़ को बाहर से मशीनें ला कर सरकार बनवाये, जबकि हमारे देश को उस की १५ या २० लाख टन की आवश्यकता है । और हमारी सरकार भी उस चीज़ को बाहर से नहीं मंगाती है क्योंकि उस कारखानेदार को नुक्सान होगा । इसलिये मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आजकल यह जो प्रतिबन्ध हमारे पूंजीपति वर्ग ने लगवाया है उस को हमें मिटाना पड़ेगा ।

आज अगर हमारी सरकार प्रतिद्वन्दिता के लिये अग्रसर होना चाहती है तो उसे होना चाहिये, लेकिन एक दृष्टिकोण अपने सामने रखना चाहिये । वह दृष्टिकोण क्या है ? हमें देखना चाहिये कि अधिक से अधिक लोगों को काम मिले । यह ठीक है कि पिछले सालों में कुछ प्रगति हुई है, कुछ कारखाने हम ने बनाये हैं । लेकिन अगर समूचे मुल्क का नक्शा देखें तो हमें इस के लिये घमण्ड करने का कोई मौका नहीं है । हम ने प्रगति बहुत कर ली है लेकिन सारे मुल्क को देखते हुए वह नहीं के बराबर है ।

हम ने बेकारी की समस्या को दूर करने की कोशिश की है लेकिन उस में हम असफल रहे हैं । हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा । हम ने उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की है लेकिन जिस हद तक यह हमारे मुल्क में सम्भव हो सकता है उतना नहीं हुआ है । इस की क्या वजह है ? इस की वजह यह है कि लोगों में आज उत्साह नहीं है । लोगों में उत्साह क्यों नहीं है ? सब से बड़ी बात तो यह है, अगर आप इस का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करें, कि आप ने 'आइरन ला आफ वेजेज़' लगा रखा है' जो उत्पादन के साधन हैं उन को चलाने के लिये जितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी उन्हीं को काम मिलेगा दूसरों को नहीं, चाहे वह स्टेट की संस्था हो या प्राइवेट सेक्टर की हो । अगर अधिकारी वर्ग चाहें तो भी ज्यादा आदमियों को नहीं लिया जा सकता । यही वह लौह नियम है जिस को सब से पहले मार्क्स ने दिखाया था ।

**श्री रामानन्द दास** (बैरकपुर) : क्या वे भूखे मरेंगे ?

**डा० एस० एन० सिंह** : इस का उपाय यह है कि आप शक्ति को मज़दूरों के हाथ में दें, उन को यह महसूस करने दें कि यह कारखाना उन का है और तब आप पायेंगे कि कितनी उन्नति होती है और कितना आप का उत्पादन बढ़ जाता है, और किस हद तक वह उसे संभालते हैं । अगर यह न होगा तो हमारा काम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकेगा । और हमारे यहां के पूंजीपति न तो उत्पादन करते हैं और न निर्माण करते हैं बल्कि जो असली निर्माण है उस में यह बाधा डालते हैं । हमारा मजदूर वर्ग, जोकि असली उत्पादन करने वाला वर्ग है, उस पर हमारा विश्वास नहीं है, बल्कि उन का उलटा शोषण और किया जाता है । सब से बड़ा काम तो हमारा मजदूर वर्ग करता है लेकिन उसे आगे बढ़ने का कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता । लेकिन उन का ध्यान न रख कर

हमारे वित्त मंत्री पूंजीपतियों का ध्यान रख कर चल रहे हैं । यह गलत है, यह नहीं होना चाहिये था ।

जहां तक डेफिसिट फाइनेंसिंग का ताल्लुक है मैं कहूंगा कि मैं इस के पक्ष में हूं । हमारे यहां की जो टेंडेंसी है, वह डिफ्लेशन की तरफ है । इस से आप की मुद्रा की कीमत अधिक बढ़ती चली जा रही है । हमें इस को गिराना चाहिये । इस के लिये मैं अपने वित्त मंत्री से कहूंगा कि वह जितने नोट छापना चाहें छापें, हम को एतराज नहीं है । आप का यह कानून है आप को उस के लिये ४० प्रतिशत सोना व विदेशी द्रव्य रखना पड़ता है । अगर आप ऐसा किये बिना भी नोट छापें तो आप का काम चलता रहेगा क्योंकि जनता का विश्वास आप के साथ है, आप की सरकार के साथ है । और हमारे वित्त मंत्री ने भी यह स्वीकार किया है कि हम को पैसों की कमी नहीं पड़ेगी । हमारे लिये सब से पहली आवश्यकता है आर्गेनाइज़ेशन की और दूसरी आवश्यकता है टैकनिक की । यह दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम को मजदूर वर्ग से प्राप्त हो सकती हैं । लेकिन उन के उत्साह का तो हम दलन कर रहे हैं और इसी वजह से हमें न तो जीवन में कोई आनन्द आता है और न किसी चीज़ को करने में आनन्द मिलता है । हमें यह काम पूरा करना चाहिये ।

इस के अतिरिक्त मैं आप से एक खास बात कह देना चाहता हूं । आज हम समाज से बहुत दूर हो गये हैं । चाहे हमारा यह सदन हो या हमारी सरकार हो हमारा जनता से सीधा ताल्लुक नहीं रह गया है । गांधी जी का जनता से सम्पर्क रहता था । आज हमारे पंडित जवाहरलाल जी भी थोड़ी बहुत जनता की नब्ज़ पहचानते हैं, लेकिन जनता की क्या आकांक्षायें हैं और वह किधर जाना चाहती है यह हम नहीं देख पाते और इसलिये इस बजट में उन के हित का कहीं जिक्र नहीं है । वे लोग, इस वक्त आप ऐसा कहें कि वह हमेशा ऐसे ही रहेंगे, जैसे आज तक रहते चले आये हैं, तो मैं कह दूं कि ऐसी बात नहीं है । उन में भी आज एक नई स्फूर्ति जागृत हुई है, वे एक बहुत बड़ी क्रान्ति के लिये आगे आ रहे हैं । गांधी जी का इस क्रान्ति के बारे में क्या ख़याल था ? उन के अनुसार इस क्रान्ति का क्या स्वरूप होना चाहिये, यह उन्हों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, "समाजवाद बड़ी शुद्ध और पवित्र चीज़ है, इसलिये उस के पाने के साधन भी शुद्ध होने चाहियें । अपवित्र साधनों से मिलने वाली चीज़ भी अशुद्ध और अपवित्र ही होगी । इसलिये राजा को मार कर राजा और प्रजा एक से नहीं बन सकेंगे । मालिक का सिर काट कर मज़दूर मालिक नहीं हो सकेंगे । यही बात सब पर लागू की जा सकती है ।" यह हरिजन में उन्हों ने लिखा था । हम इस के पक्ष में नहीं हैं कि हमारे मुल्क में मार-काट हो । अगर खून खराबी रोकने की व्यवस्था की जा सकती है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए की जा सकती है कि जिन्हों ने आप के हाथ में शासन कार्य सौंपा है, जिन्हों ने चुन कर आप को भेजा है, उन के हित का आप पहले ख़याल रक्खें और उस से १४७ या १६३ आदमियों का कुछ नुक़सान होता है तो हरगिज़ आप उस का ख़याल मत करिये, क्योंकि उन के रहने से नुक़सान ही होता है और वे हमारे समाज को बिगाड़ते ही हैं । इस दृष्टिकोण से अगर आज हम बजट को देखेंगे तो पायेंगे कि इस में यह सब से बड़ी कमी रही है कि हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल अलग रहा है और बिल्कुल ग़लत क़िस्म का रहा है । ऐसे लोग जो हमारी उत्पत्ति के साधनों पर प्रतिबन्ध

[डा० एस० एन० सिंह]

लगाते हैं, दलाल वर्ग के हैं उन को क़ायम रखने की कोशिश इस बजट में है और मैं इसीलिये सोचता हूं कि यह बजट इस वक्त हमारे देश के लिये उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता है ।

**सभापति महोदय** : आप का वक्त पूरा हो गया ।

**डा० एस० एन० सिंह** : मैं अपना भाषण अब समाप्त करूंगा । चूंकि हमारे वित्त मंत्री महोदय को कविता का बहुत शौक़ है, इसलिये एक तुकबन्दी में, जो कुछ मैं ने कहा है उसे स्पष्ट किये देता हूं : वित्त मंत्री जी ;

धनियों से कर ले लो,
जितना भी संभव है,
ज़मीन दिलाओ किसानों को,
और कारखाने मज़दूरों को ।
तब होगा देश-मुख उज्ज्वल,
क्योंकि–सुखी होगी जनता विह्वल ।।

**श्री आर० एस० दीवान** (उस्मानाबाद) : इस में सन्देह नहीं कि हमारा उत्पादन बढ़ा है । हम खाद्य, कपड़ा और कुछ अन्य आवश्यक वस्तुओं के मामले में आत्म-निर्भर हो गये हैं । परन्तु केवल इस से कृषक या जन साधारण को पूरी रोटी नहीं मिल सकती । हमारे पास खाद्य और कपड़ा फालतू हैं किन्तु जनसाधारण इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? माननीय मंत्री ने पूरे रोज़गार के लिये कुटीर उद्योगों पर ज़ोर दिया है । यदि सरकार को विश्वास है कि कुटीर उद्योगों के विकास से भारत के लोगों को पूरा रोज़गार मिल सकता है, तो इन के लिये उस ने क्या किया है ? यदि सरकार ने इन्हें प्रोत्साहन दिया होता, तो आज ग्रामों में घरेलू उद्योगों का जाल बिछ जाता जिस से प्रति वर्ष ५-६ महीने खाली बैठे रहने वाले किसानों को काम मिल जाता । सरकार ने उन के लिये कौन सा उद्योग ढूंढा है ।

**श्री सी० डी० देशमुख** : माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिये उद्योग बनाये ।

**श्री आर० एस० दीवान** : किसानों को पूरा रोज़गार केवल चर्खे से मिल सकता है । यदि आम्बेर चर्खा बड़े पैमाने पर बना कर उन्हें दिया जाये, तो पूरे रोज़गार के लिये उन्हें अनुपूरक काम मिल सकता है । यदि आप इस के लिये वस्तुतः उत्सुक होते, तो कपड़े की बड़ी बड़ी मिलों और हाथ कर्घा उद्योग में जो अनुचित स्पर्धा है, उसे आप न रहने देते ।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि वह बेकारी की समस्या का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा सके । इस काम के लिये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है । इस के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि किन भागों में कितने लोग बेकार हैं । इन आंकड़ों के बिना उन के लिये रोजगार कैसे तलाश किया जा सकता है ? सरकार ने पिछले तीन या चार वर्षों में इस सम्बन्ध में क्या किया है ? केवल एक संस्था, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, है जिसे भारतीय सांख्यिकीय संस्था के अधीन काम करना पड़ता है । यह संस्था एक स्वायत्त निकाय है और सरकार के अधीन नहीं है । नमूना सर्वेक्षण आंकड़ों इकट्ठे कर के इसे दे देता है । सरकार की ओर से इसे कोई निदेश नहीं जाता कि अमुक आंकड़े इकट्ठे किये जायें और उन्हें अमुक समय तक प्रकाशित कर दिया जाये । जो भी आंकड़े अब ज्ञात हैं, वे पुराने हैं । यदि आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण उपयोगी हो, तो आप को इस की प्रक्रिया और कार्य विधि निर्धारित करने के लिये

एक अच्छी सरकारी संस्था बनानी चाहिये । ठीक ठीक आंकड़े प्राप्त किये बिना बेकारी की समस्या का हल नहीं किया जा सकता । इस के लिये कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना और बड़े और छोटे उद्योगों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना आवश्यक है । गैर सरकारी क्षेत्र में आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करना भी आवश्यक है ।

प्रशासन में जो त्रुटियां हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिये । हम देखते हैं कि व्यक्तियों के लिये ही पद निकाले जाते हैं और ऐसे लोग नियुक्त किये जाते हैं, जो काम नहीं करते बल्कि पद-वृद्धि की चिन्ता में रहते हैं ।

**श्री पुन्नूस** (आल्लप्पि) : यदि पिछले दो दिनों के भाषणों से अनुमान लगाया जाये, तो मालूम होगा कि सदस्यों ने इस आय-व्ययक की कड़ी आलोचना की है । न केवल सदन में बल्कि बाहर भी इस की आलोचना की गई है । इस का कारण क्या है ? लोगों ने यह देखने की कोशिश की है कि इस से समाज के समाजवादी ढांचे का आरम्भ होता है या नहीं ? मैं यह मानने को तैयार हूं कि इस आयव्ययक में कई अच्छी बातें भी हैं । किन्तु वित्त मंत्री से जो त्रुटियां इस में रह गई हैं वह बहुत बड़ी त्रुटियां हैं । मैं उन में से कुछ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

आयव्ययक का निरीक्षण करते समय मैं यह देखना चाहता हूं कि राजस्व की प्राप्ति किस प्रकार की गई है, जनता के किन वर्गों से की गई है, इन विभिन्न करों का विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इन निधियों का वितरण किस प्रकार किया गया है और इस का शुद्ध परिणाम क्या है । भारत जैसे निर्धन देश में जहां क्रय शक्ति इतनी कम है कि अधिकांश लोगों को अपनी आय का लगभग ७० प्रतिशत भोजन और कपड़े पर ही खर्च करना पड़ता है, मैं समझता हूं कि लोगों से कर आदि के रूप में बहुत अधिक धन की प्राप्ति नहीं की जा सकती । कुछ भी हो ऐसे करों द्वारा महान राष्ट्रीय अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती । अतः भारत जैसे देश में हमें अन्य स्रोतों की खोज करनी होगी । मैं समझता हूं कि सरकार को उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में उतर आना चाहिये । सरकारी क्षेत्र का विस्तार करने और उसे सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है । रेलवे का उद्धरण हमारे सामने है । यदि बागान को भी इसी प्रकार संभाल लिया जाय तो जहां इस से अन्य लाभ होंगे वहां इन का भली भांति विकास भी हो सकेगा ।

**श्री सी० डी० देशमुख** : प्रतिकर ?

**श्री पुन्नूस** : वित्त मंत्री को सर्वाधिक चिन्ता प्रतिकर की है । प्रतिकर तो हमें देना ही होगा किन्तु यह कठिनाई समझौते द्वारा दूर की जा सकती है । इसी प्रकार आन्तरिक तथा वैदेशिक व्यापार द्वारा भी सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सकती है । विशेष कर वैदेशिक व्यापार तो बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है । चाय, पटसन अथवा काली मिर्च के उदाहरण हमारे सामने हैं । आज हमारी चाय की मार्किट कलकत्ता में न हो कर लन्दन में है । इस का परिणाम यह है कि हमें इस के लिये उचित मूल्य की प्राप्ति नहीं हो रही है । यदि सरकार इस व्यापार को स्वयं संभाल ले तो हमें अत्यन्त लाभ हो सकता है । इसी प्रकार हमारी काली मिर्च की भी विदेशों में काफी मांग है किन्तु व्यापारी लोग तथा कम्पनियां इसे कृषक से सस्ते दामों पर खरीद कर स्वयं अत्यधिक लाभार्जन करती हैं ।

[श्री पुन्नूस]

अब घाटे की अर्थ व्यवस्था को लीजिये। हम इस के लिये सरकार को दोष नहीं देते किन्तु घाटे की अर्थ व्यवस्था के साथ साथ कुछ विशेष उपायों की भी आवश्यकता होती है। प्रत्येक अर्थशास्त्री इस बात को स्वीकार करेगा कि कुछ स्थानों पर जो अतिरिक्त क्रय-शक्ति इकट्ठी हो जाती है उसे साफ करने के हेतु उपाय अवश्य होने चाहियें।

**श्री सी० डी० देशमुख** : तुरन्त ?

**श्री पुन्नूस** : यह काम अतिरिक्त लाभ कर द्वारा किया जाना चाहिये। गत चार वर्षों से वित्त मंत्री साधारण लोगों पर करा-रोपण की प्रस्थापनायें हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं किन्तु यद्यपि १९५४ कुछ व्यक्तियों के लिये अभूतपूर्व लाभ का वर्ष रहा है अति-रिक्त लाभ का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। इस के विपरीत, उन्हें छूट दी गई है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत में कोई योजना सफल नहीं हो सकती यदि वह केवल वित्तीय संसाधनों पर ही निर्भर होगी। हमें मानव संसाधनों का सहारा भी लेना होगा। यह कई साधनों से किया जा सकता है, किन्तु खेद है कि वित्त मंत्री केवल वित्तीय संसाधनों के आधार पर ही चलना चाहते हैं। यह एक दोषपूर्ण मनोवृत्ति है।

**सभापति महोदय** : श्री झुनझुनवाला को अपना भाषण आरम्भ करने की अनुमति देने से पहले मैं उन से निवेदन करता हूं कि वह अपना भाषण बारह मिनट में समाप्त करें।

**श्री झुनझुनवाला** (भागलपुर—मध्य) : यद्यपि अध्यक्ष महोदय के इस कथन के परिणामस्वरूप कि पूर्ववक्ताओं की बातों की पुनरावृत्ति न की जाय मुझे कुछ हानि हुई है, फिर भी मुझे यह लाभ है कि मैं ने समस्त दलों के मत सुने हैं। इस प्रकार मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वे भी वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं। जहां तक परिणाम का सम्बन्ध है, मैं वित्त मंत्री को निरन्तर, अहिंसात्मक और जन तंत्रवादी रूप से उसी दिशा में, जैसा कि अन्य समस्त दल चाहते हैं, आगे बढ़ने के लिये बधाई देता हूं।

**श्री टी० एन० सिंह** (बनारस ज़िला—पूर्व) : आप 'अहिंसावादी' कैसे कहते हैं ?

**श्री झुनझुनवाला** : वह अहिंसावादी हैं। यहां तक कि हमारे उद्योगपति मित्र कहते हैं कि वे सरकार का अनुकरण करने को तैयार हैं। जहां तक मैं अपनी सरकार, अपने वित्त मंत्री और अपने प्रधान मंत्री, को समझता हूं, मैं कह सकता हूं कि यदि उद्योगपति अपना आधार बदल कर सरकार को सहयोग देने का निश्चय करते हैं, तो उन्हें केवल वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री के ही कथनों को स्वीकार करना, और जिस कार्य के लिये उन्हें कहा जाय केवल वह ही दबाव रूप में करना नहीं चाहिये, अपितु यह समझना, महसूस करना और प्रसन्नता-पूर्वक स्वीकार करना चाहिये कि ऐसा करना देश के और उन के हित में है। यदि वे इस आधार और निश्चय से चलें, कि वे समाजविरोधी कार्यवाही नहीं करेंगे और उन में जो भी ऐसा करेगा उस के बारे में वे बतायेंगे, तो उन के साथ कठोरता का व्यवहार होने के बजाय उन को सम्मान दिया जायेगा।

अन्य माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं मैं उन की पुनरावृत्ति न कर के केवल उन की ओर संकेत करते हुए उन से अपनी सहमति प्रकट करना चाहता हूं। श्री अशोक

मेहता ने रोजगार की समस्या का उल्लेख किया था और कहा था कि यदि कोई गृह-निर्माण योजना चालू कर दी जाती है तो उस से कुछ रोजगार मिलेगा । इसी प्रकार डा० कृष्णस्वामी ने कहा था कि यदि माननीय वित्त मंत्री उद्योगों का विकास करना चाहते हैं तो केवल विकास छूट देने से ही काम न चलेगा । अपितु सरकार को अधिकर में भी कुछ रियायत देनी चाहिये ताकि वे लोग कुछ बचत कर सकें और इस का विनियोजन उद्योगों या ऐसे ही कार्यों में कर सकें । दूसरी बात डा० कृष्ण-स्वामी ने यह कही थी कि प्रत्यक्ष भेदभाव नहीं होना चाहिये ।

दूसरी बात जो मुझे महसूस होती है वह सूती कपड़े पर उत्पाद-कर के बारे में है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि यह एक मूल्यानुसार कर होना चाहिये ताकि निर्धन और धनाढ्य व्यक्ति समान रूप से इस का भुगतान करें । फिर ऊनी कपड़े का प्रश्न है । इस पर १० प्रतिशत शुल्क लगाया गया है ; यदि सरकार इस उद्योग का विकास करना चाहती है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यह उद्योग १० प्रतिशत का शुल्क सहन कर सकता है या नहीं । अन्तिम बात यह है कि वित्त मंत्री खुले दिमाग से विचार नहीं करते हैं ।

**श्री सी० डी० देशमुख** : और खुले. कानों से ।

**श्री झुनझुनवाला** : न ही मेरी बातों के लिये । वह अपनी ही प्रणाली पर जमे हुए हैं और कहते हैं 'इस के' द्वारा वह बेकारी की समस्या का समाधान कर सकेंगे, यद्यपि आठ वर्ष के प्रयोग के उपरान्त भी वह यह देख रहे हैं कि वह केवल बेकारी की समस्या का समाधान करने में ही असमर्थ नहीं रहे हैं अपितु, दूसरी ओर, बाजारों में वस्तुओं का संभरण बढ़ने के साथ क्रय-क्षमता में वृद्धि नहीं हो रही है । ऐसा क्यों है ? वह अपने बड़े पैमाने पर उत्पादन के तरीके पर डटे हैं । यद्यपि वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री सदैव यह कहते हैं कि वे किसी भी प्रकार के 'वाद' के विरुद्ध हैं, फिर भी श्रीमान्, मैं महसूस करता हूं कि वे वादों से पूर्णतया प्रभावित हो चुके हैं और वह वाद क्या है? वह 'धनवाद' है । यह उन के दिमाग को और बातों से बन्द रखता है । आचार्य कृपालानी के भाषण से मैं समझता हूं कि 'स्वतंत्रता' शब्द का अर्थ १९२० के पूर्व कुछ और था और १९२० के उपरान्त कुछ और हो गया । १९२० के उपरान्त हमें विदित हुआ कि गांधी 'स्वतंत्रता' द्वारा केवल सरकारी बैंचों पर बैठने वाले लोगों में परिवर्तन नहीं चाहते थे अपितु वह सरकारी बैंचों पर बैठने वालों के आधार में परिवर्तन चाहते थे । उस आधार को इस बात का ध्यान रखना था कि जनसाधारण को केवल खाना और कपड़ा ही नहीं मिलता है अपितु उन के लिये प्रत्येक दिशा में सुधार किया जाता है और केवल उस ही स्थिति में हो सकता है जबकि उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो । यह पश्चिमी विचारधारा है जो वह विकसित करना चाहते हैं । परन्तु जीवन का विकास, उसे पृथक् पृथक् खण्डों में विभक्त कर के नहीं हो सकता । यदि आप केवल भौतिक भाग का विकास करते हैं और नैतिक, सामाजिक आदि विकासों की अपेक्षा करते हैं तो वह कोई विकास नहीं है, और उस से शान्तिमय सह-अस्तित्व, जिस का वे स्वप्न देख रहे हैं, प्राप्त नहीं हो सकता । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में साथ-साथ विकास होने से ही हम देश में शान्तिमय सह-अस्तित्व स्थापित कर सकेंगे ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : यह आय-व्ययक पंचवर्षीय योजना का अन्तिम

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

आयव्ययक है, अतः यह बहुत आवश्यक है कि सम्पूर्ण पंचवर्षीय योजना पर विचार किया जाये और देखा जाये कि इस की प्राप्तियां क्या क्या हैं ।

वित्त मंत्री इस बात पर असाधारण रूप से प्रसन्न थे कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के किसी विशेष क्षेत्र में अधि-पूर्ति हुई है । यह ठीक है । खाद्य उत्पादन में विशेष वृद्धि हुई है, परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि इस से माल का एकत्रीकरण हो रहा है और खाद्यान्न तथा अन्य कृषि वस्तुओं के मूल्यों में महान गिरावट हो रही है । सरकार ने कृषि वस्तुओं के उच्चतम या निम्नतम मूल्य निर्धारित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है । श्रीमान यदि सरकार चाहती है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था अस्त व्यस्त न हो और यथोचित मूल्य निर्धारित कर दिये जायें तो सरकार को अधिक स्थायी कार्यवाही करनी चाहिये और समस्त महत्वपूर्ण वस्तुओं के अधिकतम तथा निम्नतम मूल्य निर्धारित करने चाहियें । इस के अतिरिक्त सरकार को कर जांच आयोग के अनुसार, व्यापार के लिये कुछ वस्तुओं को अपने हाथ में ले लेना चाहिये ।

बेकारी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । इस सम्बन्ध में मुझे केवल यह कहना है कि यदि सरकार इसे दूर करने का निश्चय करती है, तो उसे सारे बेकार व्यक्तियों को बुलाना चाहिये और यदि वे काम करने को तैयार हों तो उन्हें भोजन और स्थान देने का वचन देना चाहिये । यदि आप मुफ्त खाना और स्थान की प्रत्याभूति दें तो लाखों व्यक्ति मुफ्त में काम करने को तैयार हो जायेंगे और आप अपनी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे । जब तक कि लोगों को कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं या उन्हें काम से हटाया जाता है, तब तक आप की पंचवर्षीय योजना का कोई लाभ नहीं है । आज हमें रोज़गार में वृद्धि होने की बजाय छंटनी के समाचार सुनने को मिलते हैं ।

इस आयव्ययक में सरकार ने लोगों को अनेकों मामलों में धोका देने का प्रयत्न किया है । अपने इस कथन की पुष्टि के लिये मैं एक या दो उदाहरण दूंगा । देश में प्रति व्यक्ति आय को लीजिये । बीस वर्ष के आर्थिक विकास के पश्चात् और प्रथम पंच-वर्षीय योजना की समाप्ति पर हमें क्या प्राप्त हुआ है ? १९२९-३० में प्रति व्यक्ति आय २०० रुपये थी और १९५१ में यह २६४.२ रुपये थी । हमें यह स्पष्ट नहीं होता है कि आय में प्रति व्यक्ति कितनी वृद्धि हुई है ? हमारी अर्थ-व्यवस्था ज्यों-की-त्यों है, इस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । १९२९-३० में ७१.२ प्रतिशत लोग कृषि करते थे और ७३ प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं । इसी प्रकार उद्योगों पर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या १९३० में १६.३ प्रतिशत थी और अब यह १३ प्रतिशत ही रह गई है । वास्तव में, यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि वित्त मंत्री अपने इस कथन का कि हम प्रगति कर रहे हैं, कैसे समर्थन कर सकते हैं । क्या प्रगति हुई है ? प्रगति का मापन लोगों को भौतिक पदार्थों में हुए वास्तविक लाभ के रूप में होना चाहिये । इन नीतियों का वेतन मान पर क्या प्रभाव पड़ा है ? इन समस्त विकास योजनाओं का लोगों के जीवन-स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है ? कुछ नहीं । यदि हम १९२९-३० के आंकड़ों की तुलना वर्तमान आंकड़ों से करें तो विदित होगा कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दो हज़ार करोड़ रुपये व्यय करने पर भी हमें कुछ प्राप्त

नहीं हुआ है । मुझे आशा थी मंत्री महोदय कुछ ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे । हम यहां यह बताते रहे हैं कि मूल्यों के उतार-चढ़ाव के लिये बिचोलिया अत्यधिक उत्तरदायी हैं । इन लोगों के लाभ को नियंत्रित करने के लिये सरकार ने अब तक क्या किया है । क्या वह थोक विक्रेताओं और फुटकर विक्रेताओं का लाभ निर्धारित कर सके हैं ? वह ऐसा कर सकते थे । यदि आज भी आप अधिक लाभ को समाप्त करना और अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों को यथोचित रखना चाहते हैं, तो आप को इन दोनों लोगों के लाभ की मात्रा निर्धारित करनी होगी, और सहकारी विपणन के साथ साथ कुछ वस्तुओं में राज्य-व्यापार करना होगा ।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि वित्त मंत्री को अपनी अर्थ-व्यवस्था में अधिक समाजवादी विचार-धारा सम्मिलित करनी चाहिये । जब तक यह नहीं किया जाता तब तक समाजवादी ढंग का समाज नहीं बन सकता और केवल इस की बात करने से लोगों को अधिक समय तक आशामय नहीं रखा जा सकता । वे ठोस परिणाम और सरकार से ठोस प्रस्ताव चाहते हैं । हम समान लोगों का समाज चाहते हैं, असमान लोगों का नहीं । सरकार को इस समाज की स्थापना के लिये आयान्तर और धन-वितरण के अन्तर में कमी करने की कार्यवाही करनी चाहिये । वित्त मंत्री को चाहिये कि वह हमारे मतों पर विचार करें और उन के अनुसार अपनी नीति में परिवर्तन करें ।

---

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबन्धी समिति

### तेईसवां प्रतिवेदन

**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के तेईसवें प्रतिवेदन से, जो १६ मार्च, १९५५, को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमति प्रकट करती है ।"

यह प्रतिवेदन दो विधेयकों के वर्गीकरण के बारे में है । सभा की स्वीकृति के लिये मैं प्रतिवेदन की सिफारिश करता हूं ।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के तेईसवें प्रतिवेदन से, जो १६ मार्च, १९५५, को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमति प्रकट करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

## भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक

### (नई धारा १५–क का रखा जाना)

**सभापति महोदय** : अब सभा भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी । प्रस्तावक और एक सदस्य पहिले ही बोल चुके हैं । ४ मार्च, १९५५ को श्री टी० बी० विट्ठल राव का भाषण समाप्त नहीं हुआ था । अब श्री टी० बी० विट्ठल राव बोलेंगे ।

**श्री टी० बी० विट्ठल राव** (खम्मम्) : आज मैं संघों को मान्यता देने के प्रश्न पर बोलूंगा । अतीत में अनेकों हड़तालें हुई हैं और भविष्य में भी हड़तालें होंगी । मुझे स्मरण है कि १९५० में बम्बई के कपड़ा उद्योग के लगभग २४०,००० मजदूरों ने हड़ताल की थी । उन की केवल मांग यह थी कि उन के संघ को मान्यता दी जाय । सरकार ने दूसरे संघों को मान्यता दी थी ।

[श्री टी० बी० विट्ठल राव]

यद्यपि उस संघ का प्रतिनिध्यात्मक रूप सन्देहरहित सिद्ध हो गया था तथापि उसे मान्यता नहीं दी गई ।

अब मैं अन्य संघों पर जो रेलों के कर्मचारियों का है और उस संस्था के अन्तर्गत है, आता हूं । सरकार और रेलवे बोर्ड भारतीय रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रीय फेड्रेशन को मान्यता देते हैं और जब तक कोई भी अन्य संघ इस से सम्बद्ध न हो तब तक उसे मान्यता नहीं दी जा सकती । यह बहुत अच्छा है कि हम एक उद्योग के लिये एक संघ रखें, परन्तु यह बात कार्मिक संघ अधिनियम और हमारे संविधान में दिये गये इस अधिकार के विरुद्ध है कि मज़दूर अपनी इच्छानुसार संघ बना सकते हैं । दक्षिण रेलवे पर इस संघ के सदस्यों की संख्या २५ से ३० हज़ार तक है । हम महसूस करते हैं कि जो झगड़े निपटाये जा सकते थे, वे विधान की अनुपस्थिति में मान्यता के इस प्रश्न पर विचार करने के कारण चल रहे हैं ।

अब मैं संचार मंत्रालय पर आता हूं । हम सब जानते हैं कि डाक तथा तार कर्मचारियों की राष्ट्रीय फेड्रेशन की स्थापना डाक कर्मचारियों द्वारा सरकार की पुनर्संरेखणा योजना की स्वीकृति के परिणामस्वरूप हुई थी । यद्यपि डाक तथा तार कर्मचारियों ने यह योजना स्वीकार कर ली थी परन्तु जब वे मान्यता के लिये मंत्रालय पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि जब तक वे अपने विधान से हड़ताल सम्बन्धी खण्ड नहीं हटाते तब तक उन्हें मान्यता प्राप्त न होगी । इस का क्या मतलब है ? इस का मतलब है कि कर्मचारियों को हड़ताल करने के अधिकार से, जो मूल अधिकार है, वंचित किया जाता है । गैर-सरकारी क्षेत्रों में भी छोटे छोटे संघ हैं परन्तु मालिक उन्हीं संघों को मान्यता देते हैं जो उन की हां में हां मिलाते हैं । इस प्रकार विधान न होने से मालिकों को अपने पिट्ठुओं का संघ बना कर प्रतिनिधि संघ को मान्यता न देने का अवसर मिलता है ।

भारतीय मज़दूर सम्मेलन का अच्छा सिद्धान्त है जो मुझे पसन्द है कि विभिन्न संघों की सदस्यता में विभिन्नता होने पर भी चारों केन्द्रीय कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन की चर्चा में भाग लेने के लिये बुलाया जाता है । यही नहीं अपितु भारतीय रेल कर्मचारियों की राष्ट्रीय फेड्रेशन और डाक तथा तार कर्मचारियों की राष्ट्रीय फेड्रेशन् से प्रेक्षकों को बुलाया जाता है । जब राष्ट्रीय मान पर यह हो सकता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह उद्योग मान पर या राज्य-मान पर क्यों नहीं हो सकता । अतः मैं ज़ोरदार शब्दों में निवेदन करता हूं कि उद्योग के प्रत्येक संघ को, वह किसी केन्द्रीय कार्मिक संघ से सम्बद्ध हो या न हो, मान्यता मिलनी चाहिये ।

कल श्री वेंकटरामन् ने कहा था कि कार्मिक संघों को मान्यता देने के लिये हमें वास्तविक स्थिति को भी देख लेना चाहिये—रेलवे में १० लाख के लगभग श्रमिक हैं किन्तु एक ही मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ वहां है—सात अन्य संघ भी हैं—तो इस प्रकार के कल्पित तर्क का कोई महत्व नहीं है ।

इस के बाद उन्हों ने यह भी कहा कि मान्यता देने के प्रश्न को एक औद्योगिक विवाद मान लिया जाये—किन्तु मैं नहीं समझता कि ऐसा क्यों किया जाये । क्या हम मान्यता देने के लिये किसी प्रकार के अन्य सिद्धान्त निश्चित नहीं कर सकते । जैसे कि सदस्यता तथा बैठकों की नियमितता आदि । मैं इस बात का पूरे ज़ोर से समर्थन

करता हूं कि श्री नम्बियार के इस विधेयक को स्वीकार किया जाये ।

अब रेलवे में एक तदर्थ न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया है—उस के समक्ष केवल भारतीय रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रीय फेडरेशन के लोग ही जा सकते हैं—और वे श्रमिक नहीं जा सकते जो अन्य संघों से सम्बद्ध हैं ।

आज वे कार्मिक संघ, श्रमिकों के कल्याण का विचार तथा सामाजिक लाभ का ध्यान रखते हैं । अब पहले वाली बात नहीं रही । इसलिये कार्मिक संघों को मान्यता देने का प्रश्न बड़े महत्व का है । मुझे इस सम्बन्ध में स्वयं अनुभव है कि मैं ने अमान्य संघों के सदस्यों को किसी बातचीत में भाग लेने पर आपत्ति नहीं की—क्योंकि इस से नियोजक अपना काम निकाल लेता है । इसलिये यदि अस्वस्थ कार्मिक संघों के विकास को हमें रोकना है तो वह उचित प्रकार की कार्यवाही से ही हो सकता है ।

यदि कोई संघ वैध अथवा अवैध हड़ताल करता है, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम का आश्रय लिया जा सकता है । मान्यता के प्रश्न को इस से उलझाना नहीं चाहिये ।

अतः मैं माननीय श्रम मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस विधेयक को जिन भी संशोधनों के साथ चाहें—स्वीकार अवश्य करें ।

श्री **डी० सी० शर्मा** (होशियारपुर) : यद्यपि मैं किसी कार्मिक संघ का नेता नहीं हूं फिर भी मुझे इस का थोड़ा बहुत अनुभव अवश्य है और मैं इस के सामाजिक पहलू पर कुछ कहूंगा ।

इस समय हमारे देश में कार्मिक संघों का आंदोलन ज़ोर पकड़ रहा है । एक अध्यापक के नाते मैं यह बताना चाहता हूं कि यह आन्दोलन विद्यार्थियों में भी बढ़ता चला जा रहा है और इसी प्रकार अध्यापकों में भी यही बात आती जा रही है । प्रत्येक व्यवसाय वाले लोग अब यह बात अनुभव करते जा रहे हैं कि उन का सामूहिक लाभ इसी बात में है कि वे अपने अपने संघों का निर्माण करें । मेरे कहने का आशय यह है कि अभी यह आन्दोलन विकासोन्मुख है—इसलिये इस सम्बन्ध में शीघ्रता से की गई कोई भी कार्यवाही उचित न होगी । हमें सतर्क रहना होगा कि कहीं यह आन्दोलन ग़लत लाइन पर अग्रसर न हो जाये ।

यह कहा गया है कि कार्मिक संघ उत्तर-दायी होते जा रहे हैं—वैसे तो यह बात ठीक है किन्तु अभी स्वतंत्रता की भावना ने उन में इतना समावेश नहीं किया जितना कि होना चाहिये था । इसीलिये हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ।

इस समय कार्मिक संघों की स्थिति क्या है ?

प्रत्येक स्थान पर श्रमिकों में आपसी फूट का आधिक्य है । १० या १२ श्रमिक इधर हैं तो इतने ही उधर । इस प्रकार की तो अवस्था है—इसलिये श्री नम्बियार के इस विधेयक के स्वीकार किये जाने के बाद इस प्रवृत्ति को और भी बढ़ावा मिलेगा । हमें तो इन प्रवृत्तियों की रोकथाम के लिये प्रयत्नशील रहना है । हम सब लोगों की यही इच्छा है कि देश के श्रमिक संगठित रहें और उन में फूट न हो । हम चाहते हैं कि उन का कल्याण हो और वे देश के हित के लिये कार्य करें—किन्तु इस विधेयक को स्वीकार करने के बाद तो इस आंदोलन में अव्यवस्था फैल जायेगी ।

अब हमें इस विधेयक की प्रतिक्रिया का निरीक्षण करना चाहिये । इस के अनुसार ५ प्रतिशत सदस्यों पर निर्भर प्रत्येक संघ को मान्यता मिलेगी । इस का अर्थ यह हुआ

[श्री डी० सी० शर्मा]

कि प्रत्येक उद्योग में कम-से-कम २० कार्मिक संघ तो निश्चित रूप से ही बनेंगे । इस से न केवल नियोजक को ही कठिनाई होगी, बल्कि आपस के झगड़े भी बढ़ेंगे । जितने अधिक संघ होंगे उतने ही अधिक विवाद होंगे और उतनी ही विभिन्न राय भी होंगी—जिस से कार्मिक संघों के हितों को हानि पहुंचेगी ।

श्री नम्बियार ने कहा है कि मान्यता स्वयमेव ही होनी चाहिये । क्या यह बात सारे ही आन्दोलनों पर लागू होगी ?

**श्री पुन्नूस** (आल्लप्पि) : क्या माननीय सदस्य को पता है कि अब भी श्रमिकों को संघ बनाने का अधिकार है । प्रश्न केवल मान्यता का है ।

**श्री डी० सी० शर्मा** : मुझे इस बारे में पता है ।

मैं यह कहना चाहता था कि यह 'स्वयमेव मान्यता' का सिद्धान्त नहीं चल सकता । श्री नम्बियार के सिद्धान्तों से श्रमिकों का कल्याण नहीं हो सकता । मैं किसी दलगत ष्टि से यह बात नहीं कह रहा किन्तु मैं श्रमिकों के हित तथा देश के लाभ की दृष्टि से यह बात कह रहा हूं ।

श्री नम्बियार का विचार है कि यदि यह विधेयक पारित किया गया तो नियोजकों तथा श्रमिकों के पारस्परिक मतभेद कम हो जायेंगे—किन्तु मेरा विचार है कि इस का प्रभाव इस से बिल्कुल ही उलट होगा । एक नियोजक किस किस संघ से सामूहिक संपणन करेगा ?

श्री नम्बियार ने श्री वी० वी० गिरि के विचारों की सराहना की है—मैं ने भी उन का भाषण सुना है—उन्हों ने कहा था कि हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जिस से श्रमिकों के संगठन में कोई खराबी पैदा हो । इस विधेयक की प्रतिक्रिया तो ठीक यही होगी कि श्रमिक आपस में बंट जायेंगे । बहुत से विवाद होने लगगे और इस आन्दोलन में एक अस्वस्थ प्रतियोगिता का श्रीगणेश हो जायेगा । अतः मैं तो यही कहूंगा कि श्रमिकों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के बजाये यह विधेयक उन के लिये हानिकारक ही रहेगा ।

हमें यह तो पता है कि हमारे देश में बहुत बरसाती आन्दोलन चलते रहते हैं । मैं अपने देश के कार्मिक संघों के तथाकथित नेताओं से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह नेतागीरी करने वाले बरसाती संगठन वास्तव में श्रमिकों के हितकारी सिद्ध होंगे ?

मैं स्वीकार करता हूं कि श्रमिकों को हड़ताल करने का मूलभूत अधिकार है—किन्तु यह बात तो सोचनी पड़ती है कि हड़ताल कब की जाये और किन प्रयोजनों के लिये ? इस विधेयक के परिपोषक तो यह चाहते हैं कि उन्हें मनमानी करने का विशेषाधिकार दिया जाये ।

**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** (बसिरहाट) : आप उन्हें मान्यता न दे कर हड़ताल से कैसे रोकेंगे ?

**श्री डी० सी० शर्मा** : मैं अभी बताऊंगा । हड़ताल करने के अधिकार को न मानने का कोई प्रश्न नहीं है, अधिकार उन्हें होना चाहिये—किन्तु कार्मिक संघ के आन्दोलन का स्वस्थ विकास होना आवश्यक है—श्रमिकों को समझना चाहिये कि हड़ताल किस समय की जाये और किस प्रयोजन के लिये । उन्हें इस सम्बन्ध में मनमाना अधिकार नहीं दिया जा सकता । उन समस्त अधिकारों का प्रयोग लाभदायक तरीके से किया जाये ।

इस विधेयक में एक और नई बात है। इस में कहा गया है कि एक संघ को मान्यता देने के लिये गुप्त मतदान किया जाये। जब ५ प्रतिशत सदस्यों की शर्त आप ने रख ही दी तो इस मतदान का क्या अर्थ है और यह कैसे संभव होगा।

मैं विधेयक के समर्थक सदस्यों की कामनाओं को समझता हूं। मुझे भी श्रमिकों के हितों का ध्यान है। मैं ने इस कार्मिक संघ आन्दोलन के कई स्वरूप देखे हैं और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस विधेयक का प्रभाव उन लोगों की आशाओं के विपरीत होगा। अतः मैं माननीय श्रम मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधि प्रस्तुत करें जिस के सम्बन्ध में श्री वी० वी० गिरि ने भी आश्वासन दिया था।

**एक माननीय सदस्य** : हम भी यही चाहते हैं।

**श्री डी० सी० शर्मा** : यदि कोई व्यापक विधि प्रस्तुत की जाये तो मुझे विश्वास है ऐसे विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी — क्योंकि यह श्रमिकों के संगठन के लिये हानिकारक है।

**श्री केशवैयंगार** (बंगलौर उत्तर) : मैं इस विधेयक का आरम्भ से अन्त तक विरोध करने के लिये उठा हूं। प्रस्तावक ने कहा है कि प्रारम्भ से मांग व्यापक रही है। संभवतया यह अधिक ठीक होगा यदि कहा जाये कि जब से साम्यवादी लोग मैदान में आये हैं तब से ही मांग व्यापक रहती है।

यों तो ऊपर से यह विधेयक बड़ा हितकारी प्रतीत होता है किन्तु मुझे इस बात के मानने में कोई सन्देह नहीं कि इस के भीतर शरारत भरी हुई है जो देश के लिये खतरनाक हो सकती है। एक संघ की मान्यता का अर्थ और है किन्तु नियोजक द्वारा उसे मान्यता देने का अर्थ कुछ और है।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि बम्बई अधिनियम के अनुसार १५ प्रतिशत सदस्यों वाले संघ को अनिवार्य मान्यता मिलती है—आप इसी से प्रस्तावक का अभिप्राय समझ सकते हैं। बम्बई उच्च न्यायालय में एक ऐसे संघ का मामला आया था जिस के सदस्यों की संख्या १५ प्रतिशत से अधिक थी—वहां पर हमारे इस विधेयक के समर्थक उस के विरोध में लड़े। उच्चतम न्यायालय ने उस संघ के पक्ष में निर्णय दिया था। मेरे कहने का आशय यह है कि वहां तो १५ प्रतिशत सदस्यों वाले संघ के विरोध में यह लोग खड़े हुए थे और अब यहां पर ५ प्रतिशत की बात ले कर आ गये हैं। मुझे विश्वास है कि यह बात केवल पाखंड मात्र है।

हमारे मित्र चाहते हैं कि हम इस बात को मानें कि भारत में श्रमिक सुसंगठित हैं। मैं आप को इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े बता कर यह बात स्पष्ट करता हूं। हमारे देश में नौकरी से आय प्राप्त करने वाले १०१८ लाख व्यक्ति हैं और केवल ३२४ लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो खेती बाड़ी को छोड़ किन्हीं अन्य कामों द्वारा आय प्राप्त करते हैं।

**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व) : मैं बम्बई के मामले के उच्चतम न्यायालय को सौंपे जाने के बारे में जानकारी चाहता हूं।

**श्री केशवैयंगार** : १९५४ की अपील संख्या ६१, कंडिका १५ बम्बई श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण। पहला मामला १९५४ के लेबर लॉ जर्नल के दूसरे खण्ड के पृष्ठ २९६ पर है।

[श्री कैशवैयंगार]

खैर मैं बता रहा था कि इन सब लोगों में से ११ लाख नियोजक हैं। उन को निकाल कर श्रमिकों की संख्या ३१३ लाख रह जाती है। बड़े बड़े संगठनों में केवल ३० लाख सदस्य हैं।

लगभग १६४ लाख व्यक्ति कुटीर उद्योगों में लगे हुए हैं। अतः वास्तव में, इस देश में केवल १६० लाख औद्योगिक श्रमिक हैं। इन में से ३० लाख श्रमिक संगठित हैं। इस का अर्थ यह है कि ५० प्रतिशत श्रमिक भी संगठित नहीं हैं। यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है—हमारे देश के श्रमिक पिछड़े हुए हैं और निरक्षर हैं—उन्हें अपने अधिकारों का अभी पता नहीं है। इस स्थिति में, ५ प्रतिशत सदस्यता वाले संघों को मान्यता देने से और कुछ नहीं बल्कि द्विविधा ही उत्पन्न होगी।

एक और बात मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जहां तक नियोजकों द्वारा मान्यता देने का प्रश्न है उस के बारे में विधि बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमें विधि से जहां तक हो, बचना ही चाहिये। मेरा आशय यह नहीं कि विधि बनाई ही न जाये, बल्कि यह है कि जहां तक हो इस से बचा जाये।

एक नियोजक श्रमिकों के संघ की शक्ति देख कर ही उसे मान्यता देता है ताकि काम ठीक ढंग से होता रहे।

इस सम्बन्ध में मुझे अहमदाबाद वस्त्र उद्योग श्रम संस्था का उदाहरण स्मरण आता है। १८ वर्ष तक उन्होंने अपने संगठन के कारण नियोजकों से मान्यता प्राप्त की —यह मान्यता कोई वैध नहीं थी किन्तु वैसे ही आपस का एक समझौता था। पारस्परिक विवादों को वे एक मध्यस्थ को सौंपते थे। अभी वह समझौता व्यक्त हुआ है। अब उन लोगों की यह इच्छा है कि इन के विवाद न्यायाधिकरणों के समक्ष जायें। अतः इस सम्बन्ध में विधान की आवश्यकता नहीं है। यदि हम ने आज की स्थिति में इस विधेयक को पारित कर दिया तो इस से बहुत अशान्ति फैलने का खतरा है और जो कुछ इस विधेयक के प्रस्तावक ने इस के उद्देश्य बताये हैं इस का प्रभाव उन से उलट होगा।

इन कारणों से मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इस विधेयक को मन्जूर नहीं करना चाहिये।

**श्री साधन गुप्त** : इस विधेयक में इस देश के कार्मिक संघों के हित में कुछ उपबन्ध किये गये हैं। आज दुर्भाग्य से हमारे देश में कार्मिक संघ आन्दोलन संगठित नहीं है। यदि कार्मिक संघ आन्दोलन संगठित होता तो मान्यता के लिये हमें विधि का सहारा न लेना पड़ता बल्कि नियोजक स्वयं ही मान्यता प्रदान करते। पर नियोजकों को हम इस प्रतिकूल परिस्थिति का लाभ नहीं उठाने देंगे। कई कार्मिक संघ होने पर नियोजक या तो किसी को भी मान्यता प्रदान नहीं करते या ऐसे संघ को प्रदान करते हैं जिस से उन को सुविधा रहती है। पर इस संसद् में हमें मजदूरों की अवहेलना नहीं करनी है और न नियोजकों को मनमानी करने का अधिकार देना है। इसी कारण इस विधि में व्यवस्था की गई है कि संघों के असंगठित रहने पर भी उन के हितों की रक्षा की जाय।

मांग बड़ी साधारण-सी है। यदि किसी संस्था के ५ प्रतिशत कर्मचारी किसी संघ के सदस्य हों तो उस संघ को मान्यता प्रदान की जानी चाहिये। इस उपबन्ध की

आवश्यकता इसलिये भी है कि प्रत्येक संस्था में एक से अधिक संघ हो सकते हैं और केवल एक संघ किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का विश्वासपात्र नहीं हो सकता। अतः यह एक उचित मांग है कि ऐसा विधान बनाया जाय कि ५ प्रतिशत कर्मचारियों के संघ को मान्यता प्रदान की जाय ।

श्री शर्मा ने कहा कि इस प्रकार का उपबन्ध करने से संघों के अधिक छोटे-छोटे टुकड़े बनेंगे । पर मैं देखता हूं कि छोटे छोटे टुकड़ों के बनने की कोई संभावना नहीं है । यह सभी कार्मिक संघ इसी प्रकार रहेंगे जब तक कि विभिन्न विचार धाराओं को मानने वाले केन्द्रीय कार्मिक संघ एक में नहीं मिल जायेंगे । पर साथ ही अधिक संघों के बनने की शंका करना व्यर्थ है । यद्यपि केन्द्रीय कार्मिक संघ के चार संगठन हैं पर बहुत सी संस्थाओं में दो संघ भी नहीं हैं और किन्हीं किन्हीं में केवल दो संघ हैं ।

व्यावहारिक दृष्टि से देखा गया है कि अधिकतर एक, कभी कभी दो और कभी कभी तीन संघ होते हैं । प्रश्न यह है कि किस संघ को कर्मचारियों का प्रतिनिधि संघ माना जाय । नियोजक सभी संघों को तो मान्यता प्रदान कर नहीं सकते । पर ऐसे भी उदाहरण हैं जहां दो संघों को मान्यता प्रदान की गई है और दोनों ठीक प्रकार कार्य कर रहे हैं । कलकत्ता विद्युत संभरण निगम एक बहुत बड़ी संस्था है । वहां दो संघ हैं दोनों को मान्यता प्राप्त है । यद्यपि उन में आपस में द्वेष है पर दोनों का कार्य सहयोग से चलता है । कलकत्ता ट्रामवे कर्मचारी संघ है और दो और संघ हैं एक कलकत्ता ट्रामवे मजदूर पंचायत जिसका नेतृत्व प्रजा समाजवादी दल के हाथ में है और दूसरा कलकत्ता ट्रामवे कर्मचारी संघ जिस का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में है । पर कर्मचारियों के हित के सभी मामलों पर तीनों संघ सहयोग के साथ तैयार रहते हैं और उन्हों ने ट्रामवे नियोजकों को सदा अपनी मांग स्वीकार करने के लिये बाध्य किया है । श्री नम्बियार ने कहा कि सभी छोटे संघों को मान्यता न प्रदान की जाय । मैं भी यही कहता हूं पर जो संघ किसी संस्था के काफी कर्मचारियों के हित का प्रतिनिधि हो उसे अवश्य मान्यता प्रदान की जानी चाहिये । अतः यदि आप कार्मिक संघों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो इस विधेयक को स्वीकार करने में आप को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

इस विधेयक में दूसरा उपबन्ध है कि किस प्रकार यह पता लगाया जाय कि अमुक संघ ५ प्रतिशत कर्मचारियों का विश्वासपात्र है । इस के लिये यह व्यवस्था की गई है कि सभी कर्मचारियों के मतदान को गूढ़ शलाका प्रणाली द्वारा यह पता लगाया जाय कि क्या अमुक संघ को ५ प्रतिशत कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त है या नहीं । इस प्रकार नियोजकों को यह भी पता लग जायेगा कि किस संघ को मान्यता प्रदान की जाय । और, झूठे आधार पर संघ मान्यता नहीं मांगेगा । नियोजकों और संघों के किसी झगड़े में कर्मचारियों से मतदान की गूढ़ शलाका प्रणाली के आधार पर मत लिया जा सकता है कि वह किस संघ पर विश्वास रखते हैं ।

हड़ताल करने के अधिकार की भी अवहेलना की गई है । पर मैं यह कहना चाहता हूं कि हड़ताल करने का अधिकार मजदूरों को अवश्य होना चाहिये । इस बात का निश्चय वही कर सकते हैं कि कब हड़ताल की जाय और कब न की जाय । यह उन का पवित्र अधिकार है । प्रत्येक उद्योग में कम-से-कम एक संघ का होना आवश्यक है पर नियोजक कर्मचारियों से यह नहीं कह सकता कि आप केवल एक ही संघ

[श्री साधन गुप्त]

बनायें अन्यथा मैं मान्यता नहीं दूंगा । यह कर्मचारियों के सोचने की बात है कि वह एक संघ बनायें या अधिक, और वह किस संघ के सदस्य बनें । और जिन जिन संघों को कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त हो, नियोजकों को उन्हें मान्यता अवश्य देनी चाहिये । मैं इस विधेयक की प्रशंसा करता हूं और सभा से इसे स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूं ।

**श्री आर० आर० शास्त्री** (ज़िला कानपुर—मध्य) : जो विधेयक इस सभा में पेश किया गया है मैं उस के लिये श्री नम्बियार जी को धन्यवाद देता हूं उन्हों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर इस सभा का ध्यान आकर्षित किया है । हम लोगों ने अपने देश के लिये प्रजातंत्र को स्वीकार किया है और अब हमारे देश ने यह भी स्वीकार किया है कि हमें अपने देश में समाजवादी समाज व्यवस्था कायम करनी चाहिये, और इस के लिये इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि हमारा उत्पादन बढ़ाया जाय । लेकिन यह मानना होगा कि उत्पादन को बढ़ाने के लिये हमारे देश के जो उत्पादक हैं, जो हमारे देश के मजदूर हैं उन का स्थान हमारे देश की समाज व्यवस्था में उपयुक्त और ऊंचा होना चाहिये । इन सब बातों से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता । लेकिन ऐसा करने के लिये सब से बड़ी आवश्यकता आज हमारे देश में यह है कि एक मजबूत और संगठित मजदूर आन्दोलन हो, मजबूत यूनियनें हों जोकि सही ढंग से मजदूरों का नेतृत्व कर सकें और सही ढंग से देश को भी आगे बढ़ा सकें । लेकिन इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आज हमारे देश में जिसे मजदूर आन्दोलन कहा जाता है वह बहुत ही शोचनीय अवस्था में है । हम में से सभी लोग जोकि मजदूर आन्दोलन में काम करते हैं इस बात को जानते हैं कि हिन्दुस्तान का ही नहीं सारी दुनिया के मजदूर आन्दोलन का यह एक ही नारा है कि दुनिया भर के मजदूर एक हों । हम लोगों को जोकि मजदूरों के बीच में रह कर काम करते हैं यह शर्म के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि हमारे देश का मजदूर आन्दोलन एक नहीं है । चार हिस्सों में यहां का मजदूर आन्दोलन बंटा हुआ है और हर हिस्से के सामने एक ही नारा है कि मजदूरों को एक होना चाहिये । नारा हम सभी बुलन्द करते हैं लेकिन सब की विचारधारा एक न होने के कारण हम एक नहीं हो पाते और उस का नतीजा यह होता है कि आज मजदूर सही तौर से मालिक के साथ सामूहिक सौदा नहीं कर पाते । जब तक मजदूर एक यूनियन में आ कर अपने को मजबूत नहीं करते हैं तब तक वह मालिकों से अपने हक नहीं ले पायेंगे । जब ऐसी दशा है तो हर एक की ख्वाहिश यह होती है कि मजदूरों की यूनियन्स मजबूत हों । जो विधेयक इस सभा के सामने पेश किया गया है उस का उद्देश्य यही है कि मालिकों को ट्रेड यूनियन्स को मान्यता देनी पड़ेगी । जो यूनियन्स रजिस्टर्ड हैं और जिन की सदस्य संख्या ५ फी सैंकड़ा है उन को मान्यता मिलनी चाहिये ।

अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये ट्रेड यूनियन्स अलग अलग हिस्सों में क्यों बंट गईं और कैसे इन को एक किया जा सकता है । क्या जो तरीका विधेयक में बताया गया है वही मजदूरों को एक करने का तरीका है या कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है ? जैसा मैं ने कहा कि पहली चीज़ तो यह है कि मजदूर आन्दोलन विभाजित हो गया है । पहले भी राजनीतिक मतभेदों के कारण विभाजित था और स्वतंत्रता प्राप्त होने

के बाद भी विभाजित है, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद यह विभाजन और भी अधिक हो गया है । चाहिये तो यह था कि स्वतंत्र होने के बाद हम एक हो जाते, लेकिन स्वराज्य मिलने के बाद तो हम यह देखते हैं कि एक एक व्यवसाय में राजनीतिक होड़ की वजह से कई कई यूनियनें बन गई हैं । यहां कहा गया कि एक एक व्यवसाय में एक एक दो दो यूनियनें हैं । लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अकेले कानपुर में जहां से मैं आ रहा हूं सूती वस्त्र व्यवसाय में ६ यूनियनें थीं । अब आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं कि एक व्यवसाय में एक ही जगह पर ६ यूनियनें रहते हुए वहां के मजदूर किस तरीके से मालिकों के साथ अपना सौदा कर सकते हैं । इन विभाजनों का नतीजा यह है कि मालिक कभी एक यूनियन का हाथ पकड़ते हैं, कभी दूसरी यूनियन की पीठ पर हाथ रखते हैं और इस तरह से दोनों यूनियनों को लड़ा कर अपना उल्लू सीधा करते हैं । अगर मालिक ऐसा करते हैं तो मुझे उन से कोई शिकायत नहीं है । उन्हें तो ऐसा करना ही चाहिये । मेरी शिकायत तो यह है कि जहां हम मालिकों को यह दोष देते हैं कि वह मजदूरों को विभाजित करते हैं, वहां मुझे बड़े दुःख और अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि कितने ही मामले ऐसे आते हैं कि जहां सरकार भी एक ऐसा राजनीतिक खेल खेलती है कि जिस की वजह से किसी यूनियन को वह पसन्द करती है, किसी को नहीं पसन्द करती है और किसी यूनियन के साथ वह पक्षपात करती है । खास तौर से मैं माननीय सभापति जी का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि इस बात का ऐलान किया गया था कि तमाम कारखानों के अन्दर वर्क्स कमेटियां होंगी । लेकिन जहां तक यू० पी० का ताल्लुक है मैं यह कह सकता हूं कि वर्क्स कमेटियों के बनाने की यह शर्त लगा दी गई थी कि आई० एन० टी० यू० सी० की जो यूनियन होगी उसी को यह हक दिया जायगा कि वह हक दिया जायेगा कि वर्क्स कमेटी बनाये और इसी तरीके से हमारे यहां वर्क्स कमेटियां फंकशन करती रहीं । हम ने गवर्नमेंट को इस बात के लिये चनौती दी और कहा कि यह तरीका गलत है, गवर्नमेंट को किसी भी संगठन के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिये, और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया और शक्कर के व्यवसाय में एक मतगणना की गई । प्रोफेसर शर्मा ने यह कहा कि यह कैसे हो सकता है कि सब मजदूरों की मतगणना की जाय । लेकिन मैं उन को बतलाता हूं कि शक्कर के व्यवसाय में पूरे उत्तर प्रदेश में मतगणना की गई कि सरकार ने जिस यूनियन को हक दिया है उसे मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने के लिये स्वीकार किया जाय या उन यूनियनों को स्वीकार किया जाय जो गवर्नमेंट की पालिसी के खिलाफ हैं ।

मतगणना हुई, दोनों तरफ़ से बड़ी कोशिश की गई । नतीजा यह निकला कि २७ हज़ार वोट से सरकारी यूनियन हार गई और उस का नतीजा क्या हुआ । चाहिये तो यह था कि जो यूनियन जीत गई उस को मान्यता दी जाती लेकिन गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि सारे यू० पी० के अन्दर से वर्क्स कमेटी की व्यवस्था ही खत्म कर दी गई । अभी प्रोफ़ेसर शर्मा ने यह बात बड़े मार्के की कही कि हड़ताल कब की जाय, कौन हड़ताल करे और किस के संचालन में हड़ताल की जाय, बड़े मार्के की बात उन्हों ने कही है । मैं भी महसूस करता हूं कि सरकार जब इस नीति को मानती है कि किस को मान्यता दी जाय, किस यूनियन को मान्यता दी जाय और किस के नेतृत्व में मज़दूर चलें तो मैं समझता हूं कि इस का फ़ैसला हुकूमत को नहीं करना चाहिये । मजदूर किस

[श्री आर० आर० शास्त्री]

यूनियन को मानेंगे इस का फ़ैसला मज़दूर करेगा । हम अगर वाक़ई प्रजातंत्रवाद को मानते हैं तो मेरा विश्वास है कि इस सिद्धान्त को आप को मानना पड़ेगा और इसलिये मैं यह ज़रूरी समझता हूं कि वास्तव में यूनियन की मान्यता का सवाल एक ऐसा सवाल है जिस की ओर माननीय श्रम मंत्री को ध्यान देना चाहिये । मैं अपने देश में मजदूर आन्दोलन को आज सन् १८, और २० से देखता आ रहा हूं, ट्रेड यूनियन मूवमेंट यहां पर चला, लेजिस्लेशन की व्यवस्था तो यहां पर बहुत की गई लेकिन यूनियनों को रैकगनीशन देने के सम्बन्ध में कोई भी नियम देश में अब तक नहीं बनाये गये और एक प्रकार से अराजकता सी फैली हुई है । मैं चाहता हूं कि जो विधेयक सभा के सामने पेश किया गया है, आप उसको स्वीकार करें या न करें, आप उस से सहमत हों या असहमत, लेकिन मैं अपने श्रम मंत्री से इस मौक़े पर दरख़्वास्त करूंगा कि वह इतना ज़रूर बतलायें कि अगर वह इस विधेयक से सहमत नहीं हैं तो उन की सरकार क्या कोशिश कर रही है कि किस तरीक़े से यूनियन्स के रैकगनीशन का सिद्धान्त देश में आये, किस तरीक़े से मुल्क की यूनियन्स को मानना लाज़िमी कर दिया जाय, उस के लिये जो भी शर्तें आप लगायें, मुझे उस के लिये कोई ऐतराज़ नहीं है । अगर कोई यूनियन उन शर्तों को पूरा करती है तो उस यूनियन को स्वीकार करना चाहिये । अब सवाल यह उठता है कि आज हम लोग इस बात को भी मानते हैं और बहुत दिनों से इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो अदालतबाज़ी का तरीक़ा हिन्दुस्तान में शुरू हुआ है, वह जायज़ नहीं है, बल्कि हम को सामूहिक समझौते कलैक्टिव बार्गेन का सिद्धान्त मानना चाहिये । इस में कोई शक नहीं कि जो लोग मज़दूर आन्दोलन में काम करते हैं वह जानते हैं कि सामूहिक समझौते का सिद्धान्त बहुत सही सिद्धान्त है और मज़दूर लोग अपनी ताक़त, संगठन और एका इन चीज़ों के ज़रिये ही मालिकों से अपनी मांगों को मनवा पाते हैं । हम लोग भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं । हम किसी से कोई दया नहीं चाहते, हम किसी से कोई भीख नहीं मांगते । हम मानते हैं मज़दूर तहरीक जब एक होगी, तभी वह वास्तव में सही माने में मालिकों को दबा सकते हैं और गवर्नमेंट को भी कह सकते हैं कि तुम को हमारी बात माननी पड़ेगी । लेकिन अफ़सोस यह है कि इतने कारण कर दिये गये हैं कि जिन के कारण मज़दूर तहरीक आज कई हिस्सों में विभाजित हो गई है । इस तहरीक को किस तरीके से एक किया जाय ? मुझे इस बात से भी बड़ा अफ़सोस है कि जब कभी गवर्नमेंट की कमेटियों में हम लोग बैठते हैं तब तो वहां पर हम एका कर लेते हैं । जब गवर्नमेंट हमें मजबूर करती है कि फलां कमेटी में आइये तो चारों केन्द्रीय संगठनों के नुमायन्दे वहां पर जाते हैं, एक साथ बैठ सकते हैं और मज़दूर तहरीक पर बहस कर सकते हैं लेकिन अगर गवर्नमेंट हमें नहीं बुलाये तो हम चारों केन्द्रीय संगठनों के काम करने वाले लोग आपस में एक जगह बैठ कर बातचीत नहीं कर सकते हैं और अपनी समस्यायें हल नहीं कर सकते हैं, यह सचमुच बड़ी शर्म और दुःख की बात है । हम ज़रूर चाहते हैं कि अगर कम-से-कम और कुछ न हो और अगर हम मज़दूर तहरीक में काम करने वाले लोग आज किन्हीं वजूहात से एक नहीं हो सकते हैं तो मैं श्रम मंत्री जी से केवल एक बात कहता हूं कि वह इसी विषय को ले कर के कि रैकगनीशन मज़दूर यूनियनों को कैसे दिया जाय और उस के लिये क्या शर्तें रक्खी जायं, उस का क्या

तरीक़ा रखा जाय, इन विषयों पर विचार करने के लिए ही चारों केन्द्रीय संगठन जो कि देश के हैं उन को निमंत्रित करें और मेरा विश्वास यह है कि जो भी लोग इस बात को मानते हैं कि मज़दूर आन्दोलन में एकता होनी चाहिये उन लोगों को इस निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिये और यह एक ऐसी चीज़ है जिस को ले कर हमें और आप सब को विचार करना चाहिये । हम यह भी मानते हैं कि मज़दूर आन्दोलनों के जो चारों केन्द्रीय संगठन हैं, उन का एक ही संगठन हो । एक व्यवसाय में एक ही यूनियन हो । आई० एन० टी० यू० सी० भी यही नारा बुलन्द करती है, हिन्द मज़दूर सभा भी यही नारा बुलन्द करती है, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी यही कहती हैं कि सब से ऊंची चीज़ मज़दूर आन्दोलन की यह है कि एक व्यवसाय में एक यूनियन होनी चाहिये । जब एक व्यवसाय में एक यूनियन की बात को हम मानते हैं तब सचमुच हमें विचार करना पड़ता है कि इस विधेयक में जो यह बात कही गई है कि जिस किसी यूनियन की पांच परसेंट की मेम्बरशिप हो उस का रैकगनीशन सरकार की ओर से स्वाभाविक तौर से हो जाना चाहिये तो अब सवाल यह उठता है और जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने अपना भाषण करते हुए कहा कि हम चाहे इसे आदर्श के रूप में न मानें लेकिन व्यवहार रूप में हम देख रहे हैं कि मज़दूर तहरीक में एका नहीं है और वह अलग अलग बंटी हुई हैं और मिल मालिक तो मनाते हैं कि मज़दूरों में डिसयूनिटी बनी रहे, क्योंकि इसी में उन का स्वार्थ निहित है । इसलिये यह देखना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में हम जिस एकता के नारे को बुलन्द करते हैं और एक व्यवसाय में एक यूनियन के सिद्धान्त को हम स्वीकार करते हैं, उस की ओर हमारा क़दम बढ़े, कोई ऐसा काम न हो जिस की वजह से जिधर हम जाना चाहते हैं उधर से हट कर दूसरी तरफ़ चले जायें । जहां तक विधेयक में यह तजवीज़ है कि एक व्यवसाय में एक यूनियन को मान्यता दी जाय, वहां तक मैं उस से सहमत हूं और मैं उस को स्वीकार करता हूं लेकिन जो तरीक़ा उस में बताया गया है कि जिस किसी यूनियन की पांच परसेंट मेम्बरशिप हो उस को मान्यता दे दी जाय, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोअर क्लास टाइप की यूनियन्स ही इस बात के लिये रैफ़र करेंगी और मैं तो मान नहीं सकता हूं कि हमारे जो मज़दूर आन्दोलन में काम करने वाले संगठन हैं, वे ऐसा करने के लिये कहां तक सहमत हो सकेंगे लेकिन मज़दूर आन्दोलन की मौजूदा शोचनीय दशा को देख कर मेरे दिल में यह ख्याल पैदा होता है कि चाहे एक व्यवसाय में कितनी ही यूनियनें क्यों न हों लेकिन गवर्नमेंट को चाहिये कि वह एक व्यवसाय के अन्दर एक को ही रैकगनाइज़ करे । जैसे कि यू० पी० गवर्नमेंट ने शक्कर के व्यवसाय में एक मतगणना की थी, उसी तरह हर एक व्यवसाय के अन्दर आप मतगणना कीजिये कि कौन सी मज़दूर यूनियन पर मज़दूरों का विश्वास है और जिस यूनियन पर मज़दूरों का विश्वास हो, हम समझते हैं कि उस को रैकगनीशन मिलना चाहिये और जब वह रैकगनाइज़्ड हो जाती है तो बाक़ी जो यूनियन्स हैं उन के रैकगनीशन का सवाल नहीं उठना चाहिये । मज़दूर वर्ग तभी मज़बूत हो पायेगा जब कि जो उन की रैकगनाइज़्ड मान्यता प्राप्त यूनियन हो, सारे लोग उसी के मेम्बर बनें और ऐसा होने पर हम समझते हैं कि कारख़ानों के अन्दर अनुशासन भी ठीक हो सकता है, यूनियन भी मज़बूत हो सकती है और उन के फ़ाइनेंसेज़ भी ठीक हो सकते हैं और हर मज़दूर उस यूनियन को मानेगा ।

[श्री आर० आर० शास्त्री]

मैं अपनी ओर से कहने को तैयार हूं कि मैं अपनी विपरीत विचारधारा वाली यूनियन में काम करने के लिये तैयार हूं अगर मेरी यूनियन हार जाती है । मान लीजिये वह यूनियन कम्युनिस्टों के हाथ में चली जाती है, तो मैं अल्पमत में होते हुए भी उस यूनियन में काम करने के लिये तैयार हूं । मतगणना होती है और आई० एन० टी० यू० सी० यूनियन जीत जाती है तो मैं एक माइनारिटी की हैसियत से उस यूनियन में काम करने के लिये तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यूनियन एक ही हो, उस को मान्यता मिलनी चाहिये और हर एक विचारधारा के लोग उसी के अन्दर काम करने जायें । राजनैतिक विचारों में उस यूनियन में काम करने वालों में आपस में मतभेद हो सकता है, कई विचारधारा के लोग उस में हो सकते हैं लेकिन मज़दूरों की यूनियन एक ही होनी चाहिये, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं कहता हूं कि कभी भी मज़दूर आन्दोलन एक नहीं हो पायेगा । मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि भिन्न भिन्न ख़यालात रखने वाले लोग एक हो कर इस के अन्दर नहीं चल सकते हैं । यदि म्युनिसपैलिटी एक हो सकती है, कौंसिल और असेम्बली एक हो सकती है, सारे देश की पार्लियामेंट एक हो सकती हैं, फिर मेरी समझ में नहीं आता है कि एक व्यवसाय के अन्दर एक यूनियन क्यों नहीं हो सकती है ? इसी सिद्धान्त को ले कर हमारी बात होनी चाहिये ।

अन्त में मैं माननीय श्रम मंत्री से केवल एक ही दरख़्वास्त कर के अपनी बात समाप्त करूंगा कि यह विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पर देश का भविष्य बहुत कुछ निर्भर करता है, व्यवसायों का भविष्य बहुत कुछ इसी पर निर्भर करता है, अगर आप इस बात की तरफ़ ध्यान नहीं देंगे कि देश में मज़दूर यूनियनें बनें और उन्हीं यूनियन्स को मान्यता मिलनी चाहिये—सरकार की तरफ़ से भी और मिल मालिकों की तरफ़ से भी—और जब ऐसा होगा तभी इस देश के मज़दूर लोग एक यूनियन के झंडे के नीचे खड़े हो कर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे । अगर आप ने ऐसा नहीं किया तो जैसी अराजकता आज फैली हुई है, वह चलती रहेगी । चाहे उत्पादन की कितनी ही बातें आप क्यों न करें लेकिन मुझे इस बात का भय लगता है कि देश में हम वास्तव में उत्पादन नहीं बढ़ा सकेंगे । मज़दूर एक नहीं हो सकेंगे और जोश में आ कर काम नहीं कर सकेंगे । इसलिये अन्त में मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए उम्मीद करता हूं कि चाहे माननीय मंत्री इस विधेयक को स्वीकार करें या न करें, लेकिन यह ज़रूर बतलायें कि यूनियनों की मान्यता के सम्बन्ध में सरकार की पालिसी क्या है ।

**सभापति महोदय** : ४-१५ बजे इस विधेयक पर चर्चा समाप्त होने जा रही है अतः मैं समझता हूं कि मैं माननीय मंत्री को ४ बजे बुलाऊं । १० मिनट और शेष हैं । यदि माननीय सदस्य ५ मिनट से अधिक समय न लें तो मैं दो सदस्यों को चर्चा में भाग लेने के लिये कह सकता हूं ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या हम माननीय मंत्री से हस्तक्षेप करने के लिये कह सकते हैं ? चूंकि यह ग़ैर-सरकारी सदस्य का विधेयक है अतः हम सरकार का रवैया जानना चाहते हैं ।

**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री को बीच में अपने विचार प्रकट करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता । अब, डा० सत्यवादी बोलेंगे । मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य केवल ५ मिनट लें ।

**डा० सत्यवादी** (करनाल–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं केवल दो तीन बात ही कहने के लिये खड़ा हुआ हूं । प्रोफेसर शर्मा, श्री केशवैयंगार और श्री वेंकटरामन् उस रोज बोल रहे थे और बड़ी संजीदा दलीलें दे रहे थे इस मसविदा कानून की मुखालिफ़त में । लेकिन यहां मुझे एक शायर की बात याद आती है :

'नुक्ताचीं है गमे दिल उस को सुनाये न बने ।
क्या बने बात जहां बात बनाये न बने ।"

दलील सुनाने की बात तो यहां है ही नहीं, यहां बात कुछ और ही है । देखने में जो बात पेश की गई है कि यूनियन के पांच फ़ी सदी मेम्बर होने पर उसे तसलीम कर लिया जाय, वह बड़ी आसान और बड़ी जायज़ मालूम होती है । लेकिन देखने में जो चीज़ बड़ी अच्छी मालूम होती है वह दरअस्ल अच्छी है, इस में मुझे शक है । एक और कवि की बात याद आई जिस ने कहा है कि :

"अपने जूतों से रहें सारे नमाज़ी होशियार ।
एक बुज़ुर्ग आते हैं मस्जिद में खिज़र की सूरत ।।

हर वह आदमी जो मस्जिद की तरफ जा रहा है, यह न समझिये कि नमाज़ पढ़ने के लिये जा रहा है, हो सकता है कि वह जूते चुराने के लिये जा रहा हो । इसलिये यह जो पांच फी सदी मेम्बरशिप की किसी यूनियन को तसलीम करने की बात है उस में कहीं ऐसा तो नहीं है, जो हमारे दोस्तों की ट्रेड यूनियनिज्म का एक खास तरीका है, कि सेल (बिक्री) बनाने के लिये कोई लीगल मंजूरी और ताकत हासिल करना चाहते हों । मैं उन से अर्ज़ करूंगा कि कानून का सहारा ले कर सेल न बनायें । आप इसी तरह से बनाते रहिये, हम इस में आप के साथ चलने के लिये तैयार हैं, लेकिन सेल बनाने के लिये गवर्नमेन्ट के कानून की मदद न लीजिये ।

अभी श्री राजा राम जी शास्त्री फ़रमा रहे थे कि आज मज़बूत यूनियन की जरूरत है और इस से किसी को भी इन्कार नहीं । इस पांच फी सदी वाली बात के कारण मैं अपने कम्यूनिस्ट दोस्तों से नहीं घबराता कि हमारे यहां यूनियन में आ कर पांच मजदूरों को ले कर अपनी यूनियन बना लेंगे, मेरे सामने जो ख़तरा है वह सरमायेदारों और कैपिटलिस्टों से है, जहां कारख़ानों में मालिकों की तरफ़ से चन्द गुण्डे इकटठा कर के और नौकर रख कर हमारे काम में रुकावट डालने और उन को फेल करने के तरीके अख्तियार किये जाते हैं । अगर मेरे भाई श्री नम्बियार की यह तजवीज मान ली जाय और कानून बना दिया जाय तो इस का मतलब यह होगा कि एक तसलीमशुदा यूनियन मालिकों की यकीनन जायेगी जिस में सिर्फ गुंडे होंगे, और हर बात में वह उन गुंडों की बात को आगे रख कर आप की बात को भी नहीं चलने देंगे और हमारी बात को भी नहीं चलने देंगे । आप इस झगड़े को इस तरीके से न लायें । अगर आप की नीयत साफ है, तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि यकीनन यही आप की तजवीज, यही आप का बनाया हुआ मसविदा कानून जिसे आप ने पेश किया है कानून बन जाने के बाद आप के रास्ते में कांटे बोने वाला साबित होगा ।

[ श्री बर्मन पीठासीन हुए ]

मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि सिर्फ यूनियन बनाने के लिये इस बिल को तसलीम कर लिया जाय, यह कोई सिद्धान्त नहीं । यह कहीं नाजायज़ यूनियन तो नहीं है ? यह यूनियनें कितने ही किस्म की हो सकती हैं । एक ताल्लुक जायज होता है और एक ताल्लुक नाजायज होता है । कहीं मेरे दोस्त नाजायज ताल्लुक़ात के लिये मंज़ूरी लेने के लिये तो नहीं बैठे हुए हैं ?

[डा० सत्यवादी]

यहां यकीनन यह बात हमें सोचनी चाहिये कि हमें कोई ऐसा तरीका अख्तियार करना चाहिये, कोई ऐसा रास्ता बनाना चाहिये कि इस मेयार पर जा कर हम यूनियन को मंजूर कर लें ।

**सभापति महोदय** : आप का समय खत्म हो गया है ।

**डा० सत्यवादी** : मैं अपनी बात कह चुका हूं लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि यूनियनों की तहरीक का जो मर्कज़ है, केन्द्रबिन्दु है, जिस को कि हम लाना चाहते हैं, यह चीज उस के रास्ते में रुकावट डालेगी और इसलिये मैं इस की मुखालिफ़त करता हूं ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : सरकार का रवैया जानने के लिये हम माननीय मंत्री का भाषण सुनना चाहते थे पर हमें यह अवसर नहीं दिया गया । मैं ने उन सभी माननीय सदस्यों के भाषण सुने जिन्हों ने इस विधेयक का विरोध किया है पर मैं नहीं समझती कि आखिर उन्हें भय किस बात का है ? कुछ लोगों को भय है कि कहीं साम्यवादियों के कुछ संघों को मान्यता न दी जाय । इस विधेयक का उद्देश्य मजदूरों के हितों की रक्षा करना है चाहे वह किसी नीति के मानने वाले हों, किसी विचारधारा के मानने वाले हों या किसी कार्मिक संघ से सम्बन्धित हों ।

क्या समाजवादी या साम्यवादी मजदूर अपने श्रम के द्वारा उत्पादन में वृद्धि नहीं करता ? वह किसी भी उद्योग का साझेदार होता है । आप अन्य किसी संघ को महत्व नहीं देते केवल भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस को ही महत्व देते हैं । हमारे देश में चार केन्द्रीय कार्मिक संघ और कई छोटे छोटे कार्मिक संघ हैं । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम घोषणा करते हैं कि हम शक्ति के बल पर समझौता करने के पक्ष में नहीं हैं पर राष्ट्रीय क्षेत्र में इस प्रकार का व्यवहार क्यों नहीं किया जाता । आज मजदूरों को अवसर दिया जाना चाहिये कि वह नियोजकों से अपनी मांगों के सम्बन्ध में बातचीत कर सकें । जब पूंजीवादी लोग कार्मिक संघ बनाने की सुविधा दे रहे हैं तो सरकार को उन्हें मान्यता देने में क्या कठिनाई है ? कई बड़े बड़े संघों को मान्यता नहीं दी गई है । जब मजदूर अपना काम करते हैं और उत्पादन में भी वृद्धि होती है तो भी उन को वह सब रियायतें क्यों नहीं दी जातीं, जो संकट काल में छीन ली गई थीं । अतः सरकार ने जब विधि के आधार पर कार्मिक संघों के संगठित करने और उन के पंजीयन की अनुमति दी है तो वह संघों को मान्यता क्यों प्रदान नहीं करती ? संघों की मान्यता के प्रश्न पर हम यही कहते हैं कि यह कार्मिक संघों का मामला है और हम कांग्रेसी होने के नाते इसे पसन्द नहीं करते पर इन संघों को विधि के अनुसार मान्यता क्यों न दी जाय ताकि वह अपनी शिकायतों और बातों को ले कर न्यायाधिकरण के सामने जा सके । इन संघों के एक में शामिल होने या न होने का प्रश्न इस से बिल्कुल अलग है । इस विधेयक में एक महत्वपूर्ण बात की मांग की गई है ।

इसीलिये मैं जानना चाहती हूं कि जब सरकार ने यह छूट दी है कि मजदूर किसी भी संघ के सदस्य बन सकते हैं तो वह उन्हें मान्यता देने में क्यों बाधायें डालती है ?

**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : मुझे खेद है कि श्री नम्बियार द्वारा रखे गये विधेयक को मैं स्वीकार नहीं कर सकता । मजदूर वर्ग के हित के लिये जो प्रशंसनीय उद्देश्य श्री आर० आर० शास्त्री द्वारा इस सभा के सम्मुख रखे गये हैं वे सब व्यर्थ

हो जायेंगे यदि इस विधेयक को इसी रूप में या थोड़े भी संशोधन के साथ स्वीकार किया जायेगा ।

किसी भी संस्था या उद्योग में मजदूरों के संगठन को कैसे शक्तिशाली बनाया जा सकता है । यदि एक से अधिक संघों को, विधि के दबाववश, नियोजक मान्यता प्रदान करता है तो वह संघ अपनी शक्तियों को एक दूसरे का विरोध करने में लगायेंगे । अतः ऐसे संघ को मान्यता देने की कोई आवश्यकता नहीं है जिस की सदस्यता केवल ५ प्रतिशत हो ।

फिर, मेरे विचार से यह विधेयक इस प्रकार की प्रतिद्वन्द्विता को स्थायी बना देगा । वास्तव में, मान्यता का अर्थ क्या है ? यदि नियोजक को विधि द्वारा बाध्य किया जायेगा कि वह ५, ७ या १० प्रतिशत सदस्यता वाले संघों को मान्यता प्रदान करे तो नियोजक मान्यता प्रदान करेंगे । पर मजदूरों के पत्र के उत्तर में वह यही लिखेगा कि वह उन की मांगें स्वीकार नहीं कर सकता । यदि विधि में यह भी व्यवस्था होगी कि वह संघ के प्रतिनिधियों से बात करे तो वह संघ के मंत्री या सभापति को बुला कर अपनी मेज के सामने बैठा कर एक प्याला चाय या एक गिलास पानी पिला कर कह देगा : अच्छा मैं आप से बातें कर चुका । बस इतने से ही सब बात समाप्त हो जायेगी । क्या इसी प्रकार की मान्यता के लिये इतना शोर मचाया जा रहा है ?

साधारणतया संघ को मान्यता स्वयं इच्छा से दी जानी चाहिये । वास्तविक और दृढ़ संघ का काम विवादों को तय करना और उद्योग में शान्ति बनाये रखना है । ऐसा न होने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार राज्य को यह अधिकार होता है कि वह विवाद को न्याय निर्णय के लिये भेज दे । और जहां तक न्यायिक निर्णय का सम्बन्ध है कोई भी पंजीकृत संघ अपने मामले को पेश कर सकता है । अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन जहां तक समझौता और औद्योगिक न्यायाधिकरणों का सम्बन्ध है, उन्हें मान्यता दी जाती है । मैं समझता हूं कि नियोजकों पर अनिवार्य मान्यता की पाबन्दी लगाने से कोई लाभ नहीं होगा । इस के विपरीत, इस से कार्मिक संघ आन्दोलन में एक स्थायी फूट पड़ जायेगी और संभवतः जैसा कि श्री सत्यवादी का कथन है, इस से नियोजक द्वारा संचालित संघ को अधिक बल मिलेगा ।

आज की विद्यमान अवस्था कार्मिक संघों के आन्दोलन की शक्ति बढ़ाने में सहायक हुई है या नहीं, इस का कार्मिक संघों और उन की सदस्यता के आंकड़ों से पता चल सकता है । १९४६-४७ में लगभग १,०८७ संघ थे और उन के सदस्यों की संख्या ८,६४,००० थी जब कि १९५३ के प्रारम्भ में, मेरे पास नवीनतम आंकड़े हैं, संघों की संख्या ३,७४४ है और उन के सदस्यों की संख्या १८,५०,००० है । इस का तात्पर्य यह है कि वर्तमान परिस्थितियों के कारण कार्मिक संघों की प्रगति अवरुद्ध नहीं हुई है । किसी कार्मिक संघ को नियोजकों द्वारा संविधि से मान्य कराने की अपेक्षा तो प्रारम्भ में श्रमिक ही किसी कार्मिक संघ को मान्यता दें । जब किसी उद्योग के श्रमिक एक कार्मिक संघ को मान्यता देते हैं तो मैं सभा को यह बता दूं कि १०० में से ९९ मामलों में वर्तमान परिस्थितियों एवं कार्मिक संघ की एकता से विवश हो कर नियोजक उसे मान्यता देते हैं । इस में कुछ अपवाद हो सकते हैं । मैं जानता हूं कि एक हठी नियोजक किसी भी आदर्श के कार्मिक संघ को मान्यता नहीं देता है । यह सुझाव देना गलत है कि इस देश के सभी 'इन्टक' संघों को मान्यता

[श्री खंडूभाई देसाई]

प्राप्त है । बहुत से 'इन्टक' कार्मिक संघों को मान्यता प्राप्त नहीं है । संघ का संगठन दृढ़ होना चाहिये तथा उसे श्रमिकों के हितों के लिये निष्ठापूर्वक कार्य करना चाहिये, न कि केवल इसलिये कि वे उन के राजनैतिक सिद्धान्तों के अनुकूल हैं । श्रमिकों को भी विवेक होता है तथा वे लोग भी उसी संघ की ओर आकर्षित होंगे जो उन के हितों का सर्वाधिक ध्यान रखता है ।

देश में कार्मिक संघों के संगठन की वर्तमान अवस्था को देखते हुए सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि पांच प्रतिशत सदस्यता वाले संघों को मान्यता देने के लिये नियोजकों को विवश करने वाले अधिनियम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस से कार्मिक संघों की प्रगति अवरुद्ध होगी तथा यह आन्दोलन दुर्बल हो जायेगा । फिर भी मैं सभा को यह बता दूं कि यदि सरकार के समक्ष यह तथ्य रखे जायें कि अधिकांश नियोजक हठी हैं तथा पर्याप्त सदस्यता वाले सच्चे कार्मिक संघों को भी मान्यता नहीं दी जा रही है तब जैसा कि राजा राम जी ने कहा है हम कार्मिक संघों को मान्यता दी जाने वाली शर्तें एवं परिस्थितियों पर विचार करेंगे ।

जहां तक मतदान का सम्बन्ध है, मैं इस के विरुद्ध हूं । आखिर मतदान है क्या ? मतदान के लिये निश्चित किसी विशेष दिन के पूर्व एक भावनापूर्ण आधार भी तैयार किया जा सकता है जैसा कि मेरे मित्र श्री शिब्बन लाल सक्सेना ने मतदान के पूर्व किया था । मतदान के कुछ दिन पूर्व उन्हों ने भूख हड़ताल कर दी थी । जिस के कारण एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया कि लोगों ने उन्हें ही अपना मत दिया । यदि मतदान एक दो महीने पश्चात् किया जाता तो इस का प्रभाव इस के नितान्त प्रतिकूल होता ।

इस प्रकार लोग भावना में बह जाते हैं । कार्मिक संघ की दृढ़ता का आधार उस के स्थायी चन्दा देने वाले सदस्य हैं और यह कि किसी विशेष उद्योग अथवा एकक के श्रमिक उस के स्थायी सदस्य हैं तथा वे कभी किसी भावना में नहीं बह सकते हैं ।

मैं सभा के समक्ष रखी गई सभी भावनाओं का उत्तर नहीं दूंगा । मैं उन लोगों में हूं जो यह विश्वास करते हैं कि एक दृढ़ कार्मिक संघ आन्दोलन तभी हो सकता है जब कि उसे श्रमिकों का समुचित प्रोत्साहन मिले चाहे उस के आदर्श कुछ भी क्यों न हों । सरकार किसी संघ से पक्षपात नहीं करती । यदि श्रमिक किसी संघ को मान्यता देते हैं तो नियोजक को उन के संघ को मान्यता देनी पड़ेगी । यही हमारे संघीय कार्यकर्ताओं का अनुभव है । मैं सभी नियोजकों की ओर से प्रत्याभूति नहीं दे सकता क्योंकि हठी नियोजक भी होते हैं । किन्तु हमें पता लगाना है कि ऐसे कितने नियोजक हैं । यदि जांच करने से यह पता लगेगा कि अधिकांश नियोजक प्रतिनिधि प्रकार के दृढ़ कार्मिक संघों को भी मान्यता नहीं देते हैं तो सरकार इस समस्या पर विचार करेगी तथा ऐसी संविधि बनायेगी जिस से श्रमिकों के हितों का परित्राण होगा तथा हमारे उच्च लक्ष्य पर भी आघात नहीं होगा ।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, १९२६ (धारा १५क) में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

(अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।)

## भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक

**श्री यू० सी० पटनायक** (घुमसूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राय जानने के लिये इसे जुलाई, १९५५ के अन्त तक परिचालित किया जाय ।"

१९४७ के अधिनियम की धारा ५ के संशोधन के लिये मैं ने एक प्रस्ताव रखा है जो इस प्रकार है :—

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७ की धारा ५ की उपधारा (३) के बाद निम्नलिखित उपधारा निविष्ट की जाये, अर्थात् :—

["(3a) Where in any trial of an offence punishable under sub-section (2), the accused person is found guilty, such finding being based, either wholly or partly, upon a presumption arising under sub-section (3), the Court shall, while awarding the punishment under sub-section (2), direct that in addition thereto, the pecuniary resources or property disproportionate to the accused person's known means of income, the possession of which resources or property by the accused or by any person on his behalf in the circumstances laid down under sub-section (3) gave rise to the presumption thereunder be forfeited to the Union or State Government or to the quasi-government administration, as the case may be, under which the accused person was serving"].

["(३क) उपधारा (२) के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अभियोग में, यदि अभियुक्त दोषी प्रमाणित हो, और यह निर्णय पूरा अथवा अंशतः उपधारा (३) के अधीन अनुमान से उत्पन्न हुआ हो तो न्यायालय उपधारा (२) के अधीन दंड देते समय यह निर्देश करेगा कि, अभियुक्त के आय के ज्ञात साधनों के अलावा, अन्य आर्थिक साधन तथा समानुपातरहित सम्पत्ति, जिन साधनों अथवा सम्पत्ति पर अधिकार होने से उपधारा (३) के अधीन अवस्थाओं में, अभियुक्त तथा उस के किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में उक्त पूर्वानुमान किया गया, संघ, राज्य अथवा अर्द्ध-सरकारी प्रशासन, जिस के भी अधीन अभियुक्त सेवा कर रहा था, उसे जब्त कर ले ।"]

संशोधन विधेयक के उपबन्धों की व्याख्या करते समय, मैं भ्रष्टाचार की रोक थाम अधिनियम, १९४७ की पृष्ठभूमि बताऊंगा । युद्ध काल के दौरान तथा उस के उपरान्त

[श्री यू० सी० पटनायक]

भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था और महालेखापरीक्षक तथा संसद् की लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों में उस का जिक्र आया है । उस समय सभी जगह चोर बाजारी, भ्रष्टाचार इत्यादि का बोल बाला था और कई उच्च पदाधिकारी तथा दायित्वपूर्ण व्यक्ति भी ऐसा करते हुए पकड़े गये । जिस पर उन के ऊपर अभियोग चलाया गया और उन्हें पदच्युत किया गया, आदि ।

निःसन्देह सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों में यह उपबन्ध है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी नियुक्ति के समय तथा उस के उपरान्त समय समय पर अपनी सम्पत्ति की सूचना सरकार को देता रहे, किन्तु ये सूचनायें असत्य भी हो सकती हैं । तिस पर ये पदाधिकारियों की गोपनीय फाइल में रहती हैं । जिस के फलस्वरूप उन की कोई जांच नहीं हो पाती है तथा उन की आवश्यकता उसी समय होती है जब न्यायालय उन की मांग करते हैं ।

योजना आयोग के लिये भी यह प्रश्न बहुत जटिल था । उन्हों ने भी योजना के दौरान भ्रष्टाचार की रोकथाम के महत्व को समझा था । इसीलिये श्री गोरवाला को इस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया । उन्हों ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया इस के अलावा अन्य दो-एक प्रतिवेदन और भी हैं किन्तु हम नहीं जानते कि उन पर कुछ कार्यवाही भी की गई है अथवा नहीं ।

अभिप्राय यह है कि उक्त नियमों, विनियमों तथा कार्यवाहियों के होने पर भी भ्रष्टाचार बढ़ता गया । हमारा विकास आन्दोलन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करेंगे ।

वास्तव में भ्रष्टाचार युद्ध के दौरान प्रारम्भ हुआ । आई० सी० एस० कर्मचारी जो कर्तव्य निष्ठा तथा ईमानदारी के लिये प्रसिद्ध थे वे भी लाखों रुपये हाथों में आने के कारण भ्रष्ट हो गये । अधीनस्थ पदाधिकारियों का कहना ही क्या है । युद्ध की समाप्ति के पश्चात् विकास योजनाओं का प्रारम्भ हुआ जिस से सामान्य पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार का खूब अवसर मिला क्योंकि एक ओर उन के हाथों में लाखों-करोड़ों रुपये आये, और दूसरी ओर भ्रष्टाचार को रोकने के कोई कड़े उपबन्ध न होने के कारण उन्हें इस प्रकार गड़बड़ी करने की खूब सुविधा मिली । लोगों ने खूब जायदादें जोड़ीं यद्यपि वे कुछ महीनों के लिये जेल भी गये, फिर भी उन्हें अधिक हानि नहीं हुई क्योंकि वे अपने परिवार के लिये पर्याप्त सम्पत्ति का अर्जन कर लेते थे ।

इसलिये जब तक आप उन की सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक यह चलता रहेगा । १९४६ के अध्यादेश ६ के अनुसार घूसखोरी के मामले में एक विशेष उपबन्ध था, अर्थात् अर्थ दंड एवं कारागार के अलावा न्यायालय, पदाधिकारी द्वारा अर्जित सम्पत्ति के मूल्य के समान अतिरिक्त अर्थ दंड भी दे सकता था ।

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : यह अध्यादेश अब भी लागू होता है ।

**श्री यू० सी० पटनायक** : यदि ऐसा हो तो यह हर्ष का विषय है । मैं नहीं जानता कि किस विशेष उपबन्ध के कारण यह अध्यादेश १९४६ से १९५४ तक जारी रह सका । किन्तु यह अध्यादेश अनुसूची के अधीन मामलों तक ही सीमित है ; यथा घूस के मामले, गबन के मामले, चोरी की सम्पत्ति प्राप्त करने, ठगने तथा साठेबाजी

तथा मुनाफ़ाख़ोरी (निवारण) अध्यादेश, १९४३ एवं भारत रक्षा अधिनियम, १९३९ के अधीन मामले । इस प्रकार दो बातों में अन्तर हो जाता है । कदाचित् यह कुछ अधिनियमों की ओर निर्देश करता है और अतिरिक्त अर्थ दंड के लिये यह सम्पत्ति के आर्थिक मूल्य की ओर निर्देश करता है । इस के पश्चात् भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, १९४७ पारित हुआ । यह वह समय था जबकि अधिकार प्राप्त दल भ्रष्टाचार को मिटा देना चाहता था । निःसन्देह यह प्रयोगिक आधार पर था । इस अधिनियम ने एक नये प्रकार के अपराध, अर्थात् कर्तव्य-पालन में दंडनीय दुराचरण को जन्म दिया । उपखंड २ में यह उल्लिखित है कि अपने कर्तव्य-पालन में दंडनीय कदाचार वाले सरकारी कर्मचारी को सात वर्ष तक का कारागार अथवा अर्थ दंड एवं कारागार—दोनों हो सकते हैं । इस की तीसरी उपधारा प्रक्रियात्मक खंड से सम्बन्ध रखती है ।

हमें इन तीनों पहलुओं पर विचार करना है । पहिला यह कि कुछ अपराधों को कर्तव्यपालन में कदाचार के समान मान लिया गया है ; दूसरे इन अपराधों के लिये ७ वर्ष का कारागार, तथा अर्थ दंड, अथवा दोनों ही, विहित हैं ; तीसरे प्रक्रियात्मक खंड में यह उल्लिखित है कि यदि यह सिद्ध कर दिया जाय कि किसी पदाधिकारी ने अपने साधनों की सीमा से अधिक सम्पत्ति अर्जित कर ली है और वह उस का यथार्थ स्रोत नहीं बतला सकता तो यह अनुमान लगाना पड़ेगा कि यह सम्पत्ति अवैध रूप से कर्तव्य पालन में कदाचार कर अर्जित की गई है । इसलिये उस को दंडित किया जा सकता है । दुर्भाग्य की बात है कि अधिनियम पारित होने पर भी भ्रष्ट पदाधिकारियों पर अभियोग चलाने पर भी इस का बहुत कम लाभ उठाया गया है क्योंकि इस अधिनियम के अधीन यदि न्यायालय उपखंड (१) तथा उपखंड (२) के अधीन अनुमान लगा कर पदाधिकारी पर अभियोग भी चलाये तो भी उस की सम्पत्ति नहीं छुई जा सकती है । यह वास्तव में आश्चर्यजनक बात है क्योंकि वही पदाधिकारी जिस ने अपनी सेवा के दौरान अवैध रूप से इस सम्पत्ति का अर्जन किया है, तो वह सेवा से च्युत होने पर उस का उपभोग कर सकता है । तब उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती ।

मेरा संशोधन इसी कमी की पूर्ति के निमित्त है जिस से सेवाओं में ईमानदारी की भावना जागृत हो अर्थात् यदि न्यायालय किसी पदाधिकारी पर उपधारा (२) के अधीन अभियोग चलाता है और ७ वर्ष की सज़ा देता है तो उपधारा (२) के अधीन दंड देते समय न्यायालय यह भी निर्देश करेगा कि अतिरिक्त सम्पत्ति तथा साधन जिन पर अभियुक्त के अधिकार से उक्त अनुमान लगाया गया, उन्हें संघ, राज्य अथवा अर्द्ध-सरकारी प्रशासन, जिस के अधीन अभियुक्त कार्य करता था, ज़ब्त कर ले ।

इस सम्बन्ध में मेरा यह तर्क है कि जब एक बार न्यायालय को साक्ष्य से यह मालूम हो कि अभियुक्त पर अभियोग चल सकता है—और जो बात पूर्णतः या अंशतः इस धारणा पर आधारित हैं कि उस के पास इस प्रकार की सम्पत्तियां हैं जिन के साधन वह बता नहीं सका है—तब उस की वह सम्पत्ति, जिस की प्राप्ति के साधन वह बता नहीं सका और जिस से विधि की दृष्टि में यह धारणा बनाई गई, निश्चित रूप से उस की सम्पत्ति नहीं बल्कि बेईमानी से कमाई गई या अर्जित सम्पत्ति है, और इस पूर्वानुमान की भी इसी बात से पुष्टि हुई है । अतः इस प्रकार की सम्पत्ति संघ सरकार, राज्य सरकार या अर्द्ध-सरकारी

[श्री यू० सी० पटनायक]

संस्था द्वारा हथियाई जानी चाहिये । इस प्रकार के उपबन्ध नियंत्रण (रोकथाम) अधिनियमों और भारतीय दण्ड-संहिता में मौजूद हैं ।

**सभापति महोदय** : यह प्रस्ताव परिचालन के लिये है । नियमों के अनुसार इस पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है । इस विधेयक पर चर्चा के लिये केवल दो घण्टे दिये गये हैं । माननीय सदस्य को औरों को भी बोलने का मौका देना चाहिये, जिस से उन के विधेयक को सफलता प्राप्त हो सके । वह एक महत्वपूर्ण संशोधन सुझा रहे हैं और वह २० मिनट तक बोल चुके हैं ।

**श्री यू० सी० पटनायक** : मैं इस बात को उपदेश के रूप में लूंगा किन्तु मुझे अन्त में बोलने का अवसर दिया जाय ।

**श्री बोगावत** (अहमदनगर दक्षिण) : भ्रष्टाचार का जहां तक प्रश्न है, इस संशोधन की बहुत अधिक आवश्यकता है । द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के नियंत्रण अभिशाप बन कर आये । मेरा विनम्र निवेदन है कि भारत के जैसे नवोदित गणतंत्र के लिये इस बात की आवश्यकता है कि घरेलू खतरे को दूर किया जाय । बाह्य दृष्टि से हमारे देश ने बहुत ही ख्याति प्राप्त की है किन्तु जहां तक घरेलू व्यवस्था का सम्बन्ध है हम ने उचित मात्रा में उस का उपचार नहीं किया है । जब तक कड़ी कार्यवाही न की जाय, तब तक हम भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं कर सकते । यह ठीक है कि भ्रष्टाचार में कमी हुई है, लेकिन वह इस हद तक नहीं हुई है जिस हद तक हमें उस की आशा थी । विश्व के बड़े-बड़े राष्ट्र इस अभिशाप से ही समाप्त हो गये । च्यांग-काई-शेक की सरकार के पतन का भी यही कारण था । जिस प्रकार उन्हों ने चीन में इस अभिशाप को हटाने की कड़ी कार्यवाही की उसी प्रकार हमें भी कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये । ऐसे बहुत से मामले हुए हैं जिन में कुछ पदाधिकारियों ने लाखों-करोड़ों रुपये का ग़बन कर के बड़ी-बड़ी सम्पत्तियां बनाईं । यही देखिये कि अब क्या हो रहा है । आयकर और बिक्री कर विभागों के पदाधिकारी हज़ारों रुपये घूंस में लिया करते हैं । यदि इस प्रकार के व्यक्तियों को मृत्युदण्ड दिया जाय तो वह भी कम है । मैं समझता हूं कि जब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता तब तक यह भ्रष्टाचार चलता रहेगा ।

मेरे मित्र माननीय गृहमंत्री ने अभी हाल में कुछ नियम बनाये हैं कि सम्पत्ति —चल और अचल—कितनी हो । किन्तु भ्रष्टाचारी व्यक्ति अब भी अपनी गतिविधि जारी रखेंगे । भ्रष्टाचारी बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं । समझ और बुद्धि के बल पर ही तो वे करोड़ों रुपये डकार जाते हैं ।

मेरे मित्र ने स्पष्ट शब्दों में और इसी इच्छा से यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्यवाही की जाय । सैंकड़ों मामलों में एक-आध को पकड़ा जाता है । और यदि बहुत भी हुआ तो कुछ जुर्माना किया जाता है । इस से कोई भी लाभ नहीं । यदि आप कोई ऐसा मामला पकड़ें तो उस में वह सम्पत्ति छीनी जानी चाहिये । मेरा कहना है कि साधनों से बाहर की सम्पत्ति ही नहीं बल्कि उस व्यक्ति की सारी सम्पत्ति छीनी जानी चाहिये । ऐसा व्यक्ति समाज का शत्रु है । उसे भिखारी बनाया जाना चाहिये; और उसे एक श्रमिक बनाना चाहिये ।

**श्री भागवत झा आजाद** (पूर्निया व संथाल परगना) : उसे भिखारी न बनाइए, बल्कि फांसी पर लटकाइए ।

**श्री बोगावत** : हमारी सरकार इतनी कठोर नहीं । हम अभी भी अहिंसावादी हैं, अतः हमारी सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती । हमें श्री यू० सी० पटनायक के संशोधन का महत्व जानना चाहिये । वह कहते हैं कि बेईमानी से अथवा, जिस का कोई वैध साधन न हो, कमाया गया धन छीना जाना चाहिये । मेरी ओर से यह जोड़िये कि उस की सारी सम्पत्ति छीनी जानी चाहिये । यदि इस की अवधि कम की हो तो मेरा यह भी निवेदन है कि इस को सन् १९६० या १९६५ तक बढ़ा दिया जाना चाहिये । इसी प्रकार की कड़ी कार्य-वाही से भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है ।

**श्री शिवमूत स्वामी** (कुष्टगी): यह बात छिपी हुई नहीं है कि मुल्क में करप्शन या घूसखोरी बढ़ रही है । मैं इस करप्शन पर बोलने के बजाय चन्द तजवीज़ें गवर्नमेंट के सामने पेश करना चाहता हूं जिस से कि यह कम हो सके । कोई भी इस बात से इन्कार नहीं करता, इस हाउस में भी और इस हाउस के बाहर भी, कि करप्शन नहीं है । लेकिन इस करप्शन के बढ़ने के क्या कारण हैं । अगर हम इस की वजह को ढूंढने चलें तो यह मालम होता है कि हर डिपार्टमेंट में अफसरों के हाथों में कंसेंटरेशन आफ पावर इतनी है कि वे करप्शन को दूर करने के नाकाबिल बन जाते हैं और इस में घुल मिल जाते हैं । मैं हैदराबाद से आ रहा हूं । निज़ाम दरबार तो हिन्दुस्तान में मशहूर है । इस दरबार में हम जानते हैं कि करप्शन एक दो नहीं, लाखों केस हुए और वे केसिस बता भी सकते हैं । लेकिन मोटे तौर पर हम महसूस करते थे कि निज़ाम के दरबार में बहुत सी करप्शन है लेकिन अब हमारे हिन्दुस्तान में स्टेट्स भी बढ़ गई हैं और इस के साथ साथ करप्शन भी बढ़ गया है । पोलिस एक्शन के बाद या आज़ादी मिलने के बाद लोगों को महसूस होने लगा है कि निज़ाम गवर्नमेंट कुछ अच्छी थी । यह इसलिये कहते हैं कि जब चीफ सेक्रेटरी के साथ हमें कुछ बातें करने का मौका मिलता है और उन को यह बातें बताते हैं तो उन बातों को बड़े बड़े अफसर और यहां तक कि मिनिस्टर भी उस को छिपाने की कोशिश करते हैं, किसी बुरी नियत से नहीं लेकिन बदनामी से बचने के लिये । वे किसी बुरी नियत से छिपाने की कोशिश नहीं करते हैं । इस बात पर ज्यादा ज़ोर न देते हुए सौल्यूशन के तौर पर दो चार बातें कहना चाहता हूं । आप कभी देखें आप के आई० सी० एस० अफसरान के मातहत जो काम करते हैं और जब कभी वे कोई रिपोर्ट देते हैं आप कोई एक्शन नहीं लेते और आई वाश करना चाहते हैं । आई वाश करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा

**डा० सुरेश चन्द्र** (औरंगाबाद) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है । माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि मंत्री भी भ्रष्टाचार के मामलों को छुपाना चाहते हैं । उन्हें ऐसा गम्भीर आरोप या तो वापस लेना चाहिये या इसे सिद्ध करना चाहिये ।

**सभापति महोदय** : जब तक इस प्रकार की बातों को उदाहरणों द्वारा सिद्ध न किया जा सके किसी सदस्य को ये बातें नहीं कहनी चाहियें । यदि इस की भाषा आपत्तिजनक हुई तो मैं इसे अभिलेख में नहीं आने दूंगा ।

**श्री दातार** : उन्हों ने यही कहा है कि मंत्री भी कतिपय अनियमितताओं और त्रुटियों को दबा देते हैं ।

**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : मेरा मतलब यह था कि वे सेट एसाइड करना चाहते हैं किसी बुरी नियत से कुछ नहीं करते लेकिन उस को सेट एसाइड करने की कोशिश करते

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

हैं । रिपोर्ट उन के पास आती है कोई इन-क्वायरी नहीं करते लेकिन सेट एसाइड करते हैं । इनक्वायरी तो जाने दीजिये हाथ में ले कर वे उस पर गौर करने की कोशिश भी नहीं करते ।

**डा० सुरेश चन्द्र** : वे अपने आरोप को दोहरा रहे हैं ।

**सभापति महोदय** : यह मंत्री पर आक्षेप है और उन्हें विशेष उदाहरण या मामले बता कर इसे सिद्ध करना चाहिये ।

**श्री दातार** : इस के अतिरिक्त सभा में इस प्रकार राज्य सरकारों या राज्य के मंत्रियों की आलोचना करना उचित नहीं है क्योंकि वे यहां आ कर अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर सकते ।

**सभापति महोदय** : मैं इस शब्दावली को देख कर निर्णय करूंगा ।

**श्री भागवत झा आजाद** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमें राज्य सरकारों की उस नीति की आलोचना करने का अधिकार है जिस का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से भी हो, और क्या हम यह भी कह सकते हैं कि लोगों का यह कहना है कि कुछ भ्रष्टाचार के मामलों से मंत्रियों का भी सम्बन्ध है । यदि हम यह नहीं कह सकते तो हम सरकार की नीति के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह सकते ।

**श्री दातार** : माननीय सदस्य ने कुछ शब्दों को निकाल कर उस वक्तव्य को ऐसा बना दिया है कि वह हानिकर नहीं रहा ।

**सभापति महोदय** : नियम ३३३ में कहा गया है कि जब तक कोई सदस्य सम्बन्धित मंत्री और अध्यक्ष महोदय को पूर्व सूचना न दे वह किसी के विरुद्ध अपमानजनक आरोप नहीं लगा सकता । अतः यदि आरोप राज्य सरकार के किसी मंत्री पर हो तो उस मंत्री को सूचना दी जानी चाहिये, और तदनुसार इस सभा में किसी राज्य के मंत्री के विरुद्ध इस प्रकार का आरोप नहीं लगाया जा सकता । दूसरे यदि ऐसा आरोप यहां के किसी मंत्री के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष महोदय और सम्बन्धित मंत्री दोनों को सूचना दी जानी चाहिये । अब मैं समझता हूं कि इस पर और चर्चा नहीं होनी चाहिये । जो कुछ कहा गया है वह अभिलेख में आ चुका है और अध्यक्ष महोदय उस पर कार्यवाही करेंगे ।

**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : अफसोस है कि मेरी बात गलत समझी गई । लेकिन आम तौर पर मैं ने इस तरह की लेंग्वेज पब्लिक एकाउंट्स कमेटीज़ की रिपोर्टों में पढ़ी है ।

मैं इस बिल को बहुत ज़रूरी समझता हूं । जैसाकि पटनायक साहब ने बतलाया अगर लाखों रुपया खर्च कर के किसी को दो चार महीने की सजा दे भी दी तो उस से कुछ फायदा नहीं हो सकता । लिहाज़ा जब तक हम इस चीज़ को ठीक से हाथ में ले कर इस की छानबीन नहीं करते तब तक ऐसा नहीं मालूम होता कि इस देश से यह करप्शन दूर हो सकेगा । यह हमारे लिये क्या बड़ी बात है । हम ने भारतवर्ष से सत्याग्रह कर के अंग्रेज़ों को भगा दिया लेकिन आज यह घूसखोरी जोकि सब जगह आम तौर पर दिखाई देती है, इस को हम दूर नहीं कर सकते । जितने जितने हम कानून लाते हैं यह बढ़ती ही जाती है । कंट्रोल आया और चला भी गया लेकिन करप्शन नहीं रुका । अब प्राहिबिशन डिपार्टमेंट में करप्शन की वजह से पुलिस की बहुत बदनामी हो रही है । गवर्नमेंट को यह मानना

होगा कि वह करप्शन को रोकने में नाकाम रही है । अगर इस को नहीं रोका गया तो यह बढ़ता ही चला जायगा और देश की वही दशा हो सकती है जैसी कि चीन की हुई थी । च्यांकाई शेक का उदाहरण हमारे सामने मौजूद है । मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट की मैशिनरी शुद्ध और साफ हो । जब तक यह नहीं होगा तब तक आप चाहे जितना रुपया खर्च करें और प्लानें बनायें वह इफेक्टिव नहीं होगा । इसलिये आप को इस करप्शन को तो ज़रूर ही दूर करना होगा । इस के लिये आप चाहे जो अधिकार ले लीजिये ।

अगर किसी विभाग में कोई बड़ा अफसर रिश्वत लेता है और कोई छोटा अफसर उस की शिकायत करता है तो सरकार को उसे इनाम देना चाहिये । आज होता यह है कि उस की हालत और खराब हो जाती है । आप के यहां कांट्रेक्ट्स में और दूसरे कामों में बहुत करप्शन हो रहा है । यह भारत-वर्ष को शोभा नहीं देता । इस को दूर करने के लिये जो पटनायक साहब की तहरीक है मैं उस का पूरा समर्थन करता हूं ।

**श्री भागवत झा आजाद** : श्री पटनायक ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह अत्यावश्यक है ।

इस में कोई सन्देह नहीं कि सभी सरकारी दल और विपक्षी दल इस बात पर एकमत हैं कि देश में और विशेषतः पदाधिकारियों में भ्रष्टाचार को रोका जाये । हम यह चाहते हैं कि सभा में और बाहर जो आरोप लगाये जाते हैं उन की ठीक प्रकार से जांच होनी चाहिये और यदि वे ठीक हों तो सम्बन्धित व्यक्तियों को दण्ड देना चाहिये ।

२ म० प०

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

**इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, १९ मार्च, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।**

GIPD—HS—720 LSD—22-9-55—000